





# विभाजनकारी ताकतों को सिर नहीं उठाने देंगे

## लोक कल्याण के प्रति आग्रही बनाती है संत रविदास की प्रेरणा

विशेष संवाददाता (vol)

**लखनऊ।** योगी आदित्यनाथ रविवार को संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बाराबिरवा, कानपुर रोड स्थित संत रविदास मठ में संत रविदास जी की प्रतिमा व सभागार का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास का प्रकटीकरण 649 वर्ष पहले काशी के सूर्यवंशी राजा आ था। इतने वर्षों के बाद भी उनकी दिव्य आभा से आलोकित होकर यह समाज एक भारत-श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ रहा है।

संत रविदास का जब धराधाम पर प्रकटीकरण पर हुआ, तब देश विदेशी आक्रांताओं से त्रस्त था। उन्होंने उस समय की साधना की प्रशंसा और उसे कर्म की साधना के रूपमें बदलने का कार्य किया था। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को वैष्णव परंपरा के अनुरूप जिस उपासना के लिए प्रेरित किया, वह जीवन में कर्म की प्रधानता, मन की शुद्धता को महत्व देता है और लोककल्याण के प्रति आग्रही बनाता है।



सीएम योगी ने संत रविदास के वक्तव्य मन चंगा तो कठौती में गंगा का जिक्र किया और कहा कि सब कुछ कर्म पर निर्भर करता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल पाएंगे। संत रामानंद से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने संत साधना के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। सीएम ने समाज में भेदभाव का आरोप लगाने वालों को भी आईना दिखाया। बोले-जगदुरु रामानंदचार्य ने समाज को जोड़ने के लिए मध्य काल में अलग-अलग जातियों से 12 शिष्य बनाए। समाज को जोड़ने का जितना बड़ा कार्य उस कालखंड में संतों ने किया, वह अद्भुत था। वर्तमान भारत का निर्माण उसी नींव पर हुआ है। गुलामी के बंधन को तोड़ने में वही

हमारी प्रेरणा रही है। सीएम योगी ने कहा कि संत रविदास ने प्रेरणा दी कि ऐसा रास्ता होना चाहिए, जहां सभी को अन्न प्राप्त हो, कोई भूखा न सोए। हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। मुगलों, अंग्रेजों व आजादी के बाद की विभिन्न सरकारों ने संत रविदास की प्रेरणा को भुला दिया, लेकिन 2014 में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने गरीबों के बैंक खाते खुलवाए, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में मिले। गरीबों को शौचालय, पीएम आवास, रसोई गैस, फ्री बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए।

हर जरूरतमंद को राशन व स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रदान किया गया। सबका साथ-सबका विकास के प्रेरणा की तह में सद्गुरु रविदास की ही प्रेरणा है। सभागार के लोकार्पण पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखती है। सभागार बनने से सदी-गामी, बरसात में भी कार्यक्रम करने के लिए समिति को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। भजन मंडली, भक्त, वक्ता सभी बैठकर एक साथ कार्यक्रम कर सकेंगे। उन्होंने

कहा कि सिर गोवर्धन में आज देश भर से लगभग दो लाख श्रद्धालु आए हैं। 2017 के पहले वहां जाने का रास्ता और लंगर हॉल नहीं था। पीएम मोदी की प्रेरणा से डबल इंजन सरकार ने उनकी जन्मभूमि को फोरलेन सड़क से जोड़ दिया। काफी बड़ी जमीन को कोर्ट से जीता गया, उसका पैसा गरीबों को उपलब्ध कराया और उस जमीन को संत रविदास के नाम पर खरीद कर जमीन उपलब्ध कराई गई। लंगर हॉल बनवाया, जिससे 50 हजार लोग लंगर छक सकते हैं। पांच किमी. दूर से भी संत रविदास जी की मूर्ति दिखाई देती है। वहां धाम का भव्य स्वरूप है। यह हमारे लिए केवल नारा नहीं था, बल्कि संत रविदास जी प्रेरणा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का माध्यम था, जिसे भाजपा की डबल इंजन सरकार ने काशी में करके दिखाया।

सीएम योगी ने कहा कि सरकार महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखती है। सभागार बनने से सदी-गामी, बरसात में भी कार्यक्रम करने के लिए समिति को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। भजन मंडली, भक्त, वक्ता सभी बैठकर एक साथ कार्यक्रम कर सकेंगे। उन्होंने

कहा कि सिर गोवर्धन में आज देश भर से लगभग दो लाख श्रद्धालु आए हैं। 2017 के पहले वहां जाने का रास्ता और लंगर हॉल नहीं था। पीएम मोदी की प्रेरणा से डबल इंजन सरकार ने काशी में करके दिखाया।

# वित्तीय समावेशन में यूपी देश में नंबर वन

## जनधन, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और अटल पेंशन योजना में शीर्ष प्रदर्शन

विशेष संवाददाता (vol)

**लखनऊ।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रदेश में कुल क्रेडिट डिपॉजिट (सीडी रेशियो) 62 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। रविवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी बैंक प्रतिनिधियों से उनके सीडी रेशियो के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने पर बल दिया। बैठक में बताया गया कि दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश का कुल सीडी रेशियो 60.39 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले लगभग दस वर्षों का सर्वाधिक स्तर है। जनपद-वार समीक्षा के अनुसार 40 प्रतिशत से कम सीडी रेशियो वाले जनपद घटकर केवल पाँच रह गए हैं, जबकि 40-50, 50-60 और 60-80 प्रतिशत की श्रेणी वाले जनपदों की संख्या में भी निरंतर सुधार

- यूपी का कुल सीडी रेशियो 60.39% के पार, मार्च तक 62% का लक्ष्य**

हुआ है। मार्च 2018 में 40 प्रतिशत से कम सीडी रेशियो वाले 20 जनपद थे, जो अब घटकर 5 हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मार्च 2026 तक सभी जनपदों के सीडी रेशियो में लक्षित सुधार सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) की सफलता के बाद अब राज्य सरकार एक जिला-एक व्यंजन (ओडीओसी) के माध्यम से छोटे व्यापारियों, पारंपरिक पाक कला से जुड़े कारीगरों और गिरा वर्कर्स को नई पहचान देने जा रही है। उन्होंने बैंकों से आह्वान किया कि जैसे ओडीओपी को वित्तीय सहयोग मिला, वैसे ही ओडीओसी को भी प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रशिक्षण, पैकेजिंग,

- सीएसआर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागिता बढ़ाएं बैंक**

ब्रांडिंग और मार्केटिंग में पूरा सहयोग दे रही है, और इस मिशन को गति देने में बैंकों की भूमिका निर्णायक होगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य पर योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का उदाहरण दिया और कहा कि इन योजनाओं की सफलता के केंद्र में बैंकों की सहयोगी भावना है। निर्देश दिया कि बैंकिंग प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे आम नागरिक को वास्तविक सहूलियत मिले और पात्र लाभार्थी बिना किसी दिक्कत के योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश, उद्यमिता, कृषि और महिला-युवा स्वावलंबन के क्षेत्रों में तेज गति से

आगे बढ़ रहा है। इस प्रगति में बैंकिंग तंत्र की सक्रिय साझेदारी अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने उन जनपदों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए जहाँ सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से कम है, और कहा कि बैंकों को गाँवों को लक्षित कर मेगा ऋण मेले आयोजित करने चाहिए। उन्होंने बैंकों से सीएसआर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागि बनने का भी आह्वान किया। बैठक में बताया गया कि पिछले 08 वर्षों में प्रदेश का बैंकिंग तंत्र अत्यंत मजबूत हुआ है।

मार्च 2017 में प्रदेश की कुल जमा राशि 8.92 लाख करोड़ रुपये थी, जो दिसंबर 2025 में बढ़कर 20.44 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसी अवधि में कुल ऋण वितरण 4.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.34 लाख करोड़ रुपये पर पहुँच गया। मार्च 2017 में प्रदेश का कुल बैंकिंग व्यवसाय 12.80 लाख करोड़ रुपये था, जो दिसंबर 2025 में बढ़कर 32.79 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

## विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला जन्ोन्मुखी बजट: पंकज चौधरी

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला जन्ोन्मुखी बजट बताते हुए, इसके लिए अभिनंदन तथा आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज संसद में प्रस्तुत किया गया। भारत का आम बजट 2026 देश की आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि केन्द्रीय बजट 2026-27 भारत के आर्थिक विकास को नई गति देने, नागरिकों की आकांक्षाएं पूरा करने व उनकी क्षमता बढ़ाने, विकसित भारत के लिए दक्ष एवं पेशेवर युवाओं को तैयार करने तथा किसानों की आय बढ़ाने में काम आएगा। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लगातार 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत करने की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल नारी नेतृत्व की सशक्त मिसाल है, बल्कि भारत के संसदीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय भी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आम बजट 2026 का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि यह बजट जन-आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्येोद्य दर्शन को साकार करता यह केन्द्रीय बजट गरीब, मध्यमवर्ग, महिला, युवा व वंचित वर्ग के आर्थिक और सामाजिक उथ्यान की मजबूत कड़ी है। यह बजट जन-जन की आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि प्रदान करेगा। केन्द्रीय बजट में पूरे देश के सर्वांगीण विकास के साथ उत्तर प्रदेश के विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रमुखता प्रस्तुत किया गया है। आज के आम बजट 2026-27 में घोषित दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकास की एक नई परिभाषा रचने जा रहा है। दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी में भी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे।

# नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना शासन का दायित्व : सीएम धामी

प्रमुख संवाददाता

**देहरादून।** आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान की अवधि 20 फरवरी तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पहल केवल प्रशासनिक गतिविधि नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को सुदृढ़ करने का माध्यम है। शासन की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समझे और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुना जाए और उसका समाधान समयबद्ध ढंग से किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य का कोई भी क्षेत्र या



सकारात्मक सहभागिता और बड़ी संख्या में मामलों के त्वरित निस्तारण को देखते हुए सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। 17 दिसंबर 2025

उत्तराखंड सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह अभियान अब प्रदेश के सभी जिलों में विस्तारित अवधि के दौरान संचालित होगा। पहले यह कार्यक्रम 31 जनवरी तक प्रस्तावित था, किंतु जनसेवा शिविरों में उमड़ रही भारी भीड़, लोगों की सकारात्मक सहभागिता और बड़ी संख्या में मामलों के त्वरित निस्तारण को देखते हुए सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। 17 दिसंबर 2025

से आरंभ हुए इस अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में अब तक हजारों लोगों को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है। राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, नगर निकाय सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों का मौके पर समाधान कर आमजन को त्वरित राहत प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में अब तक समाधान शिविर आयोजित नहीं हो पाए हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से विस्तारित कार्यक्रम में शामिल किया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव, कस्बा और शहरी क्षेत्र तक इस अभियान की पहुंच सुनिश्चित हो और नागरिकों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जिलाधिकारियों को अभियान को विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने तथा शिविरों के सुव्यवस्थित, पारदर्शी और परिणामकारी आयोजन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

से प्राप्त सिद्धि का प्रतिफल देश को मिलेगा। हम सभी को देश की एकता व संप्रभुता के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी ने सबका प्रयास, सबका विकास की प्रेरणा दी। सबके प्रयास से सबका विश्वास अर्जित करते हुए आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने माघ पूर्णिमा की बधाई देते हुए कहा कि मां गंगा सभी की मनोकामना पूर्ण करें।

सीएम योगी ने संत रविदास की दिव्य वाणी-दिव्य सिद्धि का उदाहरण दिया। बोले कि संत रविदास के सहयोगियों ने उनसे कहा कि चलो, गंगा स्नान करते हैं। इस पर संत रविदास ने कहा कि मेरे पास आज अधिक काम आ गया है, मेरी ओर से मां गंगा को दमड़ी चढ़ा देना। अन्य संतों ने स्नान व पूजा-अर्चना की, लेकिन उन्होंने जैसे ही संत रविदास की दमड़ी चढ़ाई की मां गंगा ने प्रकट होकर दक्षिणा स्वीकार की।

मां गंगा ने कहा कि वो मेरा सच्चा भक्त है। जैसी चाह, वैसी राह। जैसा मन में रखेंगे, वैसे ही परिणाम आएंगे। संत रविदास की प्रेरणा एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।

# उत्तर प्रदेश के विकास को गति देगा आम बजट

## सारनाथ व हस्तिनापुर को प्रमुख सिटी इकोनॉमिक रीजन (सीईआर) योजना से प्रदेश पुरातात्विक पर्यटन स्थलों का दर्जा के टियर-2 व टियर-3 शहरों का होगा समग्र विकास

**लखनऊ।** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत केन्द्रीय बजट उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देगा। इस बजट में राज्य के आर्थिक, औद्योगिक व सामाजिक परिदृश को सशक्त करने वाली कई दूरगामी घोषणाएं की गई हैं। आधुनिक कनेक्टिविटी, बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश और रोजगारोन्मुखी योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को और प्रभावी तरीके से निभा सकेगा।

बजट में किसान, महिला, युवा, कारीगर व छोटे उद्यमियों को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से टियर-3 शहरों के लिए ये योजनाएं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार, निवेश व आर्थिक गतिविधियों को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगी। केन्द्रीय बजट में घोषित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 महत्वपूर्ण कारिडोर सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जिनमें दिल्ली, वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजधानी दिल्ली से काशी, पूर्वांचल और आगे पूर्वी भारत तक

### इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसानों-महिलाओं तक फोकस

की रेलयात्रा तेज, सुरक्षित, सुविधाजनक तरीके से संपन्न होगी। आधुनिक तकनीक से लैस रेल नेटवर्क प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। हाई-स्पीड रेल से लंबी दूरी की यात्रा का समय काफी कम होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश व पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। काशी, पूर्वांचल व सीमावर्ती जिलों में उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। साथ ही, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को गति मिलने से होटल, ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट गाइड जैसे स्थानीय व्यवसायों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से जल परिवहन को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में केन्द्रीय बजट में वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह पहल गंगा नदी पर विकसित हो रहे जलमार्ग आधारित परिवहन तंत्र को तकनीकी व व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाएगी। शिप रिपेयर

इकोसिस्टम के स्थापित होने से मालवाहक जहाजों और जलपोतों के रखरखाव व मरम्मत की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी, जिससे समग्र और लालत दोनों में कमी आएगी। इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलने के साथ जल परिवहन, एक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में प्रभावी होगा। साथ ही, तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। स्थानीय युवाओं को रिकल डेवलपमेंट और तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने में यह परियोजना अहम भूमिका निभाएगी।

केन्द्रीय बजट में पर्यटन व सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। इसी क्रम में भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ तथा हस्तिनापुर को देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे न केवल यूपी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर नई मजबूती मिलेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।

**बजट सर्वसमावेशी दृष्टि, दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प : राज्यपाल** राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केन्द्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी दृष्टि, दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त घोषणापत्र है। यह भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जिन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प इसमें स्पष्ट रूप से झलकता है। राज्यपाल ने कहा कि करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, राजकोषीय अनुशासन, नियंत्रित घाटा और संतुलित कर्ज-जीडीपी अनुपात इस बात का प्रमाण है कि भारत की विकास यात्रा सुदृढ़ नींव पर आगे बढ़ रही है। यह बजट किसान, युवा, महिला, श्रमिक, छात्र, उद्यमी और उद्योग-सभी के सपनों को समान संवेदनशीलता के साथ संबल प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कृषि में भारत विस्तार जैसे एआई आधारित नवाचार, शिक्षा में छात्राओं के लिए हॉस्टल, खेलो इंडिया के माध्यम से कौशल और रोजगार, आयुष व एवीजीसी सेक्टर का विस्तार, टरएट और मैनुफैक्चरिंग को नई ऊर्जा, हरित उद्योगों के लिए कार्बन केप्चर तथा इको-फ्रेंडली ट्रेन्स जैसे प्रावधान विकसित भारत की संकल्पना को धारतल पर उतारने के ठोस कदम हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश, रेल और जलमार्गों का विस्तार, ग्रामीण स्वराज और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल भारत को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सशक्त बनाएगी। केन्द्रीय बजट 2026-27 सुधारों की गति, आत्मनिर्भरता की शक्ति और समृद्ध भारत के उज्ज्वल भविष्य का पाथेय सिद्ध होगा।

## केंद्रीय बजट विकसित भारत 2047 की दिशा में मजबूत कदम : रोहित अग्रवाल

रालोद के व्यापार के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक सशक्त और दूरदर्शी पहल है। यह बजट रोजगार सृजन, विनिर्माण, तकनीक, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करता है। रोहित अग्रवाल ने कहा कि दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर आयात रुपये में छूट, सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन, 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग योजना तथा ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना से देश की विदेशी निर्भरता कम होगी और घरेलू उद्योग को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास, युवाओं के पुनः कौशल विकास, खेलो इंडिया के माध्यम से खेल अवसरंचना के विस्तार तथा खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे व्यापार और एमएसएमई सेक्टर को भी गति मिलेगी। रोहित अग्रवाल ने यह भी कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों और पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हर बजट के बाद नकारात्मकता फैलाना उचित नहीं है। यह बजट स्पष्ट रूप से रोजगार, उद्योग, एमएसएमई और व्यापार के विकास को केंद्र में रखता है।

## हेड लाइन वाला है आम बजट : लोकदल

लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रविवार को आया सरकार का बजट भी छुट्टी जैसा ही रहा, न जनता को राहत, न युवाओं, किसानों और गरीबों को कोई उम्मीद। उन्होंने कहा कि यह बजट जीवन को सशक्त बनाने के बजाय आम जनता के लिए और अधिक कठिन बना देने वाला बजट है। महिला, युवा, किसान और मिडिल क्लास-सभी वर्गों को इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है। सरकार के आंकड़ों में भले ही महंगाई दिखाई न दे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आम आदमी लगातार बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। लोकदल अध्यक्ष ने कहा कि बजट में किसान सम्मान निधि का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन किसानों के लिए कोई ठोस और दीर्घकालिक नीति नजर नहीं आती। फसल की लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, सिंचाई, खाद और बीज की कीमतों पर सरकार की स्पष्ट नीति का अभाव साफ दिखता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने बजट में यह तो बताया कि खर्च कहां होगा, लेकिन यह नहीं बताया कि गिरते रुपये को सहारा कैसे मिलेगा। रुपये की कमजोरी, बढ़ती बेरोजगारी और आय में ठहराव पर सरकार की चुप्पी सभी की आर्थिक विफलता को बजट का करी है। सुनील सिंह ने कहा कि देश को चीन से सीखने की जरूरत है, जहां छोटे-छोटे उद्योगों के जरिये कम कीमत पर जरूरी चीजें उपलब्ध करायी जाती हैं।



जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परियोजना का परिणाम तय समयसीमा के भीतर जमीन पर दिखाई देना चाहिए। प्रदेश में सड़क सुरक्षा और यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ओवरलोट टूक और डंफरों का संचालन पूरी तरह रोक दिया जाए। साथ ही, भारी वाहनों के चालकों की स्वास्थ्य जांच नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि थकान या असावधानी से होने वाले हादसों को रोक जा सके। सड़क निर्माण और रखरखाव के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री ने समिति को निर्देश दिया कि बैठकें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएं, ताकि प्रगति की नियमित समीक्षा

हो सके। साथ ही, सड़क निर्माण संबंधी प्रस्ताव केवल जनप्रतिनिधियों से प्राप्त किए जाएं, ताकि योजना वास्तविक जरूरतों के अनुरूप तैयार हों। बैठक में मुख्यमंत्री ने ओवरलोट वाहनों की रोकथाम, सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय निकायों की व्यवस्था के अनुसार पार्किंग सुनिश्चित कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क मरम्मत और नए निर्माण कार्य पारदर्शी, उच्च गुणवत्ता वाले और जनता को वास्तविक राहत देने वाले हों।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना समयबद्ध रूप से पूरी कर उत्तर प्रदेश की सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करेंगी।

रालोद के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने 2026-27 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह विकसित भारत का बजट है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट किसान नारी शक्ति और नौजवानों को समर्पित बजट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह बजट देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने तथा समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने तथा देश को आर्थिक स्थिति की वृद्धि को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा यह बजट समाज के हर वर्ग विशेष कर अन्नदाताओं, नौजवानों, महिलाओं और शोषित वंचित उत्थान के लिए समर्पित है और किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण बुनियाद को मजबूत करने का काम करेगा।



# सोलर-बैटरी, ई-मोबिलिटी को मिलेगी गति

## कस्टम ड्यूटी में छूट से यूपी में आगे बढ़ेगी तीनों योजनाएं

वरिष्ठ संवाददाता (VSI)

**लखनऊ।** केंद्रीय बजट में सोलर, नवीकरणीय ऊर्जा और ई-मोबिलिटी से जुड़ी कस्टम ड्यूटी एवं आयात शुल्क में दी गई रियायतों को उत्तर प्रदेश में लागू प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और राज्य के उभरते ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम से जोड़कर देखा जा रहा है। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसले प्रदेश में रूफटॉप सोलर विस्तार, सोलर पैनल मैनुफैक्चरिंग, ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा संतुलन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी-इन चारों को एक साझा दिशा में आगे बढ़ाएंगे।

बजट में लिथियम-आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल- कोबाल्ट पाउडर, बैटरी स्क्रेप और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसका सबसे बड़ा लाभ ग्रिड-स्तरीय बैटरी स्टोरेज और पावर सिस्टम बैलेसिंग को मिलेगा। सोलर आधारित बिजली उत्पादन में दिन-रात और मौसम के अनुसार आने वाले उतार-चढ़ाव को बैटरी स्टोरेज के माध्यम से बेहतर ढंग से संभाला जा सकेगा। इससे उत्तर प्रदेश की बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर, भरोसेमंद और लागत-प्रभावी बनने की संभावना है।

### विकास, निवेश और रोजगार का रोडमैप है यूनियन बजट : डॉ. राजेश्वर सिंह

यूनियन बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि यह केवल वर्तमान आवश्यकताओं का समाधान



नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को अगले दशक के लिए सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनाने वाला बजट है। यह बजट विकास, वित्तीय अनुशासन और सामाजिक-आर्थिक संतुलन का ऐसा समन्वय प्रस्तुत करता है, जो भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर और अधिक मजबूत बनाएगा। डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि सरकार ने इस बजट में तात्कालिक लोकलुभावन फैसलों के

बजाय दीर्घकालिक सोच को प्राथमिकता दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, तकनीक, युवाओं और हरित विकास पर केंद्रित यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति देता है। यह बजट उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में

और अधिक मजबूती से जोड़ने हुए समावेशी, डिाकू और रोजगार-उन्मुख भारत के निर्माण का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।

## लोकलुभावन नहीं, बल्कि विकासोन्मुखी बजट : आईआईए



**लखनऊ।** इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने रविवार को आईआईए भवन में केंद्रीय बजट देखने और चर्चा सत्र का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आईआईए के पदाधिकारी, उद्योगपति और विशेषज्ञ शामिल हुए। केंद्रीय बजट में सात प्रमुख क्षेत्रों में मैनुफैक्चरिंग को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार की गई है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर नए सिर से जोर दिया गया है। प्रमुख घोषणाओं में भारत को एक वैश्विक फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना, पांच वर्षों में बायोफार्मा के लिए 100 बिलियन का आवंटन, सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त 400 बिलियन, सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का विकास, कार्बन-उत्सर्जन में कमी कार्यक्रमों के लिए 200 बिलियन, और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए 100 बिलियन के ग्रोथ फंड की स्थापना शामिल है। दिनेश गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आईआईए ने कहा कि बजट की घोषणाएँ सभी क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था और एमएसएमई के विकास के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और बजट भविष्योन्मुखी और विकास-संचालित है। महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों पर फोकस का स्वागत करते हुए, सीए रीना भार्गव ने कहा, शी मार्ट को बढ़ावा देना और सेल्फ-हेल्थ ग्रुप्स के जरिए महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना एक सकारात्मक और सशक्त बनाने वाली पहल है।

### आम जनता की अपेक्षा पर केद्रित बजट

यह बजट आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सरकारों के साथ एफ.टी.पी.



समझौतों के बाद सरकार की ओर से उत्पाद एवं संबंधित शुल्कों में दी गई छूट से चमड़ा, जूता, कपड़ा सहित अन्य निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्राप्त होगी। रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाली वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को 20% से घटाकर 10% करना तर्कसंगत निर्णय है,

जिससे रक्षा उत्पादन लागत में कमी आएगी। 17 जीवन रक्षक दवाओं पर आयात शुल्क में कमी कर कैंसर, शुगर, बी.पी. सहित गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को राहत प्रदान की गई है।

**अध्यक्ष,लखनऊ व्यापार मंडल**

# केंद्रीय बजट युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला : ब्रजेश पाठक

- देश को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत आधार देगा केंद्रीय बजट : धर्मपाल सिंह
- भाजपा मुख्यालय समेत जिला केंद्रों और मंडलों में सुना गया बजट भाषण

विशेष संवाददाता (vol)

**लखनऊ।** भाजपा ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रदेश भाजपा मुख्यालय सहित सभी जिला केन्द्रों तथा मंडलों पर सामूहिक रूप से सुना। राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में बड़ी संख्या में साहित्यकारों, चिकित्सकों, शिक्षकों, अधिवकाओं, व्यापारियों, उद्यमियों, खिलाड़ियों, छात्रों, महिलाओं, सीए, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय नागरिको ने केंद्रीय बजट का सजीव प्रसारण सुना।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केंद्रीय बजट को गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग तथा उद्यमियों के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाने वाला बताया। उन्होंने इसके लिए

सोलर सेक्टर के लिए बजट में एक अहम और स्पष्ट प्रावधान किया गया है। सोलर ग्लास निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल सोडियम एंटीमैनिट को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है।

यह सोलर ग्लास का एक प्रमुख कंपोनेंट है, जो ग्लास की गुणवत्ता, मजबूती और प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। ड्यूटी हटने से सोलर ग्लास और इसके माध्यम से सोलर मॉड्यूल व पैनल की लागत घटेगी। इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर: मुक्त बिजली योजना को मिलेगा, जहां रूफटॉप सोलर सिस्टम सस्ते होने से अधिक घर इस योजना से जुड़ सकेंगे और उपभोक्ताओं को बिजली बिल में उल्लेखनीय राहत मिलेगी। उद्योग जगत का मानना है कि इन रियायतों से डोमेस्टिक कंटेंट रिकवायरमेंट (डीसीआर) आधारित सोलर पैनल निर्माण को भी मजबूती मिलेगी। सोलर ग्लास और अन्य इनपुट्स सस्ते होने से घरेलू मैनुफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरा घटेगी। इसका असर प्रदेश में सोलर वैल्यू चेन के रूप में सामने आ सकता है।

बजट प्रावधानों के बाद नोएडा, लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल के औद्योगिक क्षेत्रों में नई सोलर मैनुफैक्चरिंग इकाइयों के साथ-साथ ईवी

कंपोनेंट्स, बैटरी पैक असेंबली और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश के अवसर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे रोजगार सृजन और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। ई-मोबिलिटी के दृष्टिकोण से बजट 2026 को उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बैटरी और क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्माण लागत घटेगी, जिससे ईवी की कीमतें अधिक किफायती हो सकती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर ई-बसों, ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों को तेजी से दिखेगा। इससे पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटेगी और शहरी प्रदूषण में कमी आएगी। बजट में घोषित कस्टम ड्यूटी और आयात शुल्क में रियायतें, विशेषकर सोलर ग्लास के लिए सोडियम एंटीमैनिट पर छूट उत्तर प्रदेश में सोलर पैनल मैनुफैक्चरिंग, ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा संतुलन और ई-मोबिलिटी को एक साझा रणनीतिक दिशा देती नजर आती हैं। नीति विशेषज्ञों का कहना है कि स्वच्छ परिवहन, मजबूत ऊर्जा ग्रिड और हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत करेगा।

# यूपी के छोटे और मझोले शहरों के विकास को मिलेगी रफ्तार

विशेष संवाददाता (vol)

**लखनऊ।** केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में यूपी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और नई तकनीक से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं। इससे उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले शहरों के विकास को नई गति मिलने जा रही है। बजट में टियर-2 और टियर-3 श्रेणी के शहरों के लिए आवंटन में 5,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इसके तहत यूपी के करीब 45 शहरों के विकास का रास्ता खुलेगा और राज्य को लगभग 900 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।

नगर विकास विभाग के अनुसार, यह राशि पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से खर्च की जाएगी। इस फंड से टियर-2 और टियर-3 शहरों में सड़क और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी सुधार, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, शहरी सेवाओं के विस्तार और उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े रोजगार अवसर बढ़ाने पर काम किया जाएगा। यहां टियर-2 श्रेणी के 15 और टियर-3 श्रेणी के 30 से अधिक शहर हैं। टियर-2 शहरों की आबादी पांच लाख से अधिक जबकि टियर-3 शहरों की आबादी एक से तीन लाख के बीच है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन शहरों के सशक्त होने से महानगरों की ओर पलायन घटेगा और संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में भी मददगार साबित होगा।

**लखनऊ में विकसित होगी एआई सिटी :** बजट में देश के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पार्क को हरी झंडी दी गई है। यह विनिर्माण पार्क यूपी में बनेगा जिससे सेमीकंडक्टर मिशन-1.0 को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में युवाओं को तैयार किया जाएगा, जिससे उनके लिए रोजगार के कई रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा लखनऊ में एआई सिटी विकसित की जाएगी जबकि वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिक हब का निर्माण होगा। खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे ग्लोबल मार्केट लिंकेज और ब्रांडिंग में मदद मिलेगी। यह ट्रेनिंग, स्कालिंग, प्रोसेस और प्रोडक्शन की क्वालिटी को बेहतर बनाएगा और सपोर्ट करेगा। इससे हमारे बुनकरों, गांवों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पहल और हमारे ग्रामीण युवाओं को भी फायदा होगा।

**यूपी में शुरू होगी दिव्यांग सहारा योजना :** यूपी में दिव्यांगों के लिए दिव्यांग सहारा योजना शुरू की जाएगी। जिसके तहत दिव्यांगों को समय पर सहायता मिलेगी। वहीं कृत्रिम अंग बनाने वाली कंपनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई इंटेलिग्रेशन में निवेश किया जाएगा। इसके अलावा दिव्याशा केंद्रों को मजबूत किया जाएगा।

**वाराणसी और कनेक्टिविटी पर विशेष जोर :** बजट में वाराणसी को एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में विकसित करने का संकेत दिया गया है। यहां शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे गंगा आधारित परिवहन और रोजगार को



बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही वाराणसी रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर और वाराणसी-दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिससे कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों को गति मिलेगी। **एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम, ग्रोथ फंड और ग्रामीण उद्योगों पर विशेष फोकस :** बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग को सशक्त बनाने के लिए कई अहम और दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। वस्त्र क्षेत्र के लिए एक व्यापक और एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल और समर्थ 2.0 जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन और निर्यात को प्रोत्साहन देना है।

**खादी एवं ग्रामोद्योग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती :** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि केंद्रीय बजट उद्योग, किसानों और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। बजट में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इस पहल के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ-साथ कारीगरों और बुनकरों को स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे परंपरागत उद्योगों को आधुनिक बाजार से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

**एमएसएमई के लिए ग्रोथ फंड व वित्तीय सहयोग :** एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बजट में 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी। छोटे उद्यमों को कंपनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई इंटेलिग्रेशन में निवेश किया जाएगा। इसके अलावा दिव्याशा केंद्रों को मजबूत किया जाएगा।

**अबशी-मार्ट के जरिए उद्यमी बनेंगी ग्रामीण महिलाएं :** केंद्रीय बजट 2026-27 ने उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं में नई उम्मीद जगाई हैं। बजट में

## विकास को गति मिलेगी, निवेश के नये द्वार खुलेंगे : सुरेश खन्ना

वरिष्ठ संवाददाता (VOL)



हब, रेलवे और शहरी आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलेगी, जिससे निवेश के नए द्वार खुलेंगे।

श्री खन्ना ने बताया कि औद्योगिक प्रोत्साहन और एमएसएमई समर्थन से प्रदेश में छोटे एवं मध्यम उद्योगों को मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की घोषणा का स्वागत करते हुये उन्होंने कहा कि युवाओं के लिये अत्यन्त लाभकारी होगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये 15 ऐतिहासिक शहरों को बढ़ावा देने तथा 10 हजार टूरिस्ट गाइड बनाये जाने के निर्णय, ए आई का हब तथा 40 हजार करोड़ इलेक्ट्रानिक सेक्टर पर खर्च किये जाने के

### विकसित भारत का रोडमैप है केंद्रीय बजट : केशव



सर्वोपरि रखा गया है। समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की नींव रखने वाला यह बजट है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। मैनुफैक्चरिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य से पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से एआई, खेल से तीर्थ-हर क्षेत्र में व्यापक अवसर खोलता यह

विकसित भारत बजट भारत को उभरते आर्थिक शक्ति-केन्द्र के रूप में नई पहचान देता है।

निर्णय का स्वागत किया है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये इस बजट में 20 हजार करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिससे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले शहरों को राहत मिलेगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विशेष रूप से दिल्ली वाराणसी तथा वाराणसी सिलीगुड़ी मार्ग, जल मार्ग परियोजनाओं तथा रिफाईर्ड पूंजीगत व्यय से देश की कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलेगी, जिससे वाराणसी जैसे ऐतिहासिक केन्द्रों का और भी विकास होगा। एएस की तर्ज पर आयुर्वेदिक अस्पताल बनाये जाने का उन्होंने

### कार्यदायी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए निराशाजनक बजट

नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ ने नौवें बजट को सबसे निचले स्तर के कार्यदायी संस्थाओं के श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए निराशा जनक बताया। साथ ही उनके एवं उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा पर भी कुठाराघात की नीति का परिचायक बताया। कार्यदायी श्रमिकों को जीने लायक पारिश्रमिक, चिकित्सा उपचार तथा उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं शिक्षा को भी नजर अंदाज किये पर चिंता व्यक्त की गई। नियमित शिक्षित/पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति, नियमित नियुक्त तथा वेतन पर भी वर्तमान परिवेश के अनुरूप कोई भी निर्णय नौवें बजट में न किये जाने पर भी उनके भविष्य को अंधकारमय बताया।

**आनंद वर्मा, अध्यक्ष, नगर निगम कर्मचारी संघ**

### बजट से कर्मचारियों में निराशा

बजट में न तो पेंशन व्यवस्था से संबंधित कोई भी जिक्र किया गया। न ही आठवें वेतन आयोग से संबंधित बजट की बात की गई। लगता है कि आठवें वेतन आयोग को इस वर्ष नहीं दिया जाना है। इसी कारण अस्पष्टित क्षेत्र, मानंदय आउटसोर्सिंग आदि के कमजोर कर्मचारियों के लिए भी इंगीफओ में पेंशन जो 12 वर्षों से 1000 से बढ़ाने तथा उनके न्यूनतम वेतन को बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए था। वह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में सुविधा की मांग पूर्व से चली आ रही थी जो कोरोना काल में काटी गई थी उसे भी इसमें नहीं करवा गया है।

**हरि किशोर तिवारी, अध्यक्ष, संयुक्त कर्मचारी परिषद**

### व्यापारियों, किसानों व उद्योगपतियों को लाभ नहीं

बजट में देश के व्यापारियों और किसानों व उद्योगपतियों के लिए कोई खास लाभ नहीं हुआ है। बढ़ते डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, को फिर एक बार जीएसटी के बाहर रखकर नजर अंदाज किया गया है। इनकम-टैक्स स्लैब में खास छूट नहीं बढ़ाई गई। व्यापारियों और इंडस्ट्री समूहों के कस्टम विवाद, लाइसेंसिंग और टैक्स न्यायिक प्रक्रिया में सुधार जरूरी है। एसटीटी में वृद्धि हुई है, जिससे शेयर/डेरिवेटिव ट्रेडिंग छोटे निवेशकों के लिए

मंहंगी हो सकती है।

### रामबाबू रस्तोगी , प्रदेश अध्यक्ष, सामाजिक उद्योग व्यापार मण्डल करोड़ों कर्मचारियों को निराशा

बजट को अत्यंत निराशाजनक एवं कर्मचारियों की दृष्टि से विजन रहित है। आठवें वेतन आयोग को लेकर बजट में धन की कोई व्यवस्था नहीं है। पेंशन सुधारों के बारे में भी बजट में कुछ नहीं कहा गया है। सरकारी नौकरियां नदारत हैं। उत्तर प्रदेश के नजीए से बजट में दो हाई स्पीड हाई कॉरिडोर का निर्माण एवं वाराणसी में जहाज मरम्मत का कारखाना उल्लेखनीय है। बजट में रोजगार सृजन के बजाय पर्यटकों के लिए गाइड ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात कही गई है। किसान, युवा और महिला का हित देखने की बात बजट में है लेकिन कोई रास्ता नहीं सुझाया गया है। आम आदमी, नौकरी पेशा, किसान मजदूर के लिए बजट अत्यंत निराशाजनक है।

**जेएन तिवारी, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश**

### बजट से व्यापारियों में असंतोष

आज का बजट शुष्क बजट के रूप में पेश हुआ है। इसमें आम जनता एवं व्यापारियों के लिए सीधा-सीधा कुछ भी नहीं है। बजट में व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं था तथा चिकित्सा, शिक्षा, युवा, महिला पर भी ठीक से ध्यान नहीं केन्द्रित किया गया। व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा वर्तमान में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के कारण देश का परंपरागत व्यापारी बहुत परेशान है। देश को ई कॉमर्स पॉलिसी एवं रिटेल ट्रेड

पॉलिसी को सख्त आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की भी चिंता बजट में नहीं की गई दक्षिण के राज्यों एवं समुद्र तट पर स्थित राज्यों पर पूरा फोकस किया गया।

**संजय गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मण्डल**

### कर्मचारी समाज के लिए बजट निराशाजनक

केंद्रीय बजट को कर्मचारी समाज के लिए घोर निराशाजनक है। कर्मचारियों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। आज पूरे देश में 90 लाख पर रिक्त है। चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 60 प्रतिशत से अधिक सेवानिवृत्त हो गए। इससे राजकीय कार्य पर प्रभावित हो रहा है। लेकिन बजट में न तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती और न ही पुरानो पेंशन बहाली के लिए कुछ कहा या किया गया। अपने शुरुआती कार्यकाल से नौकरी देने का दावा करने वाली केन्द्र सरकार के नौवें बजट में भी बेरोजगारों को नौकरी के लिए कोई रास्ता नहीं खोला गया। पेंशन बुद्धापे के समय समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत करने का एक रास्ता था उसके लिए भी बजट में कुछ नहीं किया गया। इस बजट में केवल निजीकरण को बढ़ावा देने का काम किया गया। लेकिन इसके चलते बेरोजगारी घटने की जगह बढ़नी तय है।

**सुरेश सिंह यादव , राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय राज सरकारी कर्मचारी महासंघ**

| TECHNO INSTITUTE OF HIGHER STUDIES                                                                                                                                                 |       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| Courses Offered: B.Com (Hons.), B.A.-J.M.C., B.B.A., B.Com, B.Ed., B.Sc. (PCM / ZBC), B.V.A. (Paint / App. Art), BCA, M.A.-J.M.C., M.Com (Commerce), M.V.A. (Painting)             |       |  |  |
| आवश्यकता है प्राचार्य व प्रवक्ताओं की योग्यता अनुभव व वेतन वू.जी.सी./ लखनऊ व्यवस्थापक के मानकानुसार-                                                                               |       |  |  |
| प्राचार्य-                                                                                                                                                                         | 01 पद |  |  |
| प्रवक्ता एम.पी.ए. (एण्डाइड आर्ट)-                                                                                                                                                  | 04 पद |  |  |
| आवेदन पत्र सम्मत शीर्षक व अनुभव प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियों के साथ नीचे दिये गये पते पर डाक/ईमेल/व्यक्तिगत रूप से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों में अवश्य प्राप्त करा दें। |       |  |  |
| 331, Anaura, Near Indira Canal, Ayodhya Road, Lucknow-226028                                                                                                                       |       |  |  |
| Email: careers@tims.edu.in                                                                                                                                                         |       |  |  |
| Contact: 7897123111 (IVR), 8810724912                                                                                                                                              |       |  |  |

### मेट्रो के दूसरे चरण को

### मिलेंगे 1450 करोड़

**लखनऊ।** केंद्रीय बजट में मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार के अंश की सौगात मिली है। केंद्र सरकार 1450 करोड़ रुपये निर्माण के लिए देगी। अगले तीन महीने में चारबाग से बसंतकुंज के बीच सेकेंड फेज का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चारबाग से बसंतकुंज के बीच 5801 करोड़ रुपये से लखनऊ मेट्रो के सेकेंड फेज का निर्माण कार्य कराया जाएगा।

इसमें 50:50 प्रतिशत अंशदान केंद्र व राज्य सरकारों का रहेगा। शेष ऋण लिया जाएगा। इसके तहत 2900 करोड़ रुपये का लोन बैंकों से लिया जाएगा तथा इतना केंद्र व राज्य सरकारों मिलकर देंगी। इस लिहाज से केंद्र सरकार को 1450 करोड़ रुपये देने हैं। चारबाग से बसंतकुंज के बीच करीब 11.16 किमी रूट पर बारह स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मेट्रो सेकेंड फेज का निर्माण कार्य तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।

सदस्य व प्रदेश प्रवक्ता डा. समीर सिंह, अभियान टोली के सदस्य सुधीर हलवासिया, ओपी मिश्रा, सूरज श्रीवास्तव, प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, प्रदेश मीडिया सहप्रभारी हिमांशु दुबे, प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला, आलोक अवस्थी, अशोक पाण्डेय, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, सह प्रभारी अतुल अवस्थी, चौधरी लक्ष्मण सिंह, भाजपा अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र नजीजा, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, एमएलसी राम चंद्र प्रधान, पवन सिंह चौहान, व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल तथा संदीप बंसल सहित बड़ी संख्या में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला, किसानों के विश्वास को मजबूत करने वाला तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक सिद्ध होगा।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि पी. दीनदयाल उपाध्याय के अनन्योदय दर्शन के मूल में गरीब, वंचित वर्ग के आर्थिक व सामाजिक

उत्थान का सिद्धान्त तथा वैभवशाली राष्ट्र निर्माण का संकल्प निहित है। केंद्रीय बजट 2026-27 आने वाले समय में भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस बजट को सशक्त भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए एक अवसर के रूप में स्वीकार करें और इस बजट की भावना को जन-जन तक पहुंचाचें।

इस अवसर पर भाजपा मध्य प्रदेश प्रभारी डा. महेन्द्र सिंह, प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला, अभियान टोली के संयोजक व प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश, अभियान टोली के

# बॉयस ऑफ लखनऊ | 3



| <div>लखनऊ, सोमवार ०२ फरवरी २०२६</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| www.voiceoflucknow.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| <span></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| कार्यालय नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा, लखीमपुर-खीरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b>पत्रांक</b> – 1६१४ / न०प०Gसि०0 / २०२५–२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>दिनांक</b> – ३१.०१.२०२६ |
| <b>सार्वजनिक सूचना</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा जनपद - खीरी द्वारा नगर पालिका अधिनियम, १९१६ की धारा २९८ एवं उसमें दी गयी उपधाराओं तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों एवं निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 0८.१०.२०२५ के प्रस्ताव संख्या - ११ उपविधि बनाने हेतु अनुमोदनोपरान्त आनसाइट स्वच्छता व्यवस्था अपशिष्ट ( फीकल स्लज सेप्टेज और और अपशिष्ट जल) के डीस्लजिंग परिवहन एवं ट्रीटमेंट संबंधी और प्रासांगिक अथवा अनुसांगिक मामलों के लिये उपविधि तैयार की गयी है । उपविधि का प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा (१) के अधीन समस्त नगरवासियों को आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त कराये जाने के उद्देश्य से उपविधि की पाण्डुलेख को प्रकाशित किया जाता है जिन पर उसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। |                            |
| अतः जिस किसी को इस सम्बंध में कोई आपत्ति / सुझाव देना हो वह अपनी लिखित आपत्ति / सुझाव नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौराके कार्यालय में इस सूचना प्रकाशन के ३० दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। केवल उन्ही आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तिथि से ३० दिनों के अन्दर प्राप्त होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| <b>फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए राज्य मॉडल उपविधि २०२५</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| <b>अधिसूचना</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९१६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोखा) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए निम्न लिखित उपविधियां बनाई गयी हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>प्राधिकार:</b> ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| (क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, २०१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| (ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, २०१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| (ग) सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन २०१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| (घ) मॉडल निर्माण उपविधि, २०१६ तथा अन्य लागू भवन उपविधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| (ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट - २०१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| (च) आईएस कोड २४७० भाग क और क्क १९८५ (१९९६ रीअफर्ल्ड) सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| (छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| (ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, १९७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| (झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू. पी. जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, १९७५, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, २००८; तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b>क्षेत्र (स्कोप)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| ये उपविधि की नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमे सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा भवनों पर लागू होगा।                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| <b>अध्याय I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>प्रारंभिक</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| <b>१. संक्षेप – शीर्षक, विस्तार और आरंभ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| (i). इन उपविधियों को फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, २०२५ कहा जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| (ii). ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज - पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>२. परिभाषा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b>‘एक्सेस कवर’</b> का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रखरखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक / पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| <b>‘अपेलेट बॉडी’</b> निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और / या कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से संबंधित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| <b>‘फीकल स्लज या सेप्टेज का को- ट्रीटमेंट’</b> उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन - साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <b>‘को - ट्रीटमेंट फैसिलिटी’</b> का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <b>‘विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली’</b> का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| <b>‘नियुक्त अधिकारी’</b> निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे ( नगर आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपि गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| <b>‘डिस्लजिंग’</b> का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक / पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>‘निस्तारण’</b> का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>‘एफ्लूयंट’</b> का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिल्लावी (द्रव) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>‘फीकल स्लज एवं सेप्टेज’</b> का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री <span> </span> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| <b>‘फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)’</b> का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| <b>‘ग्रे वाटर’</b> का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| <b>‘होस्ट यूएलबी’</b> का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय 'होस्ट' बना रहेगा;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <b>‘ईनसेनिटरी लेट्रिन्स’</b> का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल - कीचड़ ) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <b>‘लाइसेंस’</b> का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <b>‘लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर’</b> (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>‘अधिसूचित स्थान’</b> का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b>‘ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)’</b> ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी / व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भूखंड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखंड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखंड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| <b>‘ऑपरेटर’</b> का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>‘मालिक’</b> का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <b>‘व्यक्ति’</b> का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| <b>‘सेनिटरी लेट्रिन्स’</b> का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b>‘सेप्टिक टैंक’</b> भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड २४७० के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <b>‘शेड्यूल्ड डीस्लजिंग’</b> का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर २ - ३ वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| <b>‘सेप्टेज’</b> का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| <b>‘सीवेज’</b> का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/ यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| <b>‘सीवर’</b> वो प्रणाली ( सीवर लाइन / पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <b>‘सीवेज पम्पिंग स्टेशन’</b> का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>‘सीवेज उपचार संयंत्र’</b> का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| <b>‘निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी’</b> का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| <b>‘परिवहन या ढुलाई’</b> का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| <b>‘उपचार’</b> का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसएस / मल जल / अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <b>‘उपचार सुविधा’</b> का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>‘यूएलबी क्लस्टर’</b> का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी / ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय जिसके साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| <b>‘निकाय पंजीकृत (वैक्युम) टैंक’</b> का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| <b>‘निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)’</b> ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| <b>‘अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर’</b> का अर्थ घरेलू / व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>‘कर्मी’</b> का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार / निस्तारन उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है। |
| <b>अध्याय II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

### ३. परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात:

- i. यदि घर की सीमा से ३० मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करे।
- i. अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।
- यदि संपत्ति के ३० मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक - पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड २४७० भाग १ और २ के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-१)
- iv. वे परिचित्ताें को प्रतिदिन - किलो लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं और उनके परिसर के भीतर वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी / फ्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

### अध्याय III

### ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

### ४. मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे:

- i. उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखंड या जल निकायों के सभी निर्माण को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रखरखाव करेंगे।
- ५. **ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव**
  - i. ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड २४७० भाग १ और २ ' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।
  - ii. ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक / निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।
  - iii. परिसर का मालिक नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर ( प्रत्येक २-३ वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। ( अथवा जैसा कि परिशिष्ट २ में सुझाया गया है)।
  - iv. परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।
  - V. परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।
  - vi. नियमों के पालन के लिए नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा समय-सीमा के भीतर अपने खर्चें पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार / संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।
  - vii. नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग / सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

### अध्याय IV

### फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

### ६. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

- i. नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।
- ii. नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा अपने कर्मियों सहित ओपेरेटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के १ महीने के भीतर किया जाएगा।
- iii. जब ऑपरेटर को लेगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म १ (परिशिष्ट-४) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के २ महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।
- iv. नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।
- v. इन विनियमों के फॉर्म २ (परिशिष्ट-५) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा ।
- ७. **लाइसेंस जारी करने की शर्तें**
  - i. लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड २ (७७) में परिभाषित ६ व्यक्तिह्र से होगा।
  - ii. आवेदक को उचित सक्शन / वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव - मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।
  - iii. नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाणपत्र होगा।
  - iv. आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के साथ पंजीकृत करेगा।
  - V. आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले / किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड १६ में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।
  - vi. आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।
  - vii. आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपनविधि के परिशिष्ट - ३ में दी गई सूची के अनुसार होगा ।

### ८. लाइसेंस के लिए आवेदन

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म १ के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट -४ देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म - २, परिशिष्ट- ५)

### ९. लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

### १०. लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क

नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय- समय पर नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क ( १०.१ देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

### १०.१ पंजीकरण के शुल्क और वैधता

- i. ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क **₹.५०००.००**
- ii. पंजीकरण की वैधता: पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके **अधिकतम ०१ वर्ष (०१ अप्रैल से ३१ मार्च)** तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी ।

- iii. लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क : **₹.२,५००.००**

### ११. लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

### १२. जागरूकता अभियान

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाए जाएगा।

### अध्याय V

### फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन / संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

### १३. संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा

- i. भवन के प्रत्येक मालिक / अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।
- ii. मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-६ देखें)
- १४. **फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी / ढुलाई का शुल्क**
  - i. समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (परिशिष्ट २ देखें)
  - ii. शहर में जब कभी नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा ह्रशेड्यूल्ड डीस्लजिंग ह्र् पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति / जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
  - iii. लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक / अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसुलेगा।



iv. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और दुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुमाना लगाया जाएगा।

**15. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई के वाहन**

- i. फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और दुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।
- ii. आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।
- iii. डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल दुलाई के लिए समय-समय पर नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।
- iv. ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।
- v. वाहन / टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में ( सावधानी के लिए) "septic tank waste ( अंग्रेजी में) और **‘मकुंड अपशिष्ट’** (हिंदी में) लिखा होगा।
- vi. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार [ नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी ] और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

**16. दुलाई के दौरान सावधानी**

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक दुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

**17. दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय**

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

**18. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी**

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों / उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

**19. नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा – उपाय**

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस - डिटेक्टर, गैस मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन - मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देवर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

**20. फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण**

- i. लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।
- ii. लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट - 6 देखें)
- iii. होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।
- 21. निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार**
  - i. निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म - 4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जाएगा।
  - ii. नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।
  - iii. नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।
  - iv. संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा किया जाएगा।
  - v. होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे ह्ऊउपचार सुविधाह में निस्तारित किया जा सकता है।
  - vi. एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि ह्ऊ होस्ट यूएलबीह्ऊ को लगे कि क्लस्टर यूएलबी / ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

**22. निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्त्तव्य**

- i. निकाय या ग्राम पंचायत [जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस निकाय का नाम ] होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।
- ii. निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/ सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।
- iii. यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।
- iv. नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।
- v. होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा
- vi. यदि ह्ऊहोस्ट यूएलबीह्ऊ की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा को एक नए ह्ऊ होस्ट यूएलबी ह्ऊ की खोज करनी चाहिए या नए र उपचार सुविधाह्ऊ के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

**23. कर्मियों का प्रशिक्षण**

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, दुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

**24. कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच**

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

**25. बीमा**

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देवर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 ( सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य ) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, दुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27-03- 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

**26. लाइसेंस रह किया जाना**

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी ( अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

**अध्याय VI**

**फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुन: उपयोग/निस्तारण**

**27. उपचार / निस्तारण स्थल की पहचान**

- i. नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा उस स्थल ( स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार / निस्तारण किया जाएगा।
- ii. उपचार सुविधा के अभाव में नगर पंचायत ओवल ढखवा, आस पास के होस्ट यूएलबी जिसमे सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा ( फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)
- iii. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के आसपास के क्षेत्र में ‘ क्लस्टर यूएलबी’ की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खंड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

**28. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसरचना का निर्माण**

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार / निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति

- i. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ ) को नियुक्त किया जाएगा। [ यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी ]
- ii. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम ह्ऊ उपचार सुविधाए में स्थानांतरित करने या इसे ह्ऊ होस्ट यूएलबीह्ऊ के ह्ऊउपचार सुविधाह्ऊ में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी ( किसी भी लिंग का हो सकता है ) नियुक्त करेगा। [यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं]

**30. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय**

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर [ निकाय (या होस्ट यूएलबी लागू हो) ] द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

31. औद्योगिक अपशिष्ट जनकी अनुमति नहीं है

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार / निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

33. उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

**अध्याय VII**

**प्रशासन और प्रवर्तन**

**34. प्रशासन और प्रवर्तन**

- i. इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ [ नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी] अथवा नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।
- ii. नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा फीकल स्लज की निकासी, दुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क ( यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।
- iii. नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- iv. नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी दुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जन्सी रिसर्पोंस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

**35. जांच के लिए विशेष शक्ति**

इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

**36. नियम उल्लंघन और जुमाना**

- i. इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।
- ii. किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति - (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्त्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस / सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।
- iii. इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट - 8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्ति्थि में एफ एस एस निकासी / ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।
- iv. जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट - 8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा द्वारा तय किए जाने वाले जुमाने के साथ दंडनीय होगा।
- v. सदैह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

**37. अपील**

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट - 9 देखें)

**38. विवाद समाधान उपविधि**

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

**39. फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन**

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

**40. संदर्भ प्रलेख**

उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट - 10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

**41. डीस्लजर के लिए सम्मान / पुरस्कार**

अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय- समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी ( डीस्लजिंग) ऑपरेटरोंके लिए सम्मान / पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

**42. उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश**

इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

**परिशिष्ट-1**

( खंड 2(xxiii ) 3 (iii) और 5 (i) देखें )

**सेप्टिक टैंक का डिजाइन**

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है ( आईएस 2470 [भाग 1] 1985 ) । सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खंड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

**सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन**

- आयताकारः लंबाई और चौड़ाई का अनुपात: 2 से 4
- गहराई: 1, 0 से 2.5 मी. के बीच
- दो कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का 2/3
- तीन कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा
- मशीन-छेद (मैनहोल ) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

**सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार**

| उपयोगकर्ता की संख्या | लंबाई (मी.) | चौड़ाई (मी.) | द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) ( मी. ) |
|----------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
|                      |             |              | दो वर्ष                             |
| 5                    | 1.5         | 0.75         | 1.05                                |
| 10                   | 2           | 0.90         | 1.40                                |
| 15                   | 2           | 0.90         | 2.00                                |
| 20                   | 2.3         | 1.10         | 1.80                                |

**नोट 1:** सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों ( तरल प्रवाह ) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस 2470 ( भाग 1), 1985 देखें ।

**नोट 2:** फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए ।

स्रोत: सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल - भाग ए: इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

**सेप्टिक टैंक की क्षमता**

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुएं है:

- अवसादन (सेडीमेंटेशन) : निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली / मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- फीकल स्लज डाइजेशन: डेएजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए ।
- फीकल स्लज और मल भंडारण: फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भंडारण क्षमता 00002 \*365 = 0,073 m3 / कैपिटा की आवश्यकता होती है।
- फ्री बोर्डः कम से कम 0.3 मी.

परिशिष्ट-2

( खंड 14 (i) और 5 (iii) देखें )

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की दुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क ( यूजर फीस ) की सूची -

| क्र. सं. | श्रेणी                                 | रु. में शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3000 लीटर तक ) |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.       | आवासीय                                 | 1200                                             |
| 2.       | व्यावसायिक                             | 1700                                             |
| 3.       | सरकारी स्कूल / कालेज                   | 1200                                             |
| 4.       | निजी स्कूल/ कालेज                      | 1700                                             |
| 5.       | सरकारी कार्यालय                        | 1200                                             |
| 6.       | होटल रेस्टोरेन्ट, निजी अस्पताल         | 1700                                             |
| 7.       | राइस मिल / अन्य मिल व औद्योगिक संस्थान | 2200                                             |

स्रोत: सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट: उपयोगकर्ता शुल्क ( यूजर फीस ) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है

| <b>परिशिष्ट – 3</b>                  |
|--------------------------------------|
| (खंड <span> </span> : 7 (vii) देखें) |

**बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण**

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए:-

- i. शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं
- ii. शरीर की रक्षा सज्जा / सुरक्षा बेल्ट
- iii. सर्जिकल फेस मास्क / रेस्पिरैटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है
- iv. सेफ्टी टॉर्च
- v. भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं
- vi. संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे शैलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स
- vii. टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट ( कॉर्डेड ) जो अंधरे में काम करने के लिए मददगार होता है
- viii. दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85डिं से अधिक होता है
- ix. आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट
- x. गैस मॉनीटर
- xi. हेडलैप
- xii. गाइड पाइप सेट
- xiii. सेफ्टी ट्राइपॉड सेट
- xiv. वेडर बूट



xv. एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

xvi. मॉड्यूलर एयरलाईस सप्लाय ट्रूली सिस्टम

xvii. रेनकोट

परिशिष्ट-4

(खंड 6 (iii) और 8 देखें)

कार्यालय नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा लखीमपुर-खीरी

Registration form for Private Desludging Operator

फॉर्म 1: निकाय नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा जनपद - खीरी में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस

आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम: ( श्री / सुश्री ) : \_\_\_\_\_

2. पता: \_\_\_\_\_

3. पंजीकृत कार्यालय का पता: \_\_\_\_\_

4. टेलीफोन नंबर: ( कार्यालय ) \_\_\_\_\_

( मो. ) : \_\_\_\_\_

ईमेल आईडी: \_\_\_\_\_

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर / टेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

मल कीचड़ साफ करने वाले वाहनों का विवरण

| स.न. | वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर | वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर- माउंटेड या ट्रक माउंटेड) | प्रतिरूप (मॉडल) संख्या | वैक्यूम टैंकरों/ टैंकर की छमता (लीटर में) | बीमा किस तारीख तक वैध है | टिप्पणी |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| i    |                          |                                                      |                        |                                           |                          |         |
| ii   |                          |                                                      |                        |                                           |                          |         |
| iii  |                          |                                                      |                        |                                           |                          |         |
| iv   |                          |                                                      |                        |                                           |                          |         |

7. लाइसेंस की प्रसिसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद- \_\_\_\_\_

( रसीद संख्या )

8. संलग्न प्रलेखों की सूची ( स्व - प्रमाणित प्रति) (हां / नहीं) :

| दस्तावेज के प्रकार | हां / नहीं | दस्तावेज के प्रकार | हां नहीं | दस्तावेज के प्रकार                    | हां नहीं |
|--------------------|------------|--------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| पहचान प्रमाण       |            | पता प्रमाण         |          | कर्मचारियों की सूची                   |          |
| पंजीकरण प्रमाणपत्र |            | फिटनेस सर्टिफिकेट  |          | बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण पत्र |          |
| प्रदूषण प्रमाणपत्र |            | ड्राइविंग लाइसेंस  |          | पासपोर्ट साइज फोटो                    |          |

अनुलग्नकों की कुल संख्या: \_\_\_\_\_

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :- \_\_\_\_\_

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और दुलाई की जाएगी।

2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और दुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञतिधारी ऑपरेटर घर / संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसुलेगा।

3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक दुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6. अनुज्ञतिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8. वाहन / टैंकर कर को पोले रंग से पेंट कियाजाएगाजिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" ( अंग्रेजी में) और 'मलकुंड अपशिष्ट' (हिंदी में) लिखाहोगा।

9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में \_\_\_\_\_ तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5

खंड 6 (v) और 8 देखें

लाइसेंस प्रारूप

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा

फॉर्म 2: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, दुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना

निकाय (निकाय का नाम) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल - कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, दुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस इसके द्वारा अनुमति दी जाती है :

1. आवेदक का नाम: ( श्री / सुश्री ) : \_\_\_\_\_

2. पत्राचार का पता: \_\_\_\_\_

3. निकाय ( नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत) का नाम) में फीकल स्लज सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्या :- \_\_\_\_\_

4. मान्यता \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक

5. वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबर : (i) \_\_\_\_\_ (ii) \_\_\_\_\_ (iii) \_\_\_\_\_ (iv) \_\_\_\_\_

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और दुलाई की जाएगी।

2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और दुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञतिधारी ऑपरेटर घर / संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसुलेगा।

3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक दुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6. अनुज्ञतिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8. वाहन / टैंकर कर को पोले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" ( अंग्रेजी में) और 'मलकुंड अपशिष्ट' (हिंदी में) लिखा होगा।

9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह मे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीलजिंग संचालन की बनानी चाहिए।

10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खंड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए दिनांक: \_\_\_\_\_ समय: \_\_\_\_\_

I. ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण

1. नाम: \_\_\_\_\_

2. पता: \_\_\_\_\_

(क) वार्ड संख्या : \_\_\_\_\_ (क) टेलीफोन नं. : \_\_\_\_\_

II. रोकथाम

1. निर्माण का वर्ष \_\_\_\_\_

2. पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY) : \_\_\_\_\_

3. आउटलेट मौजूद (हां / नहीं) : \_\_\_\_\_

4. यदि हां, तो किससे जुड़ा है : \_\_\_\_\_

5. रोकथाम के प्रकार: ( चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

| रोकथाम के प्रकार               | सही करें | रोकथाम के प्रकार     | सही करें |
|--------------------------------|----------|----------------------|----------|
| सेप्टिक टैंक टिवन              |          | टवीन पिट ( पंक्तिबध  |          |
| संग्रह टैंक                    |          | टिवन पिट ( अनलाइन्ड  |          |
| सोखा गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक |          | पूरी तरह से अटे टैंक |          |
| सिंगल पिट ( लाइनेड )           |          | सिंगल पिट ( अनलाइन ) |          |

6. रोकथाम का आकार और आकार : नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें

7. संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान ( चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें )

| घर में स्थान           | सही करें | घर में स्थान            | सही करें |
|------------------------|----------|-------------------------|----------|
| घर के पिछले हिस्से में |          | एक कमरे के फर्श के नीचे |          |
| घर के सामने की तरफ     |          | अन्य                    |          |

III. कीचड़ साफ करना

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर) \_\_\_\_\_

2. कीचड़ निकालने में लगने वाला समय: \_\_\_\_\_

3. ट्रिप की लंबाई (किमी) : \_\_\_\_\_

4. आने-जाने में समय: \_\_\_\_\_

IV. कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम: \_\_\_\_\_

ड्यूटी पर खाली स्टाफ त्ररररर ऑपरेटर: \_\_\_\_\_

ड्यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर

उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

(खंड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4: “होस्ट यूएलबी” पर उपलब्ध “उपचार संयंत्र” में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकायके उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय ( नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत) और होस्ट निकाय ( होस्ट निकायका नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय ( संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज ( फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, “होस्ट यूएलबी” ( होस्ट निकायका नाम) के प्रशासन के तहत “उपचार संयंत्र” पर, समझौता।

प्रथम पक्ष “होस्ट यूएलबी” - नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा

द्वितीय पक्ष “एक्सवायजेड यूएलबी” ( संपर्क करने वाले निकाय का नाम ) - \_\_\_\_\_

उपबंध:

1. यह कि “प्रथम पक्ष” दिनांक दिन / महीना / वर्ष (प्रारंभ तारीख ) से दिन / महीना / वर्ष (प्रारंभ तारीख ) तक “द्वितीय पक्ष” की प्रशासनिक सीमाओं से उनके “उपचार संयंत्र” पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। / वर्ष ( अंतिम तिथि )

2. “प्रथम पक्ष” अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने “उपचार संयंत्र” पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3. यह कि “द्वितीय पक्ष” समझ के अनुसार “प्रथम पक्ष” को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु. XXX देने के लिए सहमत है।

4. यह कि “प्रथम पक्ष” उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5. कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

6. कि “द्वितीय पक्ष” केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर हू द्वितीय पक्षर की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

| प्रथम                        | द्वितीय पक्ष                                                                                  |                      |                          |                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| अधिशाषी अधिकारी का हस्ताक्षर | अधिशाषी अधिकारी का हस्ताक्षर                                                                  |                      |                          |                                        |
| परिशिष्ट-8                   |                                                                                               |                      |                          |                                        |
| जुमानां और फाइन              |                                                                                               |                      |                          |                                        |
| क्रम संख्या                  | विवरण                                                                                         | खंड संख्या           | सांकेतिक फाइन सीमा (में) | जुमानां ( या किसी अन्य पीनल एक्शन में) |
| 1.1                          | नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा / असुरक्षित प्रवाह                              | 3                    | 50-100                   |                                        |
| 1.2                          | लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला                                                                 | 3                    | 50-100                   |                                        |
| 1.3                          | लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला                                                                 | 3                    | 10-15 प्रति दिन          | संपत्ति की जब्ती                       |
| 2.1                          | ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण                                                         | 5                    | 100-150                  |                                        |
| 2.2                          | लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला                                                                 | 5                    | 100-150                  |                                        |
| 2.3                          | लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला                                                                 | 5                    | 10-15 प्रति दिन          | संपत्ति की जब्ती                       |
| 3.1                          | बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना                                             | 6                    | 50-100                   |                                        |
| 3.2                          | लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला                                                                 | 6                    | 50-100                   |                                        |
| 3.3                          | लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला                                                                 | 6                    | 150-200 प्रतिदिन         | वाहन की जब्ती                          |
| 4. 1                         | आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन                                                | 16, 17               | 1000-1500                |                                        |
| 4.2                          | लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला                                                                 | 16, 17               | 1000-1500                |                                        |
| 4.3                          | लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला                                                                 | 16, 17               | 300 प्रति दिन            | वाहन की जब्ती                          |
| 5.1                          | एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना                                                         | 27, 28, 33           | 5000-10000               |                                        |
| 5.2                          | लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला                                                                 | 27, 28, 33           | 5000-10000               |                                        |
| 5.3                          | लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला                                                                 | 27, 28, 33           | 1000-1500 प्रति दिन      | संपत्ति की जब्ती                       |
| 6.1                          | निकायद्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना | 6, 7, 14, 27, 28, 29 | 5000-10000               |                                        |
| 6.2                          | लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला                                                                 | 6, 7, 14, 27, 28, 29 | 5000-10000               |                                        |
| 6.3                          | लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला                                                                 | 6, 7, 14, 27, 28, 29 | 1500-2000 प्रति दिन      | वाहन की जब्ती                          |

नोट: जुमानें और जुमानें की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिए। शहर में यूएलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-9

अपील हेतु ज्ञापन

( खंड 37 देखें)

फॉर्म 5: अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, “अपीली प्राधिकार के पास \_\_\_\_\_ (पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नाम : \_\_\_\_\_

2. आवेदक का पता: \_\_\_\_\_

3. नगर पालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई नाम: \_\_\_\_\_ पद \_\_\_\_\_

4. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई: \_\_\_\_\_

5. अपील दायर करने की तारीख : \_\_\_\_\_

6. सूचना विवरण

क. संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)

ख. अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)

सत्यापन

मैं, \_\_\_\_\_ ( अपीलकर्ता का नाम ) पुत्र/पुत्री / पत्नी \_\_\_\_\_ एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान: \_\_\_\_\_ तिथि: \_\_\_\_\_

अनुलग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेख:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

फाई. \_\_\_\_\_

पावती

संख्या. \_\_\_\_\_ तिथि: \_\_\_\_\_

अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

तिथि: \_\_\_\_\_

| अधिशासी अधिकारी                       | अध्यक्ष                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा जनपद-खीरी। | नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा जनपद-खीरी |



### संक्षेप

## डीएफसी लाइन किनारे मिला युवक का शव

इटावा। बसरेहर थाना क्षेत्र में डीएफसी रेलवे लाइन के किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक मजदूरी करने निकला था, जिसके बाद दोपहर में उसकी मौत की सूचना मिली। परिवार ने युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए पुलिस से गहन जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।मृतक की पहचान शहर की आईटीआई आसरा कालोनी निवासी 31 वर्षीय मोहम्मद चांद पुत्र चमन के रूप में हुई है। उसके पिता चमन ने शव की शिनाख्त की।परिवार के अनुसार माहम्मद चांद तीन भाइयों में सबसे बड़ा और अविवाहिता था। वह मजदूरी करते अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शनिवार मोहम्मद चांद रोज की तरह काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था।

## मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल

बकेवर, इटावा।थाना क्षेत्र के राज माता गेस्ट हाउस के पास जमीनी रंजिश के चलते घर में घुसकर आधा दर्जन नामजद सहित चार पांच अज्ञात लोगों ने एक बृद्ध महिला सहित तीन लोगों को घायल करके 20 हजार रुपए लूटने का मुकदमा पुलिस ने न्यायालय के आदेश से डेढ़ माह बाद फाँट दिया। राज माता वाटिका के सामने निवासी शैलेंद्र कुमार पुत्र स्व विद्याधर पाठक ने न्यायालय में दिये शिकायती पत्र में बताया है कि 10 दिम्बर 25 की शाम करीब 6.20 बजे घर पर मौजूद था उसी समय जमीनी रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ घर में घुस आये और गाली-गलौच करने लगे शैलेंद्र ने गाली-गलौज करने से मना किया तो नामजद आरोपित लोग हाथों में लिये लाठी डड्डे लोहे की राड से पीटने लगे घर में मौजूद माँ राज कुमारी, उनका पुत्र यश बचाने आया तो उन लोगों को भी मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शैलेंद्र की जेब में रखे 20 हजार रुपए लूट कर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पीयूष पाठक, उनकी पत्नी पूनम पाठक निवासीगण आजादनगर बकेवर, सत्यम, शिव कुमार पुगण जगदीश निवासीगण ग्राम बहादुरपुर घार थाना लवेदी, जय सिंह पुत्र अज्ञात निवासी शास्त्रीराम, मोनू त्रुन भूर निवासी लोहिया नगर बकेवर के अलावा पाँच लोग नाम पता अज्ञात के विरुद्ध घटना के डेढे माह बाद मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच शुरू की।

## कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का आकस्मिक निधन

इटावा।पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. बलराम सिंह यादव के पुत्र जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं इटावा औरैया में विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक अजय यादव गुड्डू के दिल्ली में निधन के बाद उनका शव उनके आवास बलराम सिंह चैराहे के पास पहुंचने पर अन्तिम दर्शन करने वालों की भारी भीड़ जुटी, और उन्हें पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित की, अन्तिम संस्कार उनके पैतृक गांव खरगपुर सरैया में होगा। श्रद्धांजलि देने वालों में अजन्त सिंह यादव, कुमदेश यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष अनू गुप्ता, महामंत्री प्रशांत राव चैबे, व्यापार जिलाध्यक्ष आशुतोष दीक्षित, कृष्ण मंडल जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित, शफी डा. आशीष दीक्षित, केके यादव सहित हजारों लोग मौजूद रहे।

# संविदा कर्मचारी की हत्या के आरोप में पत्नी और सास-ससुर गिरफ्तार

**जिला संवाददाता(vol)**

बरेली। बरेली जिले के इज्जतनगर थाना पुलिस ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) में संविदा पर तैनात एक कार्यालय सहायक की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी और सास-ससुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

बरेली शहर के क्षेत्राधिकारी तृतीय पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि 26 जनवरी को कैलाशपुरम की गिरजा शंकर कॉलेनी में एक मकान से जितेन्द्र कुमार यादव (33) का शव फंदे से लटक़ा मिला था। मूलरूप से इटावा जिले का निवासी यादव यहाँ किएए के मकान में रहता था।

उन्होंने बताया कि प्रारंभ में इस घटना को आत्महत्या माना गया था,

लेकिन यादव के भाई अजय कुमार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर यादव की पत्नी ज्योति समेत चार लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया और शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

सीओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि जितेन्द्र कुमार यादव की मौत गल दबाने के कारण हुई जिसके आधार पर 27 जनवरी को मामले को हत्या में तर्मीम कर दिया गया। उन्होंने बताया कि शनिवार को पुलिस ने इस मामले में यादव की पत्नी ज्योति, उसके पिता कालीचरण और मां चमेली को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि पूछताछ में ज्योति ने बताया कि वह और जितेन्द्र एक साथ पढ़ते थे और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। जितेन्द्र संविदा पर आईवीआरआई बरेली में नौकरी करने

## यमुना पुल के नीचे मिले शव की पहचान

इटावा। चकरनगर थाना क्षेत्र के डिभौली यमुना पुल के नीचे शुक्रवार दोपहर संदिग्ध हालात में मिले किशोरी के शव की पहचान 24 घंटे के भीतर हो गई।रक्तदाता समूह के प्रयास से मृतका की शिनाख्त औरैया जनपद के थाना एर्वाकटारा क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी के रूप में हुई जो कक्षा 11 की छात्रा थी।

किशोरी ने बीते दो दिनों से लापता था और उसके स्वजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे।पोस्टमार्टम हाउस में पिता द्वारा शव की पहचान किए जाने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। डिभौली यमुना पुल के नीचेरेत पर एक किशोरी का शव पड़ा होने की सूचना मिलने पर चरकनगर पुलिस मौके पर पहुंची थी।

शव की हालत संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर शव की पहचान नहीं हो सकी थी, जिसके बाद पुलिस ने शिनाख्त के प्रयास तेज कर दिए थे।

## दो ग्राहकों की हत्या करने के आरोप मे दावा मालिक गिरफ्तार

**जिला संवाददाता(vol)**

गाजियाबाद।खोड़ा इलकेमें एक ढाबे पर खाना परोसने में देर को लेकर हुए झगड़े के बाद दो ग्राहकों की हत्या और एक अन्य को गंभीर रूप से घायल करने के मामलेमें पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपायुक्त (ट्रांस-हिंडन) निमिष पाटिल ने बताया कि ढाबे के मालिक धर्मेन्द्र (45) को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मुकदमे में नामजद ढाबे के चार अन्य कर्मचारियों नागेश, विशेष, सूरज और राजन

# रोडवेज बस की टक्कर से दो श्रद्धालुओं की मौत

मेरठ। जिले में दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह तेज रफ्तार एक रोडवेज बस की टक्कर लगने से पैदल यात्रा कर रहे दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के अनुसार, खत्तौली के पुरानी शिवपुरी मोहल्ला निवासी हरिओम (42) अपनी पत्नी सरिता और पड़ोसी सरला (59) के साथ नंगली तीर्थ के लिए पदयात्रा पर निकले थे। रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे जब वे दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव के पास शिव ढाबा के सामने पहुंचे तभी देहरादून की ओर से आ रही तेज रफ्तार एक रोडवेज बस तभी की टक्कर मारती हुई निकल गई। पुलिस के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि हरिओम और सरल की मौके पर

ही मौत हो गई जबकि सरिता गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राजमार्ग पर जाम लग गया। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। दौराला थाना प्रभारी निरीक्षक सुमन कुमार सिंह ने बताया कि हरिओम और सरल की मौत हो गयी जबकि सरिता का उपचार जारी है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और फिलहाल परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि फरार बस चालक और वाहन की नंबर प्लेट की पहचान की जा सके।

## प्रादेशिक

# आदर्श स्कूल में पूर्व छात्राओं को सम्मानित किया

लगा और ज्योति भी रोडवेज में संविदा पर बस कंडक्टर के तौर पर काम करने लगी। परिवार की सहमति से दोनों ने पिछले वर्ष शादी कर ली। ज्योति ने कबूल किया कि रुपयों के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। ज्योति ने इस बारे में अपने पिता कालीचरण को भी बताया हुआ था। 26 जनवरी को कालीचरण अपनी पत्नी चमेली और बेटे दीपक के साथ उसके घर पहुंचा। उस समय जितेन्द्र और ज्योति के बीच हाथापाई हो रही थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि पूछताछ में ज्योति ने कबूल किया कि उसके पिता, मां और भाई ने जितेन्द्र के हाथ-पैर पकड़ लिए और उसने जितेन्द्र का गला दबा दिया। आरोपियों ने इस घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए जितेन्द्र को फंदे पर लटका दिया।

## उद्धव गोपी संवाद सुन श्रोता हुए भाव-विमोर

इमंडगंज, मीरजापुर। क्षेत्र के बबुरा कलां गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के छठवें दिन रविवार को श्रीधाम वृंदावन से पथारे कथा वाचक पंडित प्रेम मूर्ति महराज ने उद्धव गोपी संवाद, भगवान कृष्ण और रूक्मिणी के विवाह का भक्तों को रसपान कराया। कथावाचक ने कहा कि भगवान निराकार हैं और सभी जगह विद्यमान हैं।

भगवान श्रीकृष्ण ज्ञान के साथ प्रे व भक्ति का मर्म समझाने के लिए उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम और भक्ति देखकर उद्धव अपने ज्ञान को भूल जाते हैं।कथावाचक ने कहाकि भगवान का स्मरण करने से ही संसार रूपी भव सागर को पार किया जा सकता है। श्रीमद्भागवत कथा मनुष्य को ईश्वर की भक्ति के लिए

## बम की सूचना पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

वाराणसी। इंडिगो एयरलाइंस के विमान में बम होने की सूचना पर उसे रविवार को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस के अनुसार विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बम निरोधक दस्ता, दमकल गाड़ियां और पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों एवं विमान की गहन तलाशी ली गई।

पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद से वाराणसी आ रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान में मिले एक कागज के टुकड़े पर लिखा था कि विमान में बम रखा है और किसी भी वक्त फट सकता है। उन्होंने बताया कि इस पर चालक दल के सदस्यों ने वायु यातायात नियंत्रण कक्ष को सूचित किया,

जिसके बाद वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षा कारणों से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उन्होंने बताया कि विमान को पूर्वी छोर पर रोक कर रखा गया और यात्रियों को नीचे उतारा गया। सूत्रों ने बताया कि विमान में बम की सूचना पर बम निरोधक दस्ता, दमकलविभाग के कर्मचारी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्यवाही शुरू की। सूत्रों ने बताया कि विमान की सघन तलाशी ली गई, साथ ही सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों की भी तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि हालांकि इस दौरान कोई भी विस्फोटक या अन्य कोई हानिकारक सामग्री नहीं मिली। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां मामले को जांच कर रही हैं।

## धूमधाम से मना संत रविदास का 649 वां जन्मदिवस

सोनभद्र । रविवार माघ पूर्णिमा को डॉ. बी.आर अंबेडकर एवं संत रविदास समिति जनपद सोनभद्र द्वारा समिति के संरक्षक श्रीपति मास्टर के अध्यक्षता और मंदिर पुजारी राम दुलारे ब्यास,बिसुन दास व सुक्कल दास ने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महान संत एवं समाज सुधारक दलित समाज की सरताज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का 649 वां जन्मोत्सव को संत रविदास मंदिर प्रांगण में मनाया जा रहा है संत गुरु रविदास जी ऐसी महापुरुष थे जिन्होंने सर्वप्रथम रूढ़िवादी व्यवस्था एवं अधंश्चरवास पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का संकल्प लिया इसके

### पंसारी टोला जैन मंदिर में शांतिनाथ विधान हर्षोल्लास के साथ संपन्न

इटावा। शहर के प्राचीन एवं भव्य दिगंबर जैन पंचमूर्ति मंदिर, पंसारी टोला में पूर्णिमा के पावन अवसर पर शांतिनाथ विधान का श्रद्धा, भक्ति और उत्सास से परिपूर्ण भव्य धार्मिक आयोजन किया गया कार्यक्रम की शुरुआत प्रतःकाल विधि-विधान के साथ श्रीजी के केसर जल से अभिषेक एवं शांतिधारा से हुई, जिसे पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया। प्रतिष्ठाचार्य पंडित सतेंद्र जैन के निर्देशन में विधान का शुभारंभ किया गया। अभिषेक के उपरांत श्रद्धालुओं ने सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। विधान के दौरान महिलाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

# जयंती पर संत शिरोमणि रविदास को किया याद

**जिला संवाददाता(vol)**

सोनभद्र ।गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) द्वारा रविवार को तेलगुडुवा स्थित पार्टी के जिला कार्यालय संत शिरोमणि रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई।मुख्य अतिथि गोंगपा उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट संतोष कुमार गौतम ने सर्वप्रथम संत शिरोमणि रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण किया, उसके बाद बारी-बारी से सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित किया। कार्यकर्ताओं ने रविदास जी को याद करते हुए उनके मार्ग का अनुशरण करने का संकल्प दुहराया।

मुख्य अतिथि गोंगपा के उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट संतोष कुमार गौतम ने कार्यकर्ताओं को संघटित होकर कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार में शामिल होने के लिए एकजुटता जरूरी है।एससी/एसटी के लोगों के ऊपर आए दिन हो रहे अत्याचार और उन्पीड़न की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि धरना-

प्रदर्शन के माध्यम से ही अब गोंगपा कार्यकर्ताओं की समस्या का निदान होगा। अध्यक्षता कर रहे गोंगपा के जिलाध्यक्ष रामनरेश पोया ने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विजयगढ़ दुर्ग पर तीन दिवसीय विराट आदिवासी मेले का आयोजन 25 से 27 फरवरी 2026 तक किया गया है। इसमें आदिवासी कन्याओं का सामूहिक विवाह भी होगा। जिसकी तैयारी में अभी से कार्यकर्ता जुट जाएं, ताकि कार्यक्रम सकुशल सम्पन्न हो सके। उन्होंने पंचायत चुनाव के मद्देनजर भी कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुटने का आह्वान किया है।इसी प्रकार अन्य वक्तताओं ने भी विभिन्न समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराया है। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला संगठन सचिव हीरालाल मरपल्ली ने किया।

इस मौके पर चन्द्रशेखर साहनी, जानी सिंह पोया, अयोध्या प्रसाद टेकाम, हीरालाल मरकाम, चंद्रदेव रामचंद टेकाम आदि पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे

## बॉयस ऑफ लखनऊ | 07

# प्रेम प्रसंग में हुई थी नाबालिग की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

शहजहाँपुर।जिले में एक नाबालिग की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पत्नी से प्रेम प्रसंग के कारण उक्त वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि अल्लहगंज थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव में शनिवार सुबह कमलेश कुमार (17) का शव उसके गांव में पंचायत घर के पास मिला था। सिर पर कई वार कर नाबालिग की हत्या की गयी थी। जांच में पया कि गांव के ही रहने वाले आरोपी अनीसी की पत्नी और कमलेश के बीच प्रेम प्रसंग था और दोनों आपस में व्हाट्स एप पर बातचीत करते थे। उन्होंने बताया कि इस बात का पता चलते ही अनीश शुक्रवार रात को कमलेश को उसके घर से बुलकर ले गया था। जब आरोपी कमलेश को बुलकर ले जा रहा था, तब उसकी बहन ने उसे साथ ले जाते हुए देख लिया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसने स्वीकार किया कि उसने कमलेश की डंडे से पीट-पीट कर हत्या की थी। आरोपी अनीश को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया गया।

## पूर्व पालिकाध्यक्ष समेत दो को 15-15 साल की सजा

गोंडा। जिले में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता रूपेश कुमार उर्फ निर्मल श्रीवास्तव समेत दो व्यक्तियों को अदालत ने शनिवार को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत शुक्ला ने आज बताया कि मोतीगंज थाना क्षेत्र के काजौदेव निवासी सुशील शुक्ला ने अपने भाई गौरव पर हमल किए जाने के आरोप में रूपेश कुमार उर्फ निर्मल श्रीवास्तव और त्रियुगी नारायण गुप्ता को खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार, 10 सितंबर 2012 को गौरव अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी दोनों आरोपी मौके पर पहुंचे और जान से मारने की नीयत से उन पर गोली चलायी। अभियोजन के अनुसार, गोली गौरव के पैर में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल जिल अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवेचन के दौरान साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गा नारायण सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करके तथा अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

### घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया

बकेवर, इटावा।जनपद मथुरा के छाता से कोलिङ लोदकर कस्वा फफूद जा रही डीसीएम आगरा कानपुर नेशनल हाइवे भरथना ओबरब्रिज के ऊपर अनियंत्रित होकर रखे पत्थरों से टकरा गयी जिससे नीचे खड़ी महिला के जाकर लगे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए 50 शैय्या अस्पताल भिजवाया।रविवार को दोपहर आगरा की ओर से आ रहे डीसीएम चालक वाहन को लेकर बकेवर थाना क्षेत्र के आगरा कानपुर नेशनल हाइवे भरथना ओबरब्रिज के ऊपर पहुँचा कि तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और डीसीएम असंतुलित होकर ओबरब्रिज के ऊपर रखे बड़े बड़े पत्थरों से टकराती हुई दो बिजली के खम्भे क्षतिग्रस्त करती हुई पुल के डिवाइडर से जा टकरायी डिवाइडर के पत्थर पुल के नीचे गिरने से अपने मायके बाबरपुर जाने के लिए आटो में बैठी महिला मधु पत्नी सुभाषचंद्र निवासी बिजौली थाना बकेवर इलाचा गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुँची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को एम्बुलेंस बुलाकर इलाज के लिए 50 शैय्या अस्पताल बकेवर भिजवाया। जहाँ इमरजेंसी डिव्यूटी में मौजूद चिकित्सक ने इलाज किया।महिला की गंभीर हालत दो देखते हुए चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।पुलिस ने डीसीएम चालक को हिरासत में लेकर थाने में बैठाया। डीसीएम की टक्कर से लुधियाना व पटिया फीडर को जाने वाली 11 हजार विद्युत लाइन को पुलिस ने बिजलीघर में सूचना देकर दोनो फीडरों की सर्प्लाई बंद करा दी।

### सुन्दरकांड व परिवार मिलन समारोह का आयोजन

भरथना, इटावा। भारत विकास परिषद पांचाल प्रान्त स्वामी विवेकानन्द शाखा भरथना के तत्वाधान में सुन्दरकाण्ड समिति द्वारा भव्य सुन्दरकाण्ड एवं परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 5 जरूरतमन्द महिलाओं को सिलाई मशीनें भी वितरित की गईं। कस्बा के बकेवर रोड स्थित ऊँ श्री पालाबलबा गंगासागर धाम पर रविवार को आयोजित भव्य सुन्दरकाण्ड पाठ का शुभारम्भ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मयादां पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम व पवनसुत हनुमान के तिलक चन्दन व पूजन अर्चन के साथ हुआ।तदुपरान्त परिषद सहित अन्य धर्मप्रमियों ने संगीतमयी सुन्दर काण्ड का पाठ किया। साथ ही परिवार मिलन समारोह के दौरान मंचासी मुख्य अतिथि श्याम सुन्दर चरैसिया, विशिष्ट अतिथि पालिकाध्यक्ष अजय कुमार यादव गुर्गुलू, थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह, रमेश शुक्ला आदि ने परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गई 5 सिलाई मशीनें जरूरतमन्द महिलाओं को भेंट की।इससे पहले परिषद के पदाधिकारियों ने आनक अतिथियों का माल्यार्पण व अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान अध्यक्ष चन्द्रशेखर राठौर, सचिव रामप्रकाश पाल, कोषाध्यक्ष लविश कौशल, देवेन्द्र पोरवाल, माधुरी श्रीवास्तव, डा0 आर0एन0 दुबे, सुनील दीक्षित कुक्कू, नेक्से पोरवाल, कुलदीप तिवारी, देवेन्द्र पोरवाल, शैलेन्द्र सिंह राठौर, निशान्त पोरवाल, अमित श्रीवास्तव, ऋषभ गुप्ता, निखिल पोरवाल, दरविन्दर सिंह, असित पाल, सुशील पाल, संजय माधवानी, विपिन पोरवाल, नीलू पाण्डेय सहित समस्त परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

### संघ के जिला प्रचारक पर हमला, दो गिरफ्तार

हाथरस।जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के जिला प्रचारक पर रविवार सुबह कश्तिद गोर पर एक विवाद के बाद पांच लोगों ने हमल कर दिया। पुलिस के अनुसार आरएसएस के घायल जिला प्रचारक जयकिशोर को इलज के र्छि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें आगरा रेफर किया गया है।पुलिस ने इस मामलेमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीन अन्य की तलाश में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के समय प्रचारक जयकिशोर शहर से वापस आरएसएस के नवल नगर स्थित कार्यालय आ रहे थे। जैसे ही उनकी कार नवल नगर में पहुंची, सामने से स्कूटी सवार दो युवक आ गए। यहाँ वाहन आगे-पीछे करने को लेकर पहले विवाद हुआ, फिर अचानक युवकों ने उन पर हमल कर दिया। विवाद की सूचना मिलने पर युवकों के अन्य साथी भी वहाँ आए गए। जिला प्रचारक की कार में तोड़फोड़ करते हुए उन्हें नीचे उतार लिया गया और लात धूसों से पीटा गया। वारदात की जानकारी पर संगठन के कार्यकर्ता व पुलिस मौके पर पहुंच गई।

### वन्यजीवों के शव

### बरामद, 7 गिरफ्तार

बागपत। जिले में वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी में लिया सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कई जानवरों के शव बरामद किए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से जंगली बिल्ली व सियार के तीन-तीन और एक जल मुर्गी समेत कई वन्यजीवों के शव बरामद किए गए हैं।पकड़े गए आरोपियों की पहचान खन्ना नाथ, दुर्लोकेंद्र, साजन नाथ, बाली नाथ, विकास, अर्जुन और रोहन कुमार के रूप में हुई है।सभी हरियाणा के सोनीपत जिले के निवासी बताए जा रहे हैं।आरोपियों के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त जाल, रस्सियां और धारदार हथियार भी जप्त किए गए हैं।वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बागपत जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में अवैध रूप से वन्यजीवों का शिकार करते थे और बाद में इनके शवों की तस्करी हरियाणा के सोनीपत जिले में की जाती थी।

| परिशिष्ट- 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| अपील हेतु ज्ञापन <p>( खंड 37 देखें )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>संदर्भित दस्तावेज</b> <p>(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है )</p> <b>निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनकरण संस्करण का उपयोग किया जा सकता है-</b> <ol style="list-style-type: none"><li>उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916</li> <li>उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ।</li> <li>विनौतरी मल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार ।</li> <li>सलाहकार नोट: शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ।</li> <li>उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ।</li> <li>एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश</li> <li>आईएस: 2470इझ1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो, (क) ( भाग I) डिजाइन शर्तें और निर्माण</li> <li>(ख) (भाग II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।</li> <li>सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार ।</li> <li>बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।</li> <li>फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ।</li> <li>राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।</li> <li>फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।</li> <li>फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार ।</li> <li>तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि ।</li> <li>सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।</li> <li>सीवर और सेप्टिक टैंक की स्फार्ई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार</li> <li>फीकल स्लज एवं सेप्टेज / सेप्टेज, 2019 के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली</li> <li>प्रोहिविशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार</li></ol> |                                   |
| <b>अधिशासी अधिकारी</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>अध्यक्ष</b>                    |
| <b>नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा</b> |
| <b>लखीमपुर-खीरी</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>लखीमपुर-खीरी</b>               |



कार्यालय नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा, लखीमपुर-खीरी

पत्रांक- 1613/ न0पं0 सिं॰भे0 / 2025-26

दिनांक :- 31.01.2026

सार्वजनिक सूचना

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2025 का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 ( अधिनियम सं0 2 सन 1916 ) की धारा-147 और धारा-298 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जिस उपविधि के बनाने का प्रस्ताव करता है, उसका निम्नलिखित प्रारूप अधिनियम, 1916 की धारा - 301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्?वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जायेगे । केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा जो इस उपविधि के प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025

नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025 कही जायेगी।

| संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ                                       | 1                                    | (1) यह उपविधि लखीमपुर नगर पालिका परिषद (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि 2025 कही जायेगी।<br>(2) यह नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा मे लागू होगी।<br>(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                      |                              |   |         |       |   |                |        |   |                |        |   |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------|-------|---|----------------|--------|---|----------------|--------|---|--------------|--------|
| परिभाषाएँ                                                                | 2                                    | (1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—<br>(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।<br>(ख) 'आबादी' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर पालिका परिषद सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो।<br>(ग) 'निर्धारण सूची' का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा - 141 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।<br>(घ) 'संशोधन और परिवर्तन' का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा 147 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।<br>(ङ) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।<br>(च) 'सम्पत्ति कर' का तात्पर्य नगर पंचायत / नगरपालिका परिषद सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाए जाने वाले सामान्य कर/ भवन कर, जल कर जल निस्सारण कर और स्वच्छता कर से है।<br>(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों ।<br>(3) निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                      |                              |   |         |       |   |                |        |   |                |        |   |              |        |
| सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया                                 | 3                                    | (1) अधिनियम, 1916 की धारा 144 के अधीन नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा 147 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।<br>(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात किसी कारणवश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जाएगा।<br>(3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा-<br>(एक) पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा,<br>(दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा,<br>(तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा,<br>(चार) पंजीकृत दान-पत्र द्वारा,<br>(पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा ।<br>(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी-<br>(एक) नगर पालिका परिषद सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति,<br>(दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड.ए.) क्षेत्र की सम्पत्ति,<br>(तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता या देय हो ।<br>(चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी ।<br>(4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।<br>(ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी / अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर, या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किए गए सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।<br>(5) भवन में किए गए परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा। |         |                                      |                              |   |         |       |   |                |        |   |                |        |   |              |        |
| सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया                                 | 4                                    | (झ) निर्धारण सूची में संशोधन / परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त द्य देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण किया जाएगा। (3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के संबंध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-2 के खण्ड (11) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किए जा सकेगे।<br>(ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किए जाने पर 'अध्यासी' शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जाएगा।<br>(ग) अध्यासन के आधार पर किए गए कर निर्धारण के विषय में वार्डवार कर निर्धारण सूची पृथक् से तैयार की जाएगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जाएगी।<br>(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                      |                              |   |         |       |   |                |        |   |                |        |   |              |        |
| हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता | 5                                    | (1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना अधिशासी अधिकारी को देगे।<br>(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, अधिशासी अधिकारी को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।<br>(3) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते है, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा ।<br>(4) प्रत्येक व्यक्ति जो अधिशासी अधिकारी को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस संबंध में सूचना / आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं कियाजाता ।<br>(5) जब ऐसी सूचना/ आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हों तो नगर पालिका परिषद द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।<br>(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक अधिशासी अधिकारी को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/ अध्यासी सम्पत्ति कर भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था ।                                                                                                                                                                     |         |                                      |                              |   |         |       |   |                |        |   |                |        |   |              |        |
| निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारो का लगाया जाना              | 6                                    | (1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर पंचायत को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जाएगा। प्रभारों की दरें निम्नवत् होंगी-<br>(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत होगी :- <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग फिट में)</th><th>प्रभार की धनराशि (रुपये में)</th></tr><tr><td>1</td><td>1000 तक</td><td>500/-</td></tr><tr><td>2</td><td>1001 - 2000 तक</td><td>1000/-</td></tr><tr><td>3</td><td>2001 - 3000 तक</td><td>1500/-</td></tr><tr><td>4</td><td>3000 से अधिक</td><td>2500/-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क्र.सं. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग फिट में) | प्रभार की धनराशि (रुपये में) | 1 | 1000 तक | 500/- | 2 | 1001 - 2000 तक | 1000/- | 3 | 2001 - 3000 तक | 1500/- | 4 | 3000 से अधिक | 2500/- |
| क्र.सं.                                                                  | सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग फिट में) | प्रभार की धनराशि (रुपये में)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                      |                              |   |         |       |   |                |        |   |                |        |   |              |        |
| 1                                                                        | 1000 तक                              | 500/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                      |                              |   |         |       |   |                |        |   |                |        |   |              |        |
| 2                                                                        | 1001 - 2000 तक                       | 1000/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                      |                              |   |         |       |   |                |        |   |                |        |   |              |        |
| 3                                                                        | 2001 - 3000 तक                       | 1500/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                      |                              |   |         |       |   |                |        |   |                |        |   |              |        |
| 4                                                                        | 3000 से अधिक                         | 2500/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                      |                              |   |         |       |   |                |        |   |                |        |   |              |        |

|                              |                                      | (ख) नियम - 3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सकिल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत होगी:- <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग फिट में)</th><th>प्रभार की धनराशि (रुपये में)</th></tr><tr><td>1</td><td>05 लाख रुपये तक</td><td>1000/-</td></tr><tr><td>2</td><td>05 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक</td><td>2000/-</td></tr><tr><td>3</td><td>10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक</td><td>3000/-</td></tr><tr><td>4</td><td>15 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक</td><td>5000/-</td></tr><tr><td>5</td><td>50 लाख रुपये से ऊपर</td><td>10000/-</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                    | क्र.सं. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग फिट में) | प्रभार की धनराशि (रुपये में) | 1 | 05 लाख रुपये तक | 1000/- | 2 | 05 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक | 2000/- | 3 | 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक | 3000/- | 4 | 15 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक | 5000/- | 5 | 50 लाख रुपये से ऊपर | 10000/- |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|--------|---|---------------------------------|--------|---|---------------------------------|--------|---|---------------------------------|--------|---|---------------------|---------|
| क्र.सं.                      | सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग फिट में) | प्रभार की धनराशि (रुपये में)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                      |                              |   |                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                     |         |
| 1                            | 05 लाख रुपये तक                      | 1000/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                      |                              |   |                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                     |         |
| 2                            | 05 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक      | 2000/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                      |                              |   |                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                     |         |
| 3                            | 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक      | 3000/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                      |                              |   |                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                     |         |
| 4                            | 15 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक      | 5000/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                      |                              |   |                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                     |         |
| 5                            | 50 लाख रुपये से ऊपर                  | 10000/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                      |                              |   |                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                     |         |
|                              |                                      | (2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1916 की धारा 92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बोर्ड की स्वीकृति / अनुमति से किया जा सकेगा ।<br>(3) उपनियम (1) 1 के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा ।<br>(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख / अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा।<br>(5) यदि उस सम्पत्ति के संबंध में नगर पालिका से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जाएगा। |         |                                      |                              |   |                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                     |         |
| आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण | 7                                    | जहाँ अधिशासी अधिकारी स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे या निरस्तीकरण से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                      |                              |   |                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                     |         |
| अपील                         | 8                                    | अधिशासी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा- 160 अधीन अपील कर सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                      |                              |   |                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                                 |        |   |                     |         |

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| प्रपत्र – 1                                                               |                                |
| (नियम – 4 ( 1ख) देखें)                                                    |                                |
| भवन निर्माण / पुनर्निर्माण / परिवर्तन / परिवर्धन सम्बन्धी सूचना – प्रपत्र |                                |
| 1. भवन स्वामी / अध्यासी का नाम                                            | -                              |
| 2. भवन संख्या / आई॰डी॰ सहित भवन की अवस्थिति                               | -                              |
| 3. भवन का वर्तमान वार्षिक मूल्य                                           | -                              |
| 4. सम्पत्ति कर भुगतान की अद्यतन रसीद सं॰                                  | -                              |
| 5. पूर्व से निर्मित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल                             | -                              |
| 6. नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन अंश का क्षेत्रफल                  | -                              |
| 7. नवझनिर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के समापन की तिथि                  | -                              |
| 8. अध्यासन की तिथि                                                        | -                              |
| 9. अन्य विवरण - यदि कोई हो                                                | -                              |
| स्थान-                                                                    | हस्ताक्षर भवन स्वामी / अध्यासी |
|                                                                           | पता -                          |
| दिनांक-                                                                   | मोबाइल नं.-                    |

|                                                                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| प्रपत्र– 2                                                                                                   |                           |
| (नियम - 4 (2) देखें)                                                                                         |                           |
| निर्धारण सूची में/संशोधन / परिवर्तन प्रपत्र                                                                  |                           |
| 1. आवेदक का नाम, पितृ नाम और पता -                                                                           |                           |
| 2. सम्पत्ति का विवरण-                                                                                        |                           |
| (1) विक्रय और दान आदि के मामलों में-                                                                         |                           |
| (क) सम्पत्ति संख्या / आई॰डी॰ और वर्तमान स्वामी का नाम                                                        |                           |
| (ख) भूमि का क्षेत्रफल / भवन का आच्छादित क्षेत्रफल                                                            |                           |
| (ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य                                                                                    |                           |
| (घ) अन्तरिती का नाम, पितृ नाम और पता                                                                         |                           |
| (ङ) हस्तान्तरण की प्रकृति- बिक्री/दान                                                                        |                           |
| (च) अन्तरण विलेख के निबन्धन की तिथि                                                                          |                           |
| (छ) कोई अन्य विवरण                                                                                           |                           |
| (2) मृत्यु, वसीयत आधारित उत्तराधिकार के मामलों में-                                                          |                           |
| (क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम                                                                 |                           |
| (ख) भूमि का क्षेत्रफल / भवन का आच्छादित क्षेत्रफल                                                            |                           |
| (ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य                                                                                    |                           |
| (घ) व्यक्ति का नाम ( मृत्यु तिथि सहित), पितृ नाम तथा पता जिसके सापेक्ष उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया गया है। |                           |
| (ङ) आवेदक का मृतक से संबंध                                                                                   |                           |
| (च) उत्तराधिकारियों का विवरण और अंश                                                                          |                           |
| (छ) उत्तराधिकार का आधार (पैतृक, वसीयत आदि)                                                                   |                           |
| (ज) कोई अन्य विवरण                                                                                           |                           |
| (3) भ्रान्त कथन, भूल या लोप के मामलों में-                                                                   |                           |
| (क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम                                                                 |                           |
| (ख) भूमि का क्षेत्रफल / भवन का आच्छादित क्षेत्रफल                                                            | (ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य |
| (घ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की प्रकृति का विवरण                                                            |                           |
| (ङ) भ्रान्त कथन, त्रुटि या लोप की पुष्टि में साक्ष्य                                                         |                           |
| (च) कोई अन्य विवरण                                                                                           |                           |
| टिप्पणी- उप क्रमांक (1) (2) (3) में से यथा लागू विवरण भरें।                                                  |                           |
| 3. आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण-                                                                              |                           |
| 4. अपलोड किये गये अभिलेखों का विवरण-                                                                         |                           |
| (1)                                                                                                          | (2) (3) (4)               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| प्रपत्र– 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| (नियम – 4(2घ) देखें)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| नोटिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| श्री / श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री / पत्नी श्री/श्रीमती. _____ निवासी _____ का नाम नगर पालिका परिषद लखीमपुर की कर निर्धारण सूची में अंकित है।                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| 2. (1) श्री / श्रीमती. _____ पुत्र/पुत्री / पत्नी श्री/श्रीमती. _____ निवासी. _____ द्वारा इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि श्री / श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री / पत्नी _____ श्री / श्रीमती. _____ की मृत्यु दिनांक _____ को हो गई है वह / वे उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं और साक्ष्य रूप में _____ प्रस्तुत किया गया है।                                                                                          |                                                       |
| (2) उनके द्वारा अपना नाम प्रविष्ट कर निर्धारण सूची को संशोधित/परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 3. यदि किसी व्यक्ति / व्यक्तियों को उपरोक्त के विरूद्ध कोई आपत्ति हो तो वह / वे अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में साक्ष्यों सहित इस नोटिस के प्रकाशित / प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर नगर पालिका परिषद लखीमपुर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता / सकती हैं। उक्त तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक / आवेदकों का नाम सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा और कोई पश्चातवर्ती दावा, ग्रहण नहीं किया जाएगा। |                                                       |
| सम्पत्ति का विवरण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| सम्पत्ति आई.डी. _____ सम्पत्ति संख्या _____ अवस्थिति _____ जारी करने की तिथि _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| मुहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हस्ताक्षर                                             |
| जारी करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम सहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| 1. समस्त हितबद्ध व्यक्तियों के नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| 2. आवेदक का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| अधिशासी अधिकारी<br>नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा<br>लखीमपुर-खीरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अध्यक्ष<br>नगर पंचायत सिंगाही भेड़ौरा<br>लखीमपुर-खीरी |



# मेट्रो

# दो ट्रकों की टक्कर में चालक केबिन में फंसा, चालक को सुरक्षित निकाला

विशेष संवाददाता (vol)

**लखनऊ।** सरोजनीगर क्षेत्र के दरोगाखेड़ा में रविवार प्रातः करीब 4.00 बजे दो ट्रकों की भिड़न में एक वाहन का चालक केबिल में फंस्ककर बुरी तरह घायल हो गया। सूचना पाकर थाना सरोजनीनगर पुलिस मौके पर गयी और दमकलकर्मियों को भी बुलाया। उन्होंने केबिन काटकर घायल चालक को बाहर निकाला और लोकबन्धु हास्पिटल में भर्ती कराया। हादसा दरोगा खेड़ा चौराहा के पास, कृष्णलोक फेस-1 के सामने, लखनऊ- कानपुर रोड पर हुआ जब एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया है।

प्राप्त सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि एक कंटेनर वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर के पास खड़े वाहन से टकरा गया है।

कंटेनर वाहन में चालक दीपक पुत्र पप्पू निवासी ऊसाहार, जनपद इटावा तथा कंडक्टर विकास पुत्र सुंदरलाल निवासी तालग्राम, जनपद

कन्नौज सवार थे। टक्कर के कारण कंटेनर वाहन का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें चालक दीपक केबिन के अंदर फंस गया था। स्थिति



की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों एवं दमकल विभाग की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए स्प्रेडर मशीन की सहायता से केबिन को काटकर फंसे हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायल चालक को बिना किसी देरी के एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरोजनीनगर उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर किनारे कार दिया है। वर्तमान में यातायात पूर्णतः सुचारु रूप से चल रहा है तथा मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

## रोग निदान और प्रबंधन में बायोमार्करों की बढ़ती भूमिका पर डाला प्रकाश

**लखनऊ।** केजीएमयू में आयोजित एक्स्प्लॉरन 2026 के 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अकादमिक प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ किया। इस सम्मेलन में देशभर से प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिससे वैज्ञानिक विचार-विमर्श और सहयोग का उत्कृष्ट वातावरण बना।

सम्मेलन का आयोजन केजीएमयू के बायोकेमिस्ट्री विभाग की अध्यक्ष डॉ. कल्पना सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और सूक्ष्म योजना ने कार्यक्रम के सुचारु संचालन को सुनिश्चित किया। यह सम्मेलन एसोसिएशन के अध्यक्ष सुश्रुत सेन के दूरदर्शी नेतृत्व को भी प्रतिबिंबित करता है, जिनका लंबे समय से स्वप्न रहा है कि एक्स्प्लॉरन को नई शैक्षणिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। उनके मार्गदर्शन के साथ-साथ डॉ दिल्लुलाल शुभ्रार एवं डॉ. मौसमी सैकी, महासचिव, एक्स्प्लॉरन के समर्पित सहयोग ने सम्मेलन की वैज्ञानिक रूपरेखा को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक कार्यक्रम में प्लेनरी व्याख्यान, पैनल चर्चाएं, मौखिक एवं पोस्टर



प्रस्तुतियां सम्मिलित थीं, जिनमें क्लिनिकल केमिस्ट्री, प्रयोगशाला चिकित्सा, आणविक निदान तथा प्रयोगशाला गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर चर्चा की गई। सत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों, साक्ष्य-आधारित प्रयोगशाला चिकित्सा तथा रोग निदान एवं प्रबंधन में बायोमार्कों की बढ़ती भूमिका पर विशेष प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों ने अपने अनुभव एवं विचार साझा किए, वहीं युवा शोधकर्ताओं और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को अपने शोध कार्य प्रस्तुत करने का उत्कृष्ट मंच प्रदान किया गया, जिससे नवाचार और शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन मिला। इंटरैक्टिव सत्रों और कार्यशालाओं को उनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं अकादमिक गहराई के लिए विशेष रूप से सराहा गया। सम्मेलन का समापन अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ, जिसने प्रयोगशाला चिकित्सा के विकास तथा संस्थानों के बीच पेशेवर सहयोग को सुदृढ़ करने के प्रति एक्स्प्लॉरन की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया।

## वर्कशॉप के गेट पर बाथरूम करने से मना करने पर जमकर मारपीट

**लखनऊ।** इंदिरानगर निवासी मनोज सिंह की कार वर्कशॉप आख्या मोटर्स में शुरूवार शाम उस समय हंगामा हो गया, जब वर्कशॉप के गेट पर बाथरूम कर रहे दो युवकों को मना करना भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक, आख्या मोटर्स वेस्ट प्राइज से लूलू मॉल शहीद पथ की सर्विस लाइन पर विंट क्लब से पहले स्थित है। शाम करीब 5 बजे दो युवक वर्कशॉप के गेट पर बाथरूम कर रहे थे। रोकने पर वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारी लवकुश पुत्र जगमोहन के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे वर्कशॉप संचालक मनोज सिंह और अंकित को भी आरोपियों ने पीट दिया। इसी दौरान उनके साथ आए 8इय9 अन्य युवकों ने ईट और डंडों से हमला कर दिया। हमले में लवकुश के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

# 19 वें सारंगदेव त्रिदिवसीय महोत्सव का भव्य एवं कुशल समापन संपन्न

विशेष संवाददाता (vol)

**लखनऊ।** भातखण्डे संस्कृत विश्वविद्यालय एवं महामाी गुरुकुल कला एवं शोध संस्थान, छत्रपति संभाजी नगर (महाराष्ट्र) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 19वें शारंगदेव महोत्सव का समापन कालका-बिंदादीन की ड्योढ़ी, कथक संग्रहालय, केसरबाग, लखनऊ में हुआ।

कार्यक्रम में पंडित मोहन राव कल्याणपुरकर द्वारा पंडित बिंदादिन महाराज जी द्वारा रचित आरती माधवी जोशी का गाय़ा हुआ (रिकॉर्डिंग) के साथ कार्यक्रम का समापन संपन्न हुआ। समापन समारोह में गुरु पार्वती दत्ता द्वारा विद्यार्थियों को ध्यान के कुछ अंश्यास कराए गए तत्पश्चात बंशंधर पिनाक धर द्वारा ध्रुपद पर कथक नृत्य का विधिवत प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में गायन व हारमोनियम पर आरिफ मोहम्मद और पखावज पर

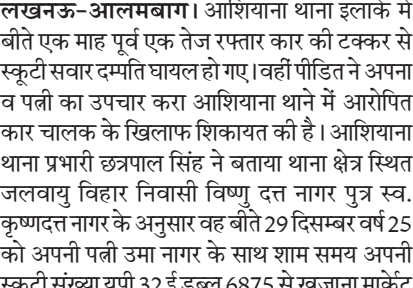


राजीव रंजन ने कुशल संगत किया। महोत्सव के तृतीय एवं समापन दिवस में कालका बिंदादीन जी की ड्योढ़ी, केसरबाग में वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मांडवी सिंह, पद्मश्री दर्शना झावेरी, पूर्व कुलपति प्रो. पूर्णिमा पाण्डेय, महागामी संस्थान की निदेशक पार्वती दत्ता, एवं विश्वविद्यालय के विद्याध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार मिश्रा, ज्ञानेन्द्र दत्त बाजपेयी सहायक आचार्य डॉ. रूचि खरे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वर्कशॉप में विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों से आए शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा

# मेट्रो

# तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार दंपति घायल

**लखनऊ-आलमबाग।** आशियाना थाना इलाके मे बीते एक माह पूर्व एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार दम्पति घायल हो गए।वहीं पीड़ित ने अपना व पत्नी का उपचार करा आशियाना थाने में आरोपित कार चालक के खिलाफ शिकायत की है। आशियाना थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया थाना क्षेत्र स्थित जलवायु विहार निवासी विष्णु दत्त नागर पुत्र स्व. कृष्णदत्त नागर के अनुसार वह बीते 29 दिसम्बर वर्ष 25 को अपनी पत्नी उमा नागर के साथ शाम समय अपनी स्कूटी संख्या यूपी 32 ई डब्लू 6875 से खजाना मार्केट से अपने निवास जा रहे थे।उस दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रही महेन्द्रा एक्स यूवी संख्या यूपी 32 पी जेड 1361 के चालक ने उनकी स्कूटी मे पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।वहीं पीडित का कहना है कि उक्त सड़क दुर्घटना में वह और उनकी पत्नी दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने अपना व पत्नी का एक निजी अस्पताल में उपचार कराने के बाद आशियाना थाने में पुलिस से लिखित शिकायत की है। पुलिस के अनुसार पीडित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर गाडी नम्बर के आधार पर आरोपित कार चालक की तलाश की जा रही है।



**लखनऊ।** विकासनगर पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घेराबंदी कर दो शांति गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने पकड़े गए गांजा तस्कर जियाउद्दीन पुत्र इलियास निवासी कमलापुर सीतापुर, हालपता एनडी तिवारी नगर सेक्टर -14 वमोहमत्सूहेल निवासी बख्शी का तालाब के कब्जे से करीब एक किलो गांजा बरामद किया गया है।शुरूआती पूछताछमें तस्करों ने शहर के कथित पत्रकारों के नामों का खुलासा किया है, जिससे नशे के काले कारोबार में हड़कंप मच गया है।

गिरफ्तार गांजा तस्करों के पास से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस अब उनके सीडीआर और काल डिटेल्स की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े नामों पर भी कानून का शिकंजा कस सकता है।

थाना प्रभारी आलोक सिंह के नेतृत्व में मिली इस सफलता ने नशे के खिलाफ

# दबंगों का तांडव, मारपीट कर होटल में लगायी आग

विशेष संवाददाता (vol)

**लखनऊ।** काकोरी क्षेत्र के गवालपुर गांव में सुबह नाली के पानी बहाने को लेकर श्यामू यादव, दीपांशु यादव, बौआ यादव ने चंचल रावत को पीटा था, जिसकी शिकायत सुबह थाना काकोरी में किया, लेकिन क्षेत्रीय दरोगा की उदासीनता के चलते कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके बाद कथित ठाकुर साहब ने शिकायत से गुसाएँ दीपांशु यादव, हिमांशु यादव, श्यामलाल, भोला, बौआ, अमरनाथ व गोपाल सहित दो दर्जन दबंगों ने घर पर चढ़ाई करके पासी समुदाय के श्रीपाल ( 80), प्रेम ( 12), आराध्या



( 18), शिव देवी ( 75), अमन रावत ( 20), चंदन ( 17), कार्तिक ( 24), अरुण ( 18) सहित पूरे परिवार को जमकर पीटा और घटना की वीडियो बना रहे लोगों के आधा दर्जन फोन को छीन कर तोड़ दिया। दबंगों का इससे भी दिल नहीं भरा तो गांव से दो

दबंगों ने काकोरी में रविदास जयंती में पुलिस की व्यस्तता का जमकर उठाया फायदा और दलितों (पासियों) के साथ खेला खूनी खेल। किसी का हाथ टूटा तो किसी के नाक से निकला खून। बच्चें के सिर में आई चोट। थाना प्रभारी निरीक्षक ने घटना का संज्ञान लेते हुए श्रीपाल की बहु राधा की तहरीर पर चार नामजद व दो दर्जन अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया।वहीं दुकान में आग लगाने की घटना का दूसर आगजनी का मुकदमा दर्ज किये गये है। तीन आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की ज रही है। अन्य को पकड़ने के लिए टीम गठित की गयी है।

## अज्ञात व्यक्ति का शव मिला

**लखनऊ।** गोसाईगंज क्षेत्र में रविवार को एक अंधेड़ व्यक्ति का शव मिला है।पुलिस को सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर रोड स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास शेखनापुर, काजीखेड़ा माइनर के निकट एक व्यक्ति का शव पड़ा है।पुलिस मौक पर गयी और शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। उसके शरीर पर चेन वाली जैकेट नीले व काले रंग की। अंदर नीले रंग की हुडी, लोअर नीला रंग व काले रंग के जूते हैं। हुलिया के अनुसार रंग सांवला, शरीर इकहरा, आंख, नाक, कान सामान्य है।लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच, बाल अधपके दाहिने हाथ पर काले रंग से गुदा हुआ है।हाथ पर गोपीचंद्र साहू मां, बाएं हाथ पर काले रंग से गुदा हुआ है मंगल सिंह ठाकुर।मृतक की अनुमानित आयु लगभग 45 वर्ष प्रतीत हो रही है। नाम व पता अज्ञात है। उस व्यक्ति की शिनाख्त कराए जाने का प्रयास जारी है।

## दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, सिडिकेट का भंडाफोड़ पूछताछ में तस्करों ने शहर के कथित पत्रकारों के नामों का खुलासा किया

विशेष संवाददाता (vol)



## नाबालिग को भगाने वाला युवक गिरफ्तार

**मलिहाबाद।** रहीमाबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को शादी की नीयत से बहला- फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।पुलिस ने पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया है।इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने बताया कि बीती 29 जनवरी को थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी लगभग 15 वर्षीय बहन को एक युवक प्रेम जाल में फंसाकर शादी की नीयत से भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।पुलिस टीम ने 31 जनवरी शनिवार को शाम मुखबिर को सूचना पर अहमदाबाद कटौली बस स्टैंड से पीड़िता को बरामद किया।मौके से अभियुक्त सुभाष यादव ( 19) निवासी ग्राम गॉंगन, थाना माल, जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।पुलिस के अनुसार अभियुक्त नाबालिग बालिका को बहला- फुसलाकर शादी करने की नीयत से भगा ले गया था।गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

चल रहे अभियान को नई मजबूती दी है। पुलिस टीम अब तस्करों के पूरे नेटवर्क की जड़ें खोदने में जुटी है। पुलिस का

कहना है कि जियाउद्दीन के खिलाफ जनपद के कई था नों में करीब 27 अपराधिक मामले दर्ज हैं।



## भक्तिमय हुई गोमती तट की शाम: 148वीं महाआरती और सनातन समागम का आयोजन

**लखनऊ।** माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर सनातन महासभा द्वारा झुलेलाल वाटिका स्थित गोमती तट पर 148वीं आदि गंगा मां गोमती महाआरती एवं सनातन समागम का भव्य आयोजन करवाया को किया गया।शुरूआत संगीतमयी सुंदरनांदः शिवाराम मिश्र के नेतृत्व में श्री सुंदरकांड के मधुर पाठ से हुआ।बाद में सात विशाल मंचों से स्वामी आनंद नारायण, शिवाराम मिश्र एवं आनंद शेखर सिंह के सानिध्य में शंखनाद और डमरू की गूंज के बीच महाआरती संपन्न हुई।आरती के बाद 501 दीपों से घाट दिवाली की तरह जगमगा उठा।सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शुभम के कथक नृत्य और शशि गुप्ता, मीरा तिवारी व गीता निगम के भजनों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।संकल्प 'गोमती बचाव अभियान 2026 महासभा के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण ने बताया कि इस वर्ष को 'गोमती बचाव अभियान वर्ष' के रूप में मनाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम में बच्चों व महिलाओं के लिए रामायण व गीता पर आधारित प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई। इस अवसर पर धर्म विस्तार के लिए 11 पदाधिकारियों को गंगाजल व कृपाण भेंट कर संकल्पित कराया गया। कार्यक्रम का संचालन विकास मिश्र ने किया।

## विधायक निधि से लायंस ब्लड बैंक को भेंट की एंबुलेंस



**लखनऊ।** उत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण फल के अंतर्गत विधायक डा. नीरज बोरा ने विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि से लायंस ब्लड बैंक को एंबुलेंस प्रदान किया। इस एंबुलेंस के उपलब्ध होने से रक्तदान, रक्त संग्रह एवं आपूर्ति व्यवस्था के साथ-साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

रविवार को सीतापुर रोड स्थित होटल रेवांता परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक डा. नीरज बोरा ने कहा कि मानव सेवा सर्वोपरि है और सुदृढ़ आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएँ अनेक अमूल्य जीवन बचाने

में सहायक सिद्ध होती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनस्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सर्शातिकरण को प्राथमिकता दे रही है और भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।इस अवसर पर लायंस ब्लड बैंक के पदाधिकारियों के साथ ही लायन्स क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन राम चंद्र मिश्र, लायन मुकेश जैन, लायन परमजीत सिंह, लायन दलजीत सिंह, लायन विनीत श्रीवास्तव, लायन अशोक कुमार गौतम, लायन आनंद अरुणेश, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।

## मोबाइल फोन हैक कर उड़ाये 3.10 लाख

**लखनऊ।** आशियाना थाना इलाके में रहने वाले एक खाताधारक को जालसाजों ने निशाना बना मोबाइल फोन हैक कर खाते से 3.10 लाख रुपये निकाल हड़प लिया। वहीं पुलिस ने पीडित घटना के दो सप्ताह बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। आशियाना थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर- जी निवासी अमरनाथ के अनुसार वह बीते 13 जनवरी को शाम अपने मोबाइल फोन पर पीएनबी वनएण डाउनलोड कर रहे थे उसी दौरान किसी ने उनका मोबाइल फोन हैक कर खाते से 3.10 लाख रुपये निकाल हड़प लिए। पीड़ित के अनुसार अगर वह किसी को काल भी करते है फोन हैक के पास जाता है, जिसके चलते उसने साइबर हेलप लाइन नम्बर पर शिकायत करने के बाद आशियाना थाने में शिकायत की है।पुलिस के अनुसार पीड़ित को शिकायत पर शनिवार को आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर विधिक कारवाई किया जा रहा है।

## यूपी महोत्सव ने सिद्ध की अपनी सार्थकता



**लखनऊ।** प्रगति इवेंट द्वारा आयोजित यूपी महोत्सव द प्लेनेट लान नहर रोड शुक्ला चौराहे के पास जानकीपुरम विस्तार में एक यादगार अनुभव को लंबे समय तक याद करने पर मजबूर करेगा। बहुत सारी यादों को अपने अंदर समेट कर यूपी महोत्सव अपने समापन के अवसर पर सभी का धन्यवाद करते हुए विदा ले रहा है और अगले साल फिर नई उमंग, नए जोश और नए रंगों के साथ आपके बीच आने का वादा कर रहा है।यूपी महोत्सव दूर दराज से पधारे स्टॉल धारक खान-पान के स्टॉल, झूला और बहुत सारी अनोखी दुकान और सम्मानित जनता का अथ्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने हृदय से धन्यवाद और आभार किया। पिछले 22 सालों से देश के विभिन्न स्थानों पर सर्वाधिक महोत्सव लगाने का कीर्तिमान स्थापित करते हुए हर महोत्सव को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का सतत प्रयास जिसमें पर्यावरण शिक्षा स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती प्रदान करने का संदेव प्रयास होता है।प्रगति इवेंट जो प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट की सहयोगी संस्था है उसके माध्यम से लखनऊ सहित आसपास के तमाम जिलों के कलाकारों को संस्थाओं को मंच के माध्यम से यह अवसर प्रदान किया जाता है ताकि उनके द्वारा नए उभरते बच्चों का हुनर और उनकी प्रतिभाओं का निशुल्क मंच उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने में प्रेरित कर सके। डॉ श्रेया द्वारा पारंपरिक नृत्य एवं गायन की अद्भुत शैली का जीता जागता उदाहरण पेश किया गया वहीं अपने चर परिचित अंदाज में प्रिया पाल ने खूब तालियां बटोरी इसके अलावा अमित सक्सेना की टीम द्वारा खूब तालियां बटोरी गई। संस्था के उपाध्यक्ष एनबी सिंह सभी को सम्मानित किया।

## भक्ति, सेवा और समरसता का संगम

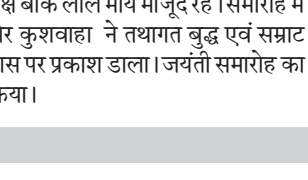
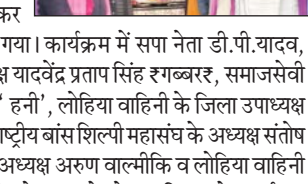
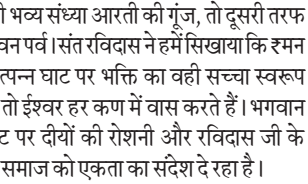
**लखनऊ।** मनकासेखर उत्पन्न घाट पर मां गोमती की आरती के अवसर के साथ-साथ संत शिरोमणि रविदास जयंती का भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ को इस पवित्र धरती पर भक्ति और सामाजिक समरसता का यह संगम वास्तव में अद्भुत है। लखनऊ के ऐतिहासिक मनकासेखर उत्पन्न घाट का नजारा कुछ अलग ही दिव्य है।एक तरफ मां आदि गंगा गोमती की कल-कल बहती जलधारा और उनकी भव्य संस्था आरती की गूंज, तो दूसरी तरफ संत शिरोमणि रविदास की जयंती का पावन वर्ष। संत रविदास ने हमें सिखाया कि हमन चंगा तो कठौती में गंगा। आज यहां उत्पन्न घाट पर भक्ति का वही सच्चा स्वरूप दिखाई दे रहा है। जब श्रद्धा मन में हो, तो ईश्वर हर कण में वास करते हैं। भगवान शिव की छत्रछाया में मां गोमती के तट पर दीयों की रोशनी और रविदास जी के भजनों का मेल, आत्मा को शांति और समाज को एकता का संदेश दे रहा है।

## चिनहट में मनायी गयी संत रविदास की जयंती

**लखनऊ।** महान संत और कवि रविदास की जयंती रसामाजिक रुप में एकता का प्रतीक दिवस के रुप में रविदास मंदिर चिनहट लखनऊ में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यापर्ण कर उनकी पुण्यस्मृतियों को नमन किया गया। कार्यक्रम में सपा नेता डी.पी.यादव, लखनऊ समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष यादवेंद्र प्रताप सिंह रयब्वरर, समाजसेवी जितेंद्र यादव, सपा नेता शिवेन्द्र यादव' हनी', लोहिया वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष आशीष शर्मा, समाजसेवी लाला राम, राष्ट्रीय बांस शिल्पी महासंघ के अध्यक्ष संतोष कुमार धर्माकर, सपा चिनहट वार्ड के अध्यक्ष अरुण वाल्मीकि व लोहिया वाहिनी के जिला सचिव शैलेंद्र यादव सहित क्षेत्र के बहुत से लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने संत रविदास के विचारों पर चलने का संकल्प लेते हुए छुआछूत व आडंबर विहीन समता मूलक समाज की स्थापना का संकल्प लिया।

## अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की मनी जयंती

**लखनऊ।** अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा इकाई लखनऊ के तत्वावधान में सोहन लाल बालिका इण्टर कालेज राजेंद्र नगर लखनऊ में अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती पूर्व दिवस पर मनाई गई। मूलचंद्र मौर्य जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में समारोह में मुख्य अतिथि के रूप आर एस कुशवाहा, मुख्य वक्ता श्रीराम मौर्य एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष बकिे लाल मौर्य मौजूद रहे। समारोह में मुलायम सिंह कुशवाहाए राम निहोरा कुशवाहा ने तथागत बुद्ध एवं सम्राट अशोक महान के विचारों एवं इतिहास पर प्रकाश डाला। जयंती समारोह का संचालन महामंत्री आनन्द मौर्य ने किया।



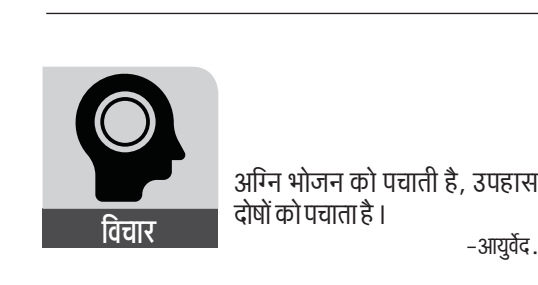


## सशक्त, संतुलित बजट

बात अब विकसित भारत तक सीमित नहीं है बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए सरकार ने विकसित भारत के साथ ही शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प भी इस बजट के जरिए दिखाया है। रक्षा बजट में ऐतिहासिक वृद्धि, लॉजिस्टिक्स, परिवहन में सुधार और विकास, एआई, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ठोस पहल के साथ आयुर्वेद से लेकर पशुधन और रेयर अर्थ तक, जिस तरह सरकार देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य की आवश्यकओं को पूरा करने के लिए पहल कर रही है, उससे लगता है कि सरकार बदलते जियो पॉलिटिक्स के इस दौर में देश को विकसित भी बनाता चाहती है, आत्मनिर्भर भी बनाना चाहती है और शक्तिशाली भी बनाना चाहती है। बजट को लेकर सरकार, विपक्ष, आम आदमी और साधारण श्रमिक से लेकर उद्योग जगत के दिग्गजों तक, सबकी अपनी-अपनी राय होती है। सबको कुछ न कुछ उम्मीदें होती हैं और सबकी अपनी-अपनी धारणाएं होती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का तीसरा बजट और वित्तमंत्री के रूप में लगातार 9वां बजट पेश करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए देश के सशक्तीकरण की दिशा में चौतरफा पहल की है। पिछले बजटों में उन्होंने मध्य वर्ग की मुंह मांगी मुराद पूरी कर थी। आयकर में कटौती का लाभ सीधे- सीधे मध्य वर्ग को मिलता है और वह भी बिना कुछ किये। इसलिए सबसे अधिक चर्चा भी इसी पर होती है। नयी टेक्स रिजीम के तहत आयकर की दरों में भारी कटौती करके बड़ी राहत दी थी। वेतन भोगी वर्ग के लिए तो और भी खास अर्थात 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडेक्शन भी दिया था। इस बड़ी टेक्स कटौती के बाद अगर नौकरी पेशा व्यक्ति को 12.75 लाख तक की आय पर कोई इ



नहीं देना। मध्य वर्ग अधिकांशतः शहरों में रहता है और उसे इस तरह की टेक्स कटौती से सीधे लाभ होता है। इस तरह इस वर्ग को टेक्स कटौती के जरिए सरकार पहले ही बड़ी राहत दे चुकी है। इसलिए इस बजट में टेक्स कटौती के लिए कुछ खास था भी नहीं। जीएसटी सुधारों के जरिए सरकार ने वस्तुओं के दाम पहले ही कम कर दिये हैं। पहले आयकर में कटौती करके और फिर जीएसटी में कटौती करके सरकार ने टेक्स कटौती के मोर्चे पर इस बजट में कुछ नहीं छोड़ा था। इसीलिए इस बार बजट को लेकर ज्यादा बहस या होहल्ला जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। इसलिए सरकार ने इस बजट में पूरा फोकस आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, स्वस्थ और शक्तिशाली भारत पर रखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदमों के साथ ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए दूरगामी योजनाएं इस बजट में हैं। इनको अगर ठीक से जमीन पर उतारा गया तो भारत की आर्थिक प्रगति की कहानी में कृषि, डेयरी और समग्र ग्रामीण क्षेत्र का किरदार भी और बड़ा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में प्रगति की रफ्तार तेज करने के लिए वित्तमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का वादा किया है। वित्त मंत्री ने उत्पादकता बढ़ाने, फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचित भूमि का दायरा बढ़ाने और भंडारण सुविधाओं में इजाफे के लिए भी गंभीर पहल की है। दरअसल यह ग्रामीण खपत बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि उन किसानों को सुविधा देने के लिए है जो नकदी फसलों की खेती करते हैं और जिनको खेती के लिए ज्यादा कर्ज की जरूरत है। इससे कृषि सीजन में खेती के लिए जरूरी इनपुट्स किसान आसानी से जुटा सकेंगे। खेती में निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन भी बेहतर होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी जो अंततः ग्रामीण समृद्धि और भारत के विकास का कारण भी बनेगी। राज्यों के सामंतिपर चलाए जाने वाले ‘धन- धान्य कृषि कार्यक्रम’ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के ‘आकांक्षी जिला’ कार्यक्रम की तर्ज पर तैयार किया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के इस बजट में केन्द्रीय फोकस विकसित भारत पर किया है और बाकी सारी योजनाएं, प्लान, बजट आवंटन दरअसल इसी लक्ष्य को समर्पित हैं।



अग्नि भोजन को पचाती है, उपहास दोषों को पचाता है।

–आयुर्वेद.

ईर्ष्या करने वाले का सबसे बड़ा शत्रु उसकी ईर्ष्या ही है। दूसरे शत्रु उसका अहित करने से रह भी जायें, परन्तु ईर्ष्या उसे हानि पहुंचाकर ही रहती है।

–तिरुवळुअर.

जो लोग सचमुच में बुद्धिमान होते हैं, वे असफलताओं से कभी नहीं घबराते हैं।

–शेक्सपियर.

मस्तिष्क का अपना एक अलग स्थान है। वह स्वर्ग को नरक में और नरक को स्वर्ग में बदल सकता है।

–मिल्टन.



### मिखारी देश बनता पाक

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह स्वीकार किया है कि हमें कर्ज के लिए इज्जत से समझौता करना पड़ता है। पाकिस्तान का यह हाल उत्पन्न होना अतीत की कारण हुआ है। अपनी आजादी के बाद जिस तरह आतंकवाद हिंसा और युद्ध के रास्ते पर चला, उसका अब अंजाम भुगत रहा है। वहां नयी सरकार बनी है लेकिन उसका काम सिर्फ दूसरे देशों से कर्ज लेकर जैसे तैसे पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना भर रहा गया है। बाकी सब कुछ सेना के हाथ में है। पाक में सबसे ताकतवर प्रतिष्ठान के रूप में अपनी पहचान को पुष्टा कर चुकी सेना हमेशा इसी ताक में रही कि कब पाकिस्तान के हालत खराब हों जिसका बहाना बनाकर सत्ता अपने हाथ में ले ले। इस तरह चढ़े सिपायी ताकतें हों या पाक स्टैब्लिशमेंट, सबने मौका पाते ही पाकिस्तान को लूटने-खसोटने का काम किया। जनता के बीच अपने शासकीय दुराचरण को छिपाने के लिए, रोजमर्रा

# सामाजिक सद्भाव को तोड़ने वाला कानून

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) ने विश्व



दरअसल नये नियम तो उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव दूर करने की दृष्टि से बनाये थे, लेकिन इनके अधिसूचित होते ही असमानता के भेद उजागर हो गये। फलस्वरूप समूचे देश में सामान्य वर्ग आक्रोशित होकर आंदोलन पर उतर आया। सामान्य वर्ग को इसके दुरुपयोग की आशंका है। पूर्व में भी इस तरह के कानूनों का दुष्प्रयोग किया गया है। दरअसल सामान्य वर्ग को आशंका थी कि उन्हें परेशान करने के लिए एक कारगर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि एससी-एसटी कानून के तहत सवर्णों को झूटे मुकदमों में फंसाने का काम किया जाता है। विर्डबना है कि अब इन नये नियमों में पिछड़े वर्ग को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही कानून में इन वर्गों के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी असमानता के भेद उजागर हो गये। फलस्वरूप समूचे देश में सामान्य वर्ग आक्रोशित होकर आंदोलन पर उतर आया। सामान्य वर्ग को इसके दुरुपयोग की आशंका है। पूर्व में भी इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग किया गया है।



## करुणा के सागर

साधारण लोग कठिनाइयों को दुर्भाग्य की बात समझते हैं। जिन लोगों ने किसी सम्पन्न परिवर में जन्म लिया है वे तो हर तरह की असुविधा से ही बहुत घबराते हैं और यही अभिलाषा किया करते हैं कि उनकी समस्त आवश्यकताएं बिना किसी दिक्कत के यथा समय पूर्ण होती रहें। अन्य लोग भी ऐसे व्यक्तियों को बड़ा भाग्यवान समझते हैं पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। जिन लोगों ने कभी जीवन की कठोरता के दर्शन नहीं किये हैं, वे अनेक दृष्टियों से कच्चे रह जाते हैं। वहां दुखों और कठिनाइयों की रचना कर दी है। इनका अनुभव हुए बिना मनुष्य अपूर्ण रह जाता है और उसका उचित विकास नहीं हो पाता। भागवान को दया सिन्धु एवं करुणा का सागर कहा जाता है। उनके वाल्सल्य दान और उपकार का कोई अंत नहीं पर इतना महत्व होता तो उस महान प्रभु का अपने बालकों पर कितना स्नेह होगा इसकी कल्पना करना भी सजह नहीं है। चित्रकार अपनी मूर्ति को, किसान अपने खेत को, गड़रिया अपनी भेड़ों को अच्छी उन्नत, विकसित स्थिति में रखना चाहता है। उन्हें अच्छी स्थिति में देखकर प्रसन्न होता है, फिर परमात्मा अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य को अच्छी स्थिति में न रखना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता। निश्चय ही प्रभु का यह प्रयत्न निरन्तर रहता है कि हम सब सुखी एवं सुविकसित हों। उनकी दया और करुणा निरन्तर हमारे ऊपर बरसती रहती है। इतना होते हुए भी देखा जाता है कि कितने ही मनुष्य अत्यंत दुखी हैं। उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट अभाव सता रहे हैं, भय, पीड़ा, वियोग, त्रास अन्याय एवं अभाव से संत्रस्त हुए कितने ही व्यक्ति बुरी तरह दुःख के सागर में गोते लगा रहे हैं। किसी-किसी पर ऐसी आकस्मिक विपत्ति आती है कि देखने वालों का हृदय दहल जाता है। ऐसे अवसरों पर ईश्वर की दयालुता पर संदेह होने लगता है, कई बार तो कष्टों को दैवी कोप, ईश्वरीय निष्ठुरता मान लिया जाता है परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। प्रभु एक क्षण भर के लिए भी करुणा रहित नहीं हो सकते। उनकी अनन्त दया का निर्झर एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। जिसे हम विपत्ति समझते हैं, वह भी एक प्रकार से उसकी दया ही होती है। माता का अपने बच्चे पर असाधारण प्यार होता है, वह उसे सुखी बनाने के लिए अपनी तरफ से सारे प्रयत्न करती है तो भी उसके कई कार्य ऐसे हैं जो बालक को अप्रिय होते हैं। बालक किसी स्वादिष्ट भोजन को बहुत अधिक खाना चाहता है, माता जानती है अधिक खाने से बीमार हो जायेगा इसलिए वह बच्चे के रूठने, रोने हाथ-पांव पीटने की परवाह नहीं करती।

थाली में सजाकर परोस दिया। दरअसल पाकिस्तान के पास राष्ट्रीय एकता के कोई सूत्र हैं ही नहीं। भारत के साथ दुश्मनी ही एक ऐसा कॉमन एजेंडा है जिसके सहारे बचा-खुचा पाकिस्तान बीती आधी से सदी से अपना भूगोल जैसे-तेैसे बचाये है। लेकिन संतरानुमा एकजुटता कब तक बचेगी, कभी न कभी तो कोई ऐसा मोड़ आयेगा जहां छिलका उतरेगा और पाकिस्तान पंजाब, सिंधु, ब्लोच और खैबर पख्तूनखवा जैसे अनेक हिस्सा में बिखर जायेगा।

आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ.

केन्द्र सरकार ने अस्पष्टित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक स्तर

पर सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बीमा योजना, पेंशन योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसे अनेक कार्यक्रम लांच किये हैं। इस योजना के तहत एक श्रमिक जो दिहाड़ी मजदूर है या ऐसे रोजी-रोजगार से जुड़ा है जिसमें श्रमविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) ने विश्व विद्यालय एवं कालेज परिसरों में समता बढ़ाने, जातीय भेदभाव रोकने आदि के नाम पर जो गाइड लाइन जारी की, उसने सामान्य वर्ग के लोगों को आक्रोशित ही नहीं किया बल्कि एक बार फिर एससी/एसटी एक्ट और गुलामी के दौर के रेलट एक्ट की यादें ताजा कर दीं। यूजीसी की गाइडलाइन दरअसल समाज को बांटने वाली थी। हालांकि इस पर अब अदालत ने रोक लगा दी है और इसमें अब सुधार की अपेक्षा है लेकिन जिस भी अधिकारी या जिम्मेदार ने ऐसी गाइडलाइन के जरिए समाज को बांटने की कोशिश की उस पर उचित कार्रवाई की जरूरत थी है। दरअसल नये नियम तो उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव दूर करने की दृष्टि से बनाए थे, लेकिन इनके अधिसूचित होते ही असमानता के भेद उजागर हो गये। फलस्वरूप समूचे देश में सामान्य वर्ग आक्रोशित होकर आंदोलन पर उतर आया। सामान्य वर्ग को इसके दुरुपयोग की आशंका है। पूर्व में भी इस तरह के कानूनों का दुष्प्रयोग किया गया है। दरअसल सामान्य वर्ग को आशंका थी कि उन्हें परेशान करने के लिए एक कारगर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि एससी-एसटी कानून के तहत सवर्णों को झूटे मुकदमों में फंसाने का काम किया जाता है। विर्डबना है कि अब इन नये नियमों में पिछड़े वर्ग को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही कानून में इन वर्गों के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी असमानता के भेद उजागर हो गये। फलस्वरूप समूचे देश में सामान्य वर्ग आक्रोशित होकर आंदोलन पर उतर आया। सामान्य वर्ग को इसके दुरुपयोग की आशंका है। पूर्व में भी इस तरह के कानूनों का दुष्प्रयोग किया गया है।



## वर्चुअल रियलिटी और जमीनी सच

क्या आपको पता है कि वर्चुअल रियलिटी किस बला का नाम है। शायद पता हो भी और न भी हो तो चलिए हिंदी में ही बता देता हूं। बहरहाल, वर्चुअल रियलिटी यानी आभासी वास्तविकता। अर्थात् जो और जैसा लगे कि यह वास्तविकता है लेकिन जो और जैसा होकर भी न हो। कभी विकास को अपने देखा है। नाम तो बहुत सुना होगा, एनकाउंटर होते ही देखा-सुना होगा लेकिन इस विकास को शायद देखा नहीं हो, केवल सुना ही सुना हो, फिर भी यहां-वहां वे विकास तो कर ही रहे हैं, विकास हो ही रहा है। यह सब देखने के लिए स्पेशल ग्लासेस चाहिए यानी विशिष्ट प्रकार के चश्मे से ही देखा और दिखाया जा सकता है। जदिगों में आप अच्छे दिन महसूस करते हैं तो यह वास्तविकता होगी लेकिन जब अपने आप को दुःख-संकटों से घिरा हुआ पाएं और कोई आपके लिए अच्छे दिन लाए जाने का आभास कराए या अच्छे दिन लाने की बात करें तो मानकर चलिए कि यह वर्चुअल रियलिटी है। इसे एक और उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको जेब में पन्द्रह लाख रुपए रखे हैं यह तो वास्तविकता है यानी रियलिटी लेकिन आपके बैंक खाते में पन्द्रह लाख आ सकते हैं, यह आभासी वास्तविकता होगी। इस आभासी वास्तविकता से आपके तात्कालिक आनन्द में कई गुना अभिवृद्धि हो सकती है और आप सामने वाले पर फिदा हो सकते हैं और फिर वह जैसा चाहे आपको दूह सकता है। आपको जब अलानी,डिकानी पार्टी द्वारा यह कहा जाता है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो आपको तीन से यूनित या चार से यूनित बिजली फ्री देने या फिर फ्री राशन, फ्री गैस, फ्री इलाज, कर्ज माफ़ी, लैपटॉप देगे तो उनकी ऐसी बातों को आप वर्चुअल रियलिटी मान सकते हैं। यानी आपको भविष्य में कुछ पाने का आभास होगा, कुछ सपने होंगे बंद आंखों के तो कुछ खुली आंखों के। और फिर खुदा न खास्ता अगर बाद में ये मिल भी गए तो दूसरे रास्ते से टैक्स के रूप में वसूल लिए जाएंगे अर्थात कान सीधे तरफ से न पकड़कर उल्टी तरफ से पकड़ने का फार्मूला ही वर्चुअल रियलिटी है। जनता तो बेचारी गाय समान ही है। जैसे ज्यादा वोट खिंचने के लिए मतदाता को दूहने की कला का विकास हमारे यहाँ हुआ है, ठीक इसी तरह का चरम विकास तुर्की के किसान ने किया है। उसने अपनी गायों को वर्चुअल रियलिटी ( वी आर ) गामल्स ( हेडसेट ) लगाए हैं। इनमें उस किसान ने लोकतंत्र में जनता रूपी गाय को दिखाए जाने वाले सब्जबाग की तरह गायों को हरे-भरे चरागाहों के वीडियो दिखा दिए और उनका तनाव कम कर परिणाम में बढ़ा हुआ दूध दूहकर अपनी बल्ले-बल्ले कर ले। यही सब लोकतंत्र की वर्चुअल रियलिटी है और यह शो बद्स्तरु चालु है।



उसकी उसको किसी तरह से सामाजिक सुरक्षा का कवर उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोग नयी पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं जिसमें उनको साठ साल पूरे होने पर प्रतिवर्ष तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी। श्रमिकों को सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने का यह फैसला न सिर्फ सराहनीय है बल्कि उन करोड़ों श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार होगा जिनको वृद्धावस्था में कोई मदद नहीं मिलती थी। लेकिन इस योजना में कुछ खामियां हैं। अगर सरकार इनमें सुधार करती है तो यह और अधिक प्रभावी एवं कल्याणकारी बन जायेगी। दरअसल हर साल चार-पांच फीसद की महंगाई रहती है। उसी हिसाब से रुपये का वैल्यू कम होता जाता है। ऐसे में जो लोग आज इस योजना के सदस्य बनेंगे उनको साठ साल पूरा होने पर जो पेंशन मिलेगी उसकी वैल्यू बहुत कम होगे। वही की पेंशन या सामाजिक सुरक्षा का सहारा नहीं मिलता है। किसी भी समाज में सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से यह जरूरी है।

प्रमोद कुमार शर्मा, लखनऊ.

प्रमोद कुमार शर्मा, लखनऊ.

### विचार

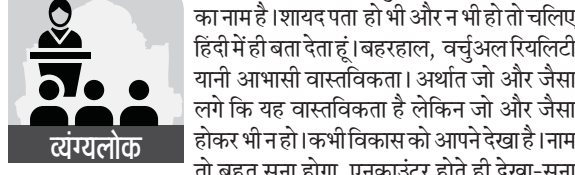
# विचार



शिकायतों को रोकने का कोई प्रविधान नहीं है। समता के बहाने लाये गये ऐसे कानून शिक्षा संस्थानों में जातीय वर्ग संघर्ष के हालात पैदा करने के अलावा समता के कोई उपाय नहीं कर पाएंगे। इस कानून के अधिसूचित होते ही इसके विरोध में इस्तीफे भी दिये गये। भाजपा पार्टी संघटन में भी कई इस्तीफे सामने आये। यह कानून आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला है। जातिगत कटुता बढ़ाने वाले इस कानून के आते ही देश भर में सवर्ण समाज के आंदोलन को देख केन्द्र सरकार की चिंताएं बढ़ गयीं हैं। सरकार इसका रास्ता ढूँढने में भी जुट गई है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद यूजीसी ने 2012 में लाये गये समानता के नियमों में बदलाव किया है। 2012 में भी न्यायालय के आदेश पर यह कानून बना था। लेकिन इस बार यह बदलाव व्यापक असंतोष का कारण बन गया है। इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में अनिवार्य रूप से समानता समीतियों ( ड्विविड कमेटी ) का गठन होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर संस्थान को डिग्री या कार्यक्रम देने पर यूजीसी ने दंड के प्रावधान किए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नजरिए से इस कानून को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था। हालांकि पिछले साल फरवरी 2025 में यूजीसी ने जब नये नियमों का प्रारूप सुझावों के लिए जारी किया था, तब इसमें प्रिण्डु सुझावों के लिए जारी किया था, तब इसमें आतिव्यसी और पिछड़े वर्गों के माता-पिता की संतानें भी आपत्तिजनक आचरण सवर्णों से करने लगे हैं। भेदभाव की शिकायतें झूठी पाई जाती हैं तो ऐसे



## वर्चुअल रियलिटी और जमीनी सच



व्या आपको पता है कि वर्चुअल रियलिटी किस बला का नाम है। शायद पता हो भी और न भी हो तो चलिए हिंदी में ही बता देता हूं। बहरहाल, वर्चुअल रियलिटी यानी आभासी वास्तविकता। अर्थात् जो और जैसा लगे कि यह वास्तविकता है लेकिन जो और जैसा होकर भी न हो। कभी विकास को अपने देखा है। नाम तो बहुत सुना होगा, एनकाउंटर होते ही देखा-सुना होगा लेकिन इस विकास को शायद देखा नहीं हो, केवल सुना ही सुना हो, फिर भी यहां-वहां वे विकास तो कर ही रहे हैं, विकास हो ही रहा है। यह सब देखने के लिए स्पेशल ग्लासेस चाहिए यानी विशिष्ट प्रकार के चश्मे से ही देखा और दिखाया जा सकता है। जदिगों में आप अच्छे दिन महसूस करते हैं तो यह वास्तविकता होगी लेकिन जब अपने आप को दुःख-संकटों से घिरा हुआ पाएं और कोई आपके लिए अच्छे दिन लाए जाने का आभास कराए या अच्छे दिन लाने की बात करें तो मानकर चलिए कि यह वर्चुअल रियलिटी है। इसे एक और उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको जेब में पन्द्रह लाख रुपए रखे हैं यह तो वास्तविकता है यानी रियलिटी लेकिन आपके बैंक खाते में पन्द्रह लाख आ सकते हैं, यह आभासी वास्तविकता होगी। इस आभासी वास्तविकता से आपके तात्कालिक आनन्द में कई गुना अभिवृद्धि हो सकती है और आप सामने वाले पर फिदा हो सकते हैं और फिर वह जैसा चाहे आपको दूह सकता है। आपको जब अलानी,डिकानी पार्टी द्वारा यह कहा जाता है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो आपको तीन से यूनित या चार से यूनित बिजली फ्री देने या फिर फ्री राशन, फ्री गैस, फ्री इलाज, कर्ज माफ़ी, लैपटॉप देगे तो उनकी ऐसी बातों को आप वर्चुअल रियलिटी मान सकते हैं। यानी आपको भविष्य में कुछ पाने का आभास होगा, कुछ सपने होंगे बंद आंखों के तो कुछ खुली आंखों के। और फिर खुदा न खास्ता अगर बाद में ये मिल भी गए तो दूसरे रास्ते से टैक्स के रूप में वसूल लिए जाएंगे अर्थात कान सीधे तरफ से न पकड़कर उल्टी तरफ से पकड़ने का फार्मूला ही वर्चुअल रियलिटी है। जनता तो बेचारी गाय समान ही है। जैसे ज्यादा वोट खिंचने के लिए मतदाता को दूहने की कला का विकास हमारे यहाँ हुआ है, ठीक इसी तरह का चरम विकास तुर्की के किसान ने किया है। उसने अपनी गायों को वर्चुअल रियलिटी ( वी आर ) गामल्स ( हेडसेट ) लगाए हैं। इनमें उस किसान ने लोकतंत्र में जनता रूपी गाय को दिखाए जाने वाले सब्जबाग की तरह गायों को हरे-भरे चरागाहों के वीडियो दिखा दिए और उनका तनाव कम कर परिणाम में बढ़ा हुआ दूध दूहकर अपनी बल्ले-बल्ले कर ले। यही सब लोकतंत्र की वर्चुअल रियलिटी है और यह शो बद्स्तरु चालु है।



उसकी उसको किसी तरह से सामाजिक सुरक्षा का कवर उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोग नयी पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं जिसमें उनको साठ साल पूरे होने पर प्रतिवर्ष तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी। श्रमिकों को सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने का यह फैसला न सिर्फ सराहनीय है बल्कि उन करोड़ों श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार होगा जिनको वृद्धावस्था में कोई मदद नहीं मिलती थी। लेकिन इस योजना में कुछ खामियां हैं। अगर सरकार इनमें सुधार करती है तो यह और अधिक प्रभावी एवं कल्याणकारी बन जायेगी। दरअसल हर साल चार-पांच फीसद की महंगाई रहती है। उसी हिसाब से रुपये का वैल्यू कम होता जाता है। ऐसे में जो लोग आज इस योजना के सदस्य बनेंगे उनको साठ साल पूरा होने पर जो पेंशन मिलेगी उसकी वैल्यू बहुत कम होगे। वही की पेंशन या सामाजिक सुरक्षा का सहारा नहीं मिलता है। किसी भी समाज में सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से यह जरूरी है।

प्रमोद कुमार शर्मा, लखनऊ.

# विचार



है। इसलिए इस कानून के नतीजे वैसे ही दुष्प्रयोग का आधार बन सकते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के उत्पीड़न के साथ देहज और यौन हिंसा को प्रतिबंधित करने वाले कानून बने हुए हैं। सभी जातियों की आर्थिक रूप से सक्षम हुई महिलाएं भी अब इन कानूनों का दुरुपयोग करते लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में यह कानून समता की बजाय असमानता को ही बढ़ावा देगा। दुनिया के मानव सभ्यता के इतिहास में धर्म, नस्ल, जाति, शिक्षा और आर्थिक हैसियत के आधार पर भेद होता है, जो एक ऐसा कल्क है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए डा. भीमराव अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा था कि ‘सामाजिक न्याय जातिविहीन सामाजिक संरचना से ही संभव है।’ लेकिन आज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में नस्ल, धर्म और जाति गरिमा को उकसाया जाकर उसे मजबूत करने के उपक्रम चल रहे हैं। भारतीय नेता जातीय चेतना उभारकर जातीय दंभ को महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में संविधान निर्माता के साथ-साथ समाज निर्माण के अग्रदूत डा. अंबेडकर के सझा विरासत और सामूहिक जीवन शैली के वैचारिक सूत्रों को अमल में लाना सामाजिक समरसता के लिए बेहद जरूरी है। हम समरसता के इन उपायों को जमीन पर उतारने की बजाय असमानता को कानूनी इबातें लिखकर जातीय भेद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा ही उपाय यूजीसी ने इस नये कानून में कर दिया है। देखने में आ रहा है कि भारतीय संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र, जातीय लोकतंत्र में बदलता जा रहा है। आज ज्यादातर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का आधार जातीयता है। भाजपा भी यूजीसी कानून के जरिए इसी रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। ऐसे कानूनों को बढ़ावा देने से जातिगत दलों का वजूद भारतीय लोकतंत्र में और बढ़ेगा। लेकिन भाजपा को नुकसान होगा। इसलिए इस तरह कानूनों से भाजपा को बचना चाहिए जिससे समाज विभाजन पैदा हो। जहां तक कैमस में समता बढ़ाने की बात है, तो इससे किसी को इनकार नहीं है। इसलिए इस कानून को कास्ट प्र्यूडल बनाकर और गलत शिकायत पर दंड का न्यायन कर समावेशी और सर्वस्वीकार्य बनाया जा सकता है।

(लेखक कार्यकारी संपादक हैं)

# हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है देश



सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कोई भी राष्ट्रीय संकल्प ठान ले और उसमें अपेक्षित जन भागीदारी भी हो, तो ऐसे संकल्पों के पूरा होने में कोई संशय नहीं रहता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सोलर क्रांति का सपना अब आकार ले चुका है। विगत सितम्बर माह तक देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता 90.7 गीगावाट तक पहुंच गयी। भारत के लिए यह उपलब्धि किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस देश में ऊर्जा संकट गंभीर चुनौती रही हो, वहां ऊर्जा सरप्लस की स्थिति बनना, नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सौर ऊर्जा में ऊंची छलांग लगाते हुए हरित ऊर्जा के संकल्प को साधना उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसके लिए सरकार ने गंभीर प्रयास किये हैं।

भारी निवेश आकर्षित किये, सोलर पैनल के उत्पादन को पीएलआई स्क्रीम में लाया गया और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के जरिए सौर ऊर्जा को जनक्रांति बनाने की पहल की गयी। इसी का परिणाम है देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। यही प्रगति भविष्य में जारी रही तो 2032 तक 366 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य सरकार प्राप्त कर लेगी। वैसे किसी भी क्षेत्र में तेज प्रगति के लिए उपयुक्त माहौल, प्रशिक्षित श्रम और वित्तीय संसाधन के साथ ही सरकार की नीतियों की अहम भूमिका होती है। 1991 में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात हुआ, उद्योग फ्रेंडली नीति बनी और औद्योगिक क्रांति का दौर आया। इसके पीछे भी सरकार की नीति ही थी। आज भारत एक साथ कई क्रांति के दौर से गुजर रहा है। डिजिटल क्रांति एक मुकाम तक पहुंच गयी है। बुनियादी संरचना में क्रांतिकारी गति यह है कि भारत का रोड नेटवर्क चीन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह सोलार क्रांति का दौर भी हम देख रहे हैं। सरकारी प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता, ऊर्जा आत्म निर्भरता की राष्ट्रीय आकांक्षा और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने की ललक ने

वीओएल.



# भारत के संकल्प को मिला बजट 2026-27 से नया आयाम

**पिपराैली ब्लॉक सभागार में विधायक प्रदीप शुक्ल के साथ कार्यकर्ताओं ने सुना केेंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण**



पिपराैली,गोरखपुर।

पिपराैली,गोरखपुर। सहजनवां विधानसभा क्षेत्र के पिपराैली विकास खण्ड सभागार में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्दविकसित भारतह्द के संकल्प को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाले केेंद्रीय बजट 2026-27 का लाइव प्रसारण उत्साह और एकाग्रता के साथ सुना गया। कार्यक्रम में सहजनवां विधायक प्रदीप शुक्ल की उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। केेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट केवल आंकड़ों और प्रावधानों का दस्तावेज नहीं, बल्कि नए भारत की आकांक्षाओं, आत्मनिर्भरता और

समावेशी विकास का सशक्त खाका है। बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग को केेंद्र में रखकर लिए गए निर्णयों की कार्यकताओं ने सराहना की। कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रदीप शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह बजट गांव, किसान, युवा रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने वाला है, जिससे भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। लाइव प्रसारण के

दौरान सभागार में मौजूद कार्यकर्ताओं ने बजट की घोषणाओं की ध्यापूर्वक सुना और कई बिंदुओं पर तालियों के साथ समर्थन जताया। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा और सभी ने एक स्वर में वकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। अंत में कार्यकताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि केेंद्रीय बजट 2026-27 देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला बजट साबित होगा और भारत को आर्थिक, सामाजिक व तकनीकी रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

## पांच दिनों के भीतर आरोपी पर दूसरा मुकदमा दर्ज प्रतिबंधित सागौन के पेड़ों पर अवैध कटान का मामला

जिला संवाददाता

गीडा, गोरखपुर।

गीडा, गोरखपुर।

के नगवा गांव में प्रतिबंधित सागौन के पेड़ों पर अवैध रूप से आरा चलाने वाले के खिलाफ वॉयस ऑफ

### खबर का असर

लखनऊ अखबार की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। समाचार पत्र में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद वन विभाग ने गहरी नौद से जागेते हुए आरोपी चंदन पासवान के खिलाफ महज 5 दिनों के भीतर दूसरा मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की है। बोते शनिवार को वॉयस ऑफ लखनऊ अखबार ने र्हेकस दर्ज होने के बाद भी थम नहीं रहा सागौन का अवैध कटानर नामक शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। खबर में उजागर किया गया था कि कैसे एक बार केस दर्ज होने के

## नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष सत्यव्रत तिवारी की पत्नी का निधन



गोला, गोरखपुर। उपनगर गोला के नगर व्यापार मण्डल के अध्यक्ष व शारदा सिनेमा के संचालक सत्यव्रत तिवारी की पत्नी मीना तिवारी का रविवार को निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही परिवार समेत करव्में में शोक की लहर दौड़ गई। आवास पर शोक प्रकट करने वालों का तांता लग गया। मनीपुत्र घाट पर शोक का अंतिम संस्कार किया गया। चिता को मुखार्गिन सत्यव्रत तिवारी ने दी। इनके निधन पर चिल्लुपार विधायक राजेश त्रिपाठी, पूर्व प्रमुख डा विजयानंद तिवारी, डा अनिल तिवारी, पूर्व चेयरमैन गिरधारीलाल स्वर्णकार, भाजपा जिला

कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौधन, भाजपा नेता श्याम नारायण दुबे, शार्दुल विक्रम तिवारी, शाहील नवमन तिवारी, रतन प्रकाश दुबे, नवनीत राय,

### पत्रकार को मातृ शोक



गोला, गोरखपुर। गोला क्षेत्र के ग्राम पांडेयपार उर्फ डंडवापार निवासी हिन्दी दैनिक अखबार के वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश दुबे की 90 वर्षीय माता जामवंती देवी का शनिवार की रात में निधन हो गया। वह एक सप्ताह से काफी बीमार चल रही थी। शनिवार की रात करीब 11 बजे पैतृक आवास पर उन्होंने अंतिम सांसे ली। उनका अंतिम संस्कार मुक्तिधाम घाट गोला पर किया गया। चिता को मुखार्गिन उनके कनिष्ठ पुत्र वरिष्ठ सपा नेता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शशिकांत दुबे ने दी। इस अवसर पर उनके पुत्र अरुण कुमार दुबे, अरविंद कुमार दुबे, विधायक चिल्लुपार राजेश त्रिपाठी, आचार्य वेद प्रकाश त्रिपाठी, पांडेत तारकेश्वर पांडेय, भाजपा नेता रतन प्रकाश दुबे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य माया शंकर शुक्ल, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार, डा राघु प्रताप राव, कमलेश सिंह, मनरोजन यादव, नीरज शाही, अविधक्ता पीके दुबे, वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम कसौधन , सुधाकर तिवारी, एम पी सिंह, राकेश यादव, रिंकु मिश्रा, राजेंद्र बिह्वेदी, बंसंत यादव लल्लन बाबा , अमरजीत यादव, रमाशंकर माधव, भीम यादव आदि नगर प्रतिनिधि, पत्रकार गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने श्रद्धांजलि दिया।

## भाजपा की असली ताकत कार्यकर्ता हैं: विधायक

कुशीनगर। रिववार को फाजिलनगर के चौरा खास स्थित एक मैरेज हाल में भाजपा चौरा मंडल द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने भाजपा चौरा मंडल के बुध अध्यक्ष, शक्ति केेंद्र प्रमुखों, शक्ति केेंद्र संयोजकों, मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को बैंग, शाल, डायरी एवं पेन भेंट कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक शक्ति उसके कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। संगठन की जड़ें जितनी मजबूत होंगी, सेवा और विकास का वृक्ष उतना ही फलदायी होगा। कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, समर्पण और अनुशासन के कारण ही भाजपा निरंतर जनसेवा के पथ पर अग्रसर है। आने वाले समय में संगठन और अधिक सशक्त होकर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक एकता बनाए रखने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पूर्व जिला मंत्री रामबृक्ष गिरी ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता ही संगठन की आत्मा है। विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा द्वारा कार्यकर्ताओं का सम्मान उनके मनोबल को और अधिक ऊंचाई देगा। मंडल अध्यक्ष शेषनाथ मिश्र ने कहा कि यह सम्मान कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के प्रति नेतृत्व की संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है, जिससे संगठन और मजबूत होगा।

## प्रादेशिक

# भारत के संकल्प को साकार करेगा बजट : सहजानन्द राय



गोरखपुर। प्रधानमन्त्री नरेन्ेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने 15वाँ तथा श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बतौर केेंद्रीय वित्त मंत्री 09वाँ बजट लोकसभा में पेश किया। जिसका लाइव प्रसारण रानीदीहा स्थित भाजपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी की अध्यक्षता में देखा गया, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानन्द राय उपस्थित थे। बजट पेश होने के बाद भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानन्द राय ने कहा कि संसद में प्रस्तुत विकसित भारत बजट-2026 गरीब युवा अनदाता व नारीशक्ति के लिए समर्पित है। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला तथा देश के सर्वांगीण विकास के लिए लाया गया है। यह बजट

2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का मार्ग प्रसस्त करेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी ने कहा कि यह बजट सर्व स्पर्शों सर्व समावेशी है। इसमें प्रमुख रूप से किसान, महिलाओं, आम जन व युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है।1 करोड़ युवाओं को इंटरशिप और महली नौकरी पर 715,000 की पदवी का प्रावधान हुआ है।3 करोड़ नए घर और होम लोन के ब्याज में राहत मिलेगी।कैसर सहित गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती होंगी तथा देश में 3 नए एप्स का निर्माण होगा। सभी जिलो में महिला हास्टल खोले जाएंगे। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि केेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

## मिशन क्लीन सिटी : सीवरेज नेटवर्क का विस्तार करने में जुटी योगी सरकार

- गोरखपुर में 136.28 करोड़, 192.02 करोड़ तथा 223.86 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाएँ पूरी
- 561.34 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम जारी, मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य
- अमृत – 2.0 के अंतर्गत 721.40 करोड़ रुपये की नई परियोजना को भी मिली मंजूरी

घनश्याम कुमार

गोरखपुर। गोरखपुर को क्लीन सिटी बनाने के अभियान के तहत योगी सरकार शहरी सीवरेज नेटवर्क का लगातार विस्तार करने में जुटी है। सीवरेज प्रबंधन के लिए नगर निगम गोरखपुर के क्षेत्र को कुल आठ जोन में विभक्त कर कार्ययोजना बनाई गई है। इन आठ जोन में कुल 2318 किमी सीवर लाइन बिछाई जानी है जिससे करीब ढाई लाख घरों को सीवर कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा।

इस व्यवस्था से शहरी क्षेत्र की करीब तेरह लाख आबादी को फायदा होगा। सीवरेज प्रबंधन को लेकर गोरखपुर महानगर में 1858.34 करोड़ रुपये के कार्य या तो पूरे हो गए हैं या निगमाधीन हैं। इस बीच गुनवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 721.40 करोड़ रुपये की एक और सीवरेज नेटवर्क परियोजना को मंजूरी मिल गई है। सीवरेज योजना जोन-ए-3 से संबंधित यह परियोजना अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) के अंतर्गत क्रियान्वित होगी।

अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए पार्ट 1 (उत्तरी भाग) में 136.28 करोड़

### भव्य भंडारे व महाप्रसाद के साथ दस दिवसीय श्रीराम महायज्ञ की पूर्णाहुति

कुशीनगर। जिले के कसया नगर स्थित श्रीरामजानकी मंदिर (मठ ) में अनवरत सोलहवें वर्ष आयोजित दस दिवसीय श्रीराम महायज्ञ का रविवार को भव्य भंडारे एवं महाप्रसाद के साथ विधिवत पूर्णाहुति सम्पन्न हुई। भंडारे में कसया नगर सहित पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से आए श्रद्धालुओं के साथ-साथ विभिन्न राज्यों एवं कुशीनगर जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूर्णाहुति के साथ ही श्रीराम महायज्ञ के अंतर्गत चल रही श्रीमद्भगवत कथा एवं अखंड श्रीसीताराम नाम संकीर्तन को भी विश्राम दिया गया। महंत त्रिभुवन शरण दास एवं व्यवस्थापक देव नारायण शरण द्वारा यज्ञाचार्य, कथा व्यास एवं संकीर्तन कर रहे संतों की भावपूर्ण विदाई की गई।

## भाइपाइयों ने प्रोजेक्टर पर देखा बजट

इटावा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां पूर्णकालिक बजट पेश किया है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का टैग बनाए रखना है। शीर्ष नेतृत्व के अह्वान पर जनपद के प्रत्येक मंडल में बजट के लाइव कवरेज का प्रस्तुतीकरण किया जाना था इसी क्रम में भाजपा जनपद कार्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनू गुप्ता के नेतृत्व में बजट के लाइव कवरेज का प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अनू गुप्ता, सदर विधायक सरिता भदौरिया, पूर्व सांसद रघुराज शाक्य, पूर्व सांसद प्रेमदास कटेरिया, पूर्व विधायक सावित्री कटेरिया सहित पार्टी पदाधिकारियों ने बजट के प्रस्तुतीकरण को प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने बताया कि बजट में आर्थिक विकास,



आत्मनिर्भरता और समावेशिता पर जोर दिया गया हैं। सबसे ज्यादा बजट परिवहन मंत्रालय को दिया गया है। सरकार ने परिवहन को 5,98,520 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय रहा। उसे 5,94,585 करोड़ रुपये मिले हैं। तीसरे नंबर पर ग्रामीण विकास, पूर्व विधायक गृह मंत्रालय 2,55,234, 5वें पर कृषि मंत्रालय 1,62,671, छठे पर शिक्षा 1,39,289, 7वें पर ऊर्जा 1,09,029, 8वें पर स्वास्थ्य 1,04,599, 9वें पर शहरी विकास 85,522 और 10वें नंबर

द्वारा संसद में प्रस्तुत विकसित भारत बजट 2026 किसानों के लिए समर्पित है। जिससे किसानों में उत्साह का माहौल है। यह बजट किसानों की आय दुगुनी करेगा। केेंद्रीय बजट पेश होने के बाद इन नेताओं ने बजट को ऐतिहासिक व लोक कल्याणकारी बताया

विधायक तमकुहीराज डॉ असीम कुमार राय, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार शुक्ल, जगदीश चौरसिया, संजय सिंह, सबल सिंह पालीवाल, शत्रुघ्न कसौधन, डॉ सदानन्द शर्मा, डॉ आरटी सिंह, डॉ बच्चा पाण्डेय नवीन, राजराम कर्नौजिया, स्वतंत्र सिंह, नवनीत राय, के एम मझवार, नीरज दुबे, चंचला शुक्ला, बीना उपाध्याय, हरिकेश पासवान, विनय कुमार सिंह, शहंशाह आलम, मंजू सिंह, धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, कृष्णपाल सिंह, राहुल जायसवाल, शुभम सिंह, सुधाकर यादव, रेनु पाण्डेय, आलोक पटवा नारायण दत्त ओझा, अनिल कुमार, अखिलेश सिंह आदि ने बजट को ऐतिहासिक व लोक कल्याणकारी बताया।

## वॉयस ऑफ लखनऊ | 11

#### बजट पर राजनीतिक दलों की रहीं मिलीजुली प्रतिक्रिया

इटावा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य प्रशान्त तिवारी की ओर से केेंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व चिंता वित्तमंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया बजट एक बार फिर यह साफ करता है कि सरकार की प्राथमिकताएं आम जनता नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट हित हैं। कांग्रेस पार्टी इस बजट को गरीब-विरोधी, मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और युवा-विरोधी मानती है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला युवा महामंत्री रंजीत सिंह कुशवाहा ने कहा कि महंगाई, शिक्षा-स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर ठोस राहत नहीं दी गई। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आवंटन नाकाफी है, जिससे गरीब परिवारों पर बोझ और बढ़ेगा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित ने कहा कि बजट में व्यापारी समाज के लिए की जा रही है किसी भी घोषणा को नहीं किया गया।इससे व्यापारी जगत में भारी निराशा है।।जिएसटी जैसे कानून में जेल, सजा, जुमाना को समाप्त नहीं किया गया, व्यापारियों उद्योगपतियों के लोन वे लिमिट पर लगने वाले बैंक की ब्याज दरों को कम नहीं किया गया, सरकार द्वारा आवासीय क्षेत्र में चल रहे कमशियल औद्योगिक संस्थानों को नियमित करने की कोई घोषणा नहीं की गई है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के युवा जिलाध्यक्ष रियाज अहमद ने कहा कि देश के युवाओं के लिए स्थायी और सम्मानजनक रोजगार को कोई स्पष्ट योजना नहीं दिखती। कोशल विकास और स्टार्ट-अप के नाम पर घोषणाएँ हैं, लेकिन वास्तविक नौकरियों का भरोसा नहीं। परीक्षा-भर्ती संकट और सरकारी पदों की रिक्तियों पर बजट मौन है।

### युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम

इकदिल, इटावा। क्षेत्र में गांव बिरारी में युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुँचे ससुरालियों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना देकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। जिला औरैया के थाना अयाना के गाँव निवादा ज्वालाप्रसाद का रहने वाला शिवम उर्फ गोलू (30 ) पुत्र चंद्रभान के माता पता का देहांत बचपन से ही होने के बाद वह अपनी नानी सावित्री देवी के साथ इकदिल के गांव बिरारी में रहता था। शनिवार की रात करीब नौ बजे अचानक उसकी हालत बिगड़ गई।हालत बिगड़ने पर मामा कल्लू और नानी सावित्री उसको सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले गए। जहाँ परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां से परिजन शव को घर ले आये और बिरारी बारात घर में रख दिया। मामले की जानकारी ससुरालियों को दी। रविवार सुबह जब ससुरालीजन गाँव पहुँचे तो मौत पर संदेह के आधार पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर सीओ सिटी अमय नारायण राय, थाना प्रभारी विक्रम सिंह चैहान के साथ फॉरेंसिक टीम गाँव पहुंचकर जाँच पड़ताल में जुट गई। बताया गया कि युवक शराब पीने का आदि था तथा उसको मिर्गी आने की बीमारी थी। जिसका इलाज चल रहा था।
।

### सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

इटावा। संसद सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, जिला विद्यालय यान परिवहन सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी का समापन समारोह जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में आयोजित किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाए जाने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा की जगह-जगह जेबरा क्रॉसिंग बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी सर्विस लाइन है वहां से अतिक्रमण हटाया जाए एवं सरकारी सड़कों पर जो भी सामग्री पड़ी है उसको जप्त किया जाए साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए की हाईवे पर लाइट की व्यवस्था अवश्य की जाए। उन्होंने कहा कि शहर में स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं एवं भरतना बाईपास पर जो बसे रुकती है उन्हें नीचे स्थाई जगह दी जाए। उन्होंने कहा कि जसवंतनगर से कचैरा रोड पर दुर्घटनाओं की संभावना होती है इसका समाधान अवश्य किया जाए।

### सपाइयों ने मनाई गई संत रविदास की जयंती

इटावा। पार्टी कार्यालय पर संत रविदास एवं संत नर हरिदास सोनार की जयंती के अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू द्वारा उपरोक्त दोनों महान संतों के चित्र पर पदधिकारियों के साथ माल्यार्पण किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू ने कहा कि संत रविदास 15वीं 16वीं शताब्दी के महान भारतीय रहस्यवादी कवि समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने जाति पाती आडंबरों का खंडन किया, और मां को पवित्र रखने तथा भाईचारे का संदेश दिया, रविदास का जीवन हमें सादगी परोपकार और ईश्वर के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है।

### माघ पूर्णिमा पर 2.10 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगायी संगम में डुबकी

प्रयागराज। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में श्रद्धालु को माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर दोपहर 12 बजे तक करीब 1.50 करोड़ रविदुलुओं ने संगम और गंगा में डुबकी लगाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मेला प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बावजूद शनिवार आधी रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं का मेला क्षेत्र में आगमन और गंगा स्नान जारी है। उन्होंने बताया कि रविवार शाम 6 बजे तक करीब 2.10 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि पिछले एक महीने से मेले में कल्पवास कर रहे कल्पवासियों का रविवार को अंतिम गंगा स्नान है, इसलिए उनके परिजन उन्हें घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। उन्होंने बताया कि सुबह घने कोहरे के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सभी घाटों पर स्नान सुचारु रूप से जारी है। सभी घाटों पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम तैनात हैं। इसके अलवा नाविकों और गोताखोरों को भी सभी घाटों पर तैनात किया गया है। वर्मा ने बताया कि मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों तथा ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है और सभी अधिकारी मेला क्षेत्र में भ्रमणशील हैं।

### बिजली का पोल दे रहा दुर्घटना को दावत

**भटनी (देवरिया)** स्थानीय नगर के सुभाष इंटर कॉलेज मार्ग के किनारे एक पान की दुकान के पास स्थित बिजली का पोल एक ओर झुक जाने से बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। पोल की स्थिति इतनी ख़तरा हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे राहगीरों में भय का माहौल व्याप्त है। बताया जा रहा है कि सुभाष इंटर कॉलेज से प्रतिदिन हजारों की संख्या में छात्र-छात्राओं सहित आमजन का आना-जाना लगा रहता है। इसके बावजूद खतरनाक स्थिति में खड़े इस बिजली के पोल की ओर बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का अब तक कोई ध्यान नहीं गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते पोल की मरम्मत या उसे बदला नहीं गया, तो किसी भी दिन जान-माल की बड़ी क्षति हो सकती है। नगरवासियों में इसको लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है और लोगों ने बिजली विभाग से मांग की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर संभावित दुर्घटना को रोका जाए।

### यातायात नियमों के प्रभावी पालन हेतु क्रिटिकल कॉरिडोर टीम को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

**देवरिया**। पुलिस अधीक्षक श्री संजीव सुमन के निर्देशन में जनपद में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से यातायात प्रभारी श्री गुरुलाल सिंह द्वारा क्रिटिकल कॉरिडोर टीम को आधुनिक यातायात उपकरणों के प्रयोग संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गयायह प्रशिक्षण थाना कोतवाली, गौरीबाजार, रामपुर कारखाना तथा कानू रूद्रपुर की क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों को दिया गया, जिसमें स्पीडोमीटर, ब्रेथ एनालाइजर एवं बाँडीवान कैमरा के सही और प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य तेज गति, नशे की हालत में वाहन चलाने तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। यातायात प्रभारी द्वारा बताया गया कि स्पीडोमीटर के माध्यम से अवैरसमीटिंग पर कार्रवाई, ब्रेथ एनालाइजर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पहचान तथा बाँडीवान कैमरा से कार्रवाई को पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इससे न केवल यातायात नियमों का पालन सख्ती से कराया जा सकेगा, बल्कि आम जनता में भी कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त कोतवाली क्षेत्र में ई-रिक्षा वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ई-रिक्षा चालकों के कागजातों की गहन जांच की गई। जिन वाहनों के कागजात पूर्ण एवं सही पाए गए, उन्हें नियमानुसार नंबरिंग प्रदान की गई। वहीं बिना कागजात अथवा नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्षा चालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।







# केन्द्रीय बजट को किसी ने सराहा, किसी ने नकारा, किसानों और शिक्षाविदों ने रखी बात

मन्दीप कुमार वर्मा

गोला गोकर्णनाथ, खीरी। वीओएल। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर क्षेत्र में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आयकर स्लैब में बड़े बदलाव न होने से मध्यम वर्ग को सीधी राहत नहीं मिली, जबकि टैक्स नियमों को सरल बनाने और टीडीएस/टीसीएस में आंशिक राहत की घोषणा की गई है। बजट का असर महंगाई, रोजगार और रोजमर्रा की आर्थिक स्थिति पर पड़ने की चर्चा है।

किसानों की जेब पर

बोझ, बजट में उपाय नहीं

बजट में कृषि के लिए तकनीक और योजनाओं का उल्लेख भर है, जबकि खेती की बढ़ती लागत, डीजल-खाद के दाम, सिंचाई की समस्या, गन्ना किसानों का लॉबित भुगतान और फसलों के वाजिब मूल्य जैसे मूल सवालों पर ठोस राहत दिखाई नहीं देती।लागत कम करने के

संक्षेप

कांग्रेस ने बताया बजट

को निराशाजनक

लखीमपुर-खीरी। कांग्रेसी नेताओं ने वित्त वर्ष 2026-27 के केन्द्रीय बजट को फीका और निराशाजनक करार देते हुए रविवार को कहा कि यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता पार्टी प्रवक्ता रवि तिवारी ने यह दावा भी किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण भी पारदर्शी नहीं रहा और इसमें प्रमुख कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन की जानकारी नहीं दी गई रवि तिवारी ने कहा कि दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन करना अभी बाकी है, फिर भी 90 मिनट के भाषण के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि बजट को लेकर जो उम्मीदें की गई थीं, उन पर यह पूरी तरह खरा नहीं उतरता यह पूरी तरह फीका और निराशाजनक रहा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने कही ये बात कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखीमपुर-खीरी प्रहलाद पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले ग्यारह साल में भारत देश की तमाम उम्मीदों को लगातार तोड़ा है बजट आम आदमी की जेब को कैसे मजबूत कर सकता है, वह बजट होना चाहिए लेकिन हर साल जब भी बजट आया है, उसने इस देश की गरीब जनता की जेब को ढीला कर दिया है। जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने कहा कि बजट आने से महज कुछ महीने पहले जिस तरह इन्होंने मारंगा को बर्बाद करने की साजिश की है।

ट्रैक्टर से दबकर

मासूम की मौत

जौनपुर। जिले में महराजगंज थाना क्षेत्र के सर्वसा पड़ाव पर बालू और सरिया लादकर जा रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। क्षेत्र के संवसा पड़ाव निवासी रवि मोदनवाल अपने परिवार के साथ रहकर वहीं मौठाई की दुकान चलाते हैं। रवि अपने दो साल के बच्चे के साथ मौजूद थे। कुछ देर बाद जैसे ही रवि कुछ काम में व्यस्त हुए उनका बेटा रोड की ओर चला गया। उसी दौरान बालू और सरिया लदी ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचल दिया। चपेट में आने से मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही घटना घटित हुई आसपास के लोगों के साथ साथ बच्चे का परिवार भी तुरंत वहां पहुंच गया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

## ग्राम पंचायत जहानपुर व बस्तौली में भ्रष्टाचार चरम पर ,डीडीओ करेंगे निरीक्षण



जिला संवाददाता(Vol)

लखीमपुर खीरी। विकास खंड बिजुआ की ग्राम पंचायत जहानपुर में राजाराम के घर से मोटरथ के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य आईडी आर सी /0649915 में बाँक्सिंग वाल नहीं बनाई गई पश्चिम में पहले से पक्का वाल बना है। पूर्व दिशा में बाँक्सिंग नहीं बनाई गई जिस पर एमबी/बिल के



लिए कोई स्पष्ट और प्रभावी उपाय सामने नहीं रखा गया। उन्होंने एमएसपी, फसल बीमा और कर्ज सुविधा पर स्पष्ट एवं ठोस प्रावधान की आवश्यकता बताई।

**श्रीकृष्ण वर्मा**  
**प्रदेश सचिव**  
**राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन**

**पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में भी कोई बढ़ोतरी नहीं**

5 लाख रुपये तक किसान कर्ज छूट की पिछली घोषणा का अब तक लाभ नहीं मिला।पीएम किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये वार्षिक राशि में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि

खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। संगठन ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी,



कर्ज माफी, फसल बीमा, गन्ना भुगतान और बागवानी किसानों के लिए विशेष पैकेज जैसे मुद्दों पर बजट को मौन बताया। उन्होंने कहा कि बजट किसानों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता।

**अमनदीप सिंह संधू**  
**राष्ट्रीय अध्यक्ष**  
**भाकियू (अमन संधू)**

**रोजगार, कनेक्टिविटी और तकनीक पर सरकार का जोर**

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कृषि और रोजगार सृजन पर विशेष

जोर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को दीर्घकाल में सीधा लाभ मिलेगा। सड़कों, कनेक्टिविटी और तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने से गांव



की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। साथ ही टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने और नियमों में पारदर्शिता लाने के कदम से आम करदाताओं को भी राहत मिलेगी। यह बजट सरकार की विकास-नुमुख सोच को दर्शाता है।

**विजय माहेश्वरी**  
**जिला उपाध्यक्ष**  
**भाजपा**

**बजट से कोई ठोस राहत नहीं मिली**

### विज्ञान कला व क्रॉफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन

लखीमपुर खीरी। चिल्ड्रेन्स एकेडमी विद्यालय में विज्ञान कला एवं क्रॉफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विद्यालय के बच्चों ने सुंदर-सुंदर प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम का उद्घाटन लखीमपुर नगर पालिका अध्यक्ष डाॅ इरा श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव का विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती कुमुद गोविल ने स्वागत किया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने क्लोन इंडिया हेल्थी इंडिया विषय पर बच्चों ने मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई। विद्यार्थियों ने उपयोगी मॉडल रचनात्मक कलाकृतियां व सुंदर क्रॉफ्ट सामग्री प्रस्तुत की। प्रा प्रहमरी से कार्टून वर्ल्ड बनाकर बच्चों ने सबका मन मोह लिया छोटे बच्चों का मुख्य आकर्षण कार्टून रहा व डस्टबिन बनाकर उन्होंने स्वच्छता की ओर जाने के लिए अग्रसर किया , वंडर्स ऑफ द जंगल दिखा करके छोटे बच्चों ने पेड़ बचाओ जिससे जानवर व जीवन बचा रहे यह दर्शाया , प्रहमरी से जल संरक्षण पर्यावरण बचाओ विषय पर सुंदर मॉडल प्रस्तुत कर , जल ही जीवन है व प्रदूषण हटाओ पर्यावरण बचाओ युक्ति को चरितार्थ किया। बच्चों ने ब्रह्मांड बनाकर सभी ग्रहों को दर्शाते हुए चंद्रयान-3 व अंतरिक्ष पर गए अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला को बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया। कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस कंपटीशन व नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

मध्यम वर्ग, किसान और बेरोजगार युवाओं को इस बजट से कोई ठोस राहत नहीं मिली है। महंगाई और रोजगार के गंभीर संकट को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने



आवश्यक कदम उठाने से पूरी तरह परहेज किया है। ऐसे बजट से आम जनता की उम्मीदें टूट गई हैं और सरकार की नीतियों पर भरोसा भी टूट चुका है।

**प्रहलाद पटेल**  
**जिलाध्यक्ष, कांग्रेस**

**आयकर राहत नहीं स्वास्थ्य और शिक्षा में सकारात्मक कदम**

नौकरीपेशा वर्ग को आयकर

स्लैब में राहत की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई। हालांकि हर जिले के अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की स्थापना, कैसर और शुगर की दवाइयों को सस्ता करना, 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेेंट क्लिप्टर लैब, खेलो इंडिया को बढ़ावा,



एयरोस्पेस हब, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, डिजिटल नॉलेज ग्रिड और बायोफार्मा को प्राथमिकता जैसे कदम सकारात्मक हैं। उन्होंने कहा कि आम जनमानस में कुछ निराशा जरूर है, लेकिन बजट विकसित भारत के संकल्प की दिशा में बढ़ता दिखता है।

**प्रो. पंकज सिंह**  
**प्राचार्य**  
**सीजी एनपीजी कॉलेज**

## वॉयस ऑफ लखनऊ 13

**आमजन के कल्याण का है बजट: विजय शुक्ल**



गोला गोकर्णनाथ, खीरी। वीओएल। केन्द्रीय बजट 2026-27 का सीधा प्रसारण सामाजिक संगठनों के प्रमुखों एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला ने कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है और आमजन के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अरुण अवस्थी ने बताया कि बजट जनकल्याणकारी है, खासकर कैसर और डायबिटीज की दवाओं को सस्ता किया गया है जो बड़ी राहत है। जिला अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्र गुट के राम मोहन सोनी ने कहा कि बजट में आयकर रिटर्न की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिससे आम लोगों को सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर विनोद स्वर्णकार ( नगर अध्यक्ष, व्यापार मंडल ), महामंत्री लियकत हुसैन, प्राचार्य डॉ. सौरभ दीक्षित, व्यापारी प्रवीन गुप्ता, वरिष्ठ नेता अशोक सक्सेना, जितेन्द्र सिंह, किसान मोर्चा जिला महामंत्री धर्मेन्द्र सिंह, मॉडिया प्रभारी विजय मिश्रा, भाजपा नगर अध्यक्ष शत्रोहन मिश्रा, कुम्भी मंडल अध्यक्ष रविन्द्र कटियार, महामंत्री राजेश राठौर, नवीन भसीन, शिवम गुप्ता, कैलाश गुप्ता, गुरमेल सिंह, सुश्रुश त्रिवेदी, शशिकांत मिश्रा, गीता विश्वकर्मा, सरिता गौद, सीमा दुबे सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

## कोतवाली क्षेत्र में जानलेवा हमला और लूटपाट का प्रयास

गोला गोकर्णनाथ, खीरी। वीओएल।कोतवाली क्षेत्र के निवासी आनंद सिंह के पुत्र संजीव सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला और लूटपाट की कोशिश की गई। यह घटना 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात को हुई। संजीव सिंह ने बताया कि 31 जनवरी को वे रंजीत सिंह के घर गए थे, जो उनके मकान की बिक्री के 30,000 रुपये बकाया होने के कारण उनसे पैसे मांगने आए थे। वहां रंजीत की पत्नी और एक अन्य महिला मौजूद थीं, जिन्होंने उनके साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद 1 फरवरी की रात करीब 12रू30 बजे रंजीत सिंह के परिवार के कई लोग ब्लैक रंग की गाड़ी से संजीव सिंह के घर पहुंचे। आरोप है कि इनके साथ अंकुश, जतिन, हिमांशु, पीपूष, साहिल, सुशील कुमार और मनीष थे, जिनके पास तमंचा, तलवार और बांका थे। ये आरोपी संजीव और उनके परिवार को डकार लूटपाट करने का प्रयास कर रहे थे। जब संजीव ने विरोध किया, तो आरोपियों ने फायरिंग की, लेकिन वे बाल-बाल बच गए। आरोपियों ने घरवालों को जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग निकले। घटना के तुरंत बाद 112 पुलिस को सूचना दी गई। संजीव के पिता आनंद सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

**बजट से शिक्षक कर्मचारियों में हताशा**

जौनपुर। उत्तरप्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष व प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित सिंह ने कहा है कि सरकार के यूनिफाइड पेंशन योजना को ज्वादातर शिक्षक कर्मचारियों के द्वारा नकारे जाने के बाद इस बजट में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर काफी उम्मीद थी लेकिन ओपीएस न बहाल किये जाने से सभी शिक्षक कर्मचारियों में हताशा व निराशा हुई है, साथ ही साथ महंगाई लगातार बढ़ने पर भी टैक्स स्लेब में कोई परिवर्तन न किया जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

**चलती रहेगी कक्षा में पढ़ाई और अधिकार की लड़ाई**

जौनपुर। उ प्र माध्यमिक शिक्षक संघ ( नवीन ) की तहसील स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी बरईपार रोड मछली शहर में हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश कुमार मुख्ख अतिथि संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष धर्मेद्र यादव जिलाध्यक्ष राज केशर यादव, कार्यकारी जिलाध्यक्ष रितेश कुमार रहे। मुख्ख अतिथि धर्मेद्र यादव ने कहा कि शिक्षक निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए गरीब, असहाय एवं अभावग्रस्त परिवार के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा निरन्तर देते रहने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निजीकरण से बचाए रखना होगा। कक्षा में पढ़ाई और अधिकार की लड़ाई के मूल मंत्र के रूप में आत्मसात करना होगा तभी हमारा का अधिकार, मान सम्मान स्थापमान एवं सेवा सुरक्षा की गारंटी हो सकेगी। जिलाध्यक्ष राज केशर संगठन के संघर्ष की बदौलत अंत में एनपीएस और यूपीएस की परिणति शिक्षकों के भविष्य से जुड़ी बुढ़ापे की लाठी रूपी पुरानी पेंशन के रूप में ही होनी है। शैलेन्द्र सरोज ने कहा कि समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्ष करने वाले संगठन के प्रत्याशी को ही चुनना होगा। विजय प्रकाश गौतम ने कहा कि संगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए अधिक से अधिक शिक्षकों को संगठन की सदस्यता ग्रहण करें। धर्मचंद्र गुप्त , नंदलाल चैरसिया, विजय बहादुर यादव, विजय बहादुर पाल, कमला प्रसाद यादव, उमाशंकर प्रजापति, राकेश कुमार मौर्य, राई मुन्ना सिंह, हरिश्चंद्र पटेल सहित आदि शिक्षक पदाधिकारियों ने शैक्षिक संगोष्ठी में संबोधित किया। भारत लाल यादव चंद्रसेन यादव दीपक कुमार बबलू गौतम अजय कुमार यादव अशोक कुमार यादव महेंद्र कुमार कुणु कुमार मौय, लालचंद्र बिन्द, बृजभान यादव ओम प्रकाश यादव हौशिला प्रसाद पाल, आदि मौजूद रहे।

**माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी**

आमनगढ़। माघ पूर्णिमा पर रविवार की सुबह ही श्रद्धालुओं ने नदियों और सरोवरों पर पहुंच कर आस्था की की डुबकी लगाई। तत्पश्चात दान-पुण्य कर मंदिरों में पूजन अर्चन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना किये। माघी पूर्णिमा के अन्वसर पर फूलपुर के दुवार्षा, निजामाबाद के दत्तात्रेय आश्रम, सिलनी स्थित चंद्रमा ऋषि आश्रम, रानी की सराय के अर्वातिकापुरी और महाराजगंज क्षेत्र के भैरो बाबा धाधु पर रविवार की सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगायी। स्नान के बाद दान-पुण्य किये और मंदिरों पर जाकर विधि विधान से पूजन अर्चन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना किये। कई स्थानों पर मेला भी लगा रहा।



अपने चारों ओर कोकून ( बबबववद ) बनाते हैं। रेशम निकालने के लिए इन कोकूनों को उबाला जाता है - लोल भावना को साकार करती है - लोल इंडिया ने इस असाधारण प्रयोग को अवधारणा से सफलता तक पहुँचाने में निरंतर सीएसआर सहयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नैतिक और पर्यावरणीय महत्व के साथ-साथ, यह तकनीक रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए आय का एक नया और सतत स्रोत भी प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलेगी। जीवोदया पायलट परियोजना की सफलता के साथ, यह पहल व्यापक स्तर पर अपनाए जाने तथा सतत और नैतिक रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ रखती हैं।



### संक्षेप

## मालगाड़ी के आगे कूदी महिला, मौत

बिसवां नगर (सीतापुर)। कोतवाली बिसवां क्षेत्रांतर्गत सीतापुर बुढ़वल रेलवे ट्रैक पर एक महिला ने अचानक मालगाड़ी के सामने आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजा करनाई निवासी छोटकनी पत्नी स्व० राजेंद्र रविवार सुबह अचानक गांव के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। उसी दौरान महमूदाबाद की ओर से सीतापुर की तरफ जा रही एक मालगाड़ी वहां से गुजरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला अचानक ट्रेन के सामने आ गई। जिससे वह गंभीर रूप से घेपेट में आ गई। और उसका सिर व घड़ अलग होकर जा गिरा। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला के कटने के बाद ट्रेन रुकने और शोर मचने के बाद भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गये। सूचना मिलते ही कोतवाली बिसवां पुलिस और जीआरपी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का लग रहा है। महिला ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है तथा हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। जिससे मौत का असली कारण पता लगाया जा सके। फिलहाल परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं। उन्होंने किसी भी तरह के घरेलू विवाद की बात से फिलहाल इनकार किया है।

## पुलिस व राजस्व टीम पर कर्मचारियों ने किया हमला

सिधौली (सीतापुर)। कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुर स्थित जीएस मिशन स्कूल में अवैध निर्माण की शिकायत पर निरीक्षण करने गे पुलिस व राजस्व टीम पर स्कूल प्रबंधन और कर्मचारियों ने हमला कर दिया। हमले में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि लेखपाल जितेंद्र सहित कई कर्मी घायल हो गये। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतापुर निवासी सत्य प्रकाश ने अपनी गाटा संख्या 9 पर स्कूल प्रबंधकों पर अवैध रूप से दीवार का निर्माण करवाने की शिकायत की थी। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम एसआई दवानंद झा लेखपाल जितेंद्र सिंह व अन्य लोगों टीम शनिवार की रात पहुंची और मौके पर निरीक्षण की बात कही। इसी दौरान स्कूल प्रबन्धकों ने व अन्य मौजूद लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया।लेखपाल जितेंद्र की तहरीर पर सिधौली पुलिस ने प्रबंधक श्रवण, विल्सन, प्रधानाचार्य नाओमी क्षेत्री समेत करीब 20 लोगों पर गम्भीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। घटना की सूचना पर सीओ कपूर कुमार सहित अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। घायलों का उपचार कराया गया है। सीओ कपूर कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच जारी है। बताते चलें कि 2 दिन पूर्व भी राजस्व टीम के सामने शिकायत करता वह स्कूल प्रबंधकों में जमकर मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक कर्मियों पर सिधौली कोतवाली पुलिस ने 151 के तहत कार्रवाई की थी। उसके उपरांत शनिवार को फिर से शिकायत की गई और इसी शिकायत को लेकर टीम निरीक्षण के लिए गई थी।

## आकस्मिक निधन पर हुई शोकसभा

सीतापुर। नगर के प्रमुख दवा व्यवसाई व आदर्श व्यापार मंडल जिला उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल मुन्ना भैया के आकस्मिक निधन पर आदर्श व्यापार मंडल जिला कार्यालय में शोकसभा कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने प्रदीप अग्रवाल के निधन को व्यापारी समाज की अपूर्णीय क्षति बताते हुए गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, संरक्षक विक्ववीर गुप्ता, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, प्रमुख सलाहकार नरेश अग्रवाल, नगर अध्यक्ष रामकुमार रस्तोगी, जिला मंत्री अनीत मिश्रा, युवा विंग अध्यक्ष दीपिल अरोड़ा, आशेष सक्सेना, महिला अध्यक्ष सरिता जैन, सीमा जैन, अमित गुप्ता, संजीव अग्रवाल, अर्जुन राठौर, अनुराग शुक्ला, मोहित अग्रवाल, विजय रस्तोगी सहित संप्रदात पदाधिकारियों ने प्रदीप अग्रवाल के निधन पर महरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है।

# बजट में सभी वर्गों के हित का रखा गया ध्यान



जिला संवाददाता(vol)

सीतापुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट संसद में रखा गया। बजट राष्ट्र कल्याण और देश में निवास कर रहे सभी वर्गों को ध्यान में रखकर राष्ट्रसर्पित किया गया है। उक्त बजट का टेलीविजन के माध्यम से सजीव प्रसारण स्थानीय नेहरू हाल में रखा गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री विधायक सदर राकेश राठौर गुरु उपस्थित रहे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला

### ● केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट संसद में रखा

द्वारा की गई। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को विस्तार से सुना गया।

भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी 40 मंडलों में बजट का संजीव प्रसारण सुना गया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु ने बजट को सभी के लिए हितकारी बताया जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि प्रस्तुत बजट में देश के सभी वर्गों का ध्यान

## संत रविदास व संत नरहरी दास जयंती समारोह आयोजित



फतेहपुर,। समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालय पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निदेशानुसार महान संत रविदास जी एवं संत नरहरी दास जी की जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पमाला अर्पित कर की गई। इसके बाद संतों के जीवन परिचय, उनके द्वारा समाज सुधार, शोषित-पीड़ित वर्गों के उद्धार एवं भक्ति मार्ग में

किए गए अतुलनीय कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई।

संत रविदास जी ने 15वें शताब्दी में जाति-पाति के भेदभाव को चुनौती देते हुए 'सबका मालिक एक' का संदेश दिया। उनकी वाणी आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। उधर, संत नरहरी दास ने अपनी भक्ति रचनाओं से नैतिक मूल्यों और सामाजिक एकता का प्रचार किया।

## धूमधाम से मनायी गयी संत रविदास की जयंती

सिधौली (सीतापुर)। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मोत्सव कस्बा के पंचायती रविदास मंदिर में रविवार को परम्परागत तरीके से उत्साहपूर्वक और हर्षोल्लास से मनाया गया और धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गयी। शोभायात्रा में संत रविदास के जीवन पर आधारित तरह- तरह की झांकिया सजाई गई थी। जो लोगों का आकर्षण का केंद्र रही। झांकियों के साथ बैँड बाजे की धुन पर नर्चें मुन्ने बच्चे, नौजवान, महिलाएँ, पुरुष, बौद्ध भिक्षु, कबीरपंथी व रविदास पंथी बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। इस शोभा यात्रा की अगुवाई पंचायती रविदास मंदिर के अध्यक्ष अमरसेन चौधरी ने की।

## 90 नेत्र मरीजों का ऑपरेशन के लिए चिहांकन



सफीपुर, उन्नाव। विधायक द्वारा आयोजित परम्परागत नेत्र शिविर में 145 मरीजों में 9० का ऑपरेशन के लिए चिन्हांकन किया गया। क्षेत्र के कस्बा सफीपुर स्थित भाजपा विधायक बम्बालाल दिवाकर के आवास पर परंपरागत आयोजित होने वाले शिविर में भारी संख्या में नेत्र रोगियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां करीब 145 मरीजों का शंकरा आई हॉस्पिटल के कुशल चिकित्सकों ने परीक्षण किया। जिसमें 9० मरीजों का चिन्हांकन कर अपरेशन हेतु शंकरा आई हॉस्पिटल चैबेपुर कानपुर भेजा गया। शिविर को सफुशल संपन्न कराने में बेनी माधव दिवाकर, आशीष कनौजिया, राजू सिंह चैहान, लल्ला तिवारी, पुषेंद्र कुमार, दीपक विमल, मलखान सिंह, छोटे आदि ने महती भूमिका निभाई।

# मौरावां में खेल प्रतियोगिता का आयोजन



**मौरावा, उन्नाव**। हर वर्ष नगर पंचायत मौरावां में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन उन्नाव के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध आयोजित होने वाले क्रिकेट कैम्प का शुभारंभ नायब तहसीलदार पुरवा व एसएचओ मौरावां ने किया। जानकारी के अनुसार ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से अरविंद कमल श्रीवास्तव के निदेशानुसार डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लगातार जनपद के मौरावां नगर पंचायत में 7 दिवसीय क्रिकेट कैम्प का आयोजन कराता है। उसी कड़ी में 1 फरवरी को मौरावां के मेला मेड़ान में तृतीय क्रिकेट कैम्प का

उद्घाटन मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार पुरवा नीरज चतुर्वेदी व विशिष्ट अतिथि एसएचओ मौरावां कुँवर बहादुर सिंह ने बैटिंग व बॉलिंग करके किया। कार्यक्रम की शुरुआत संत रविदास जी के चित्र पर नायब तहसीलदार व एसएचओ के पुष्प अर्पित करने से हुई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नीरज चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं का निखार होता है। उन्होंने इस कैम्प से क्षेत्र के खिलाड़ियों को लाभ लेने की बात कही। वही एसएचओ ने कहा कि ये क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका है

## सीतापुर/उन्नाव/फतेहपुर

# विहिप व बजरंग दल की सामाजिक समरसता यात्रा का किया स्वागत

बिसवां नगर (सीतापुर)। विभाग की सामाजिक समरसता यात्रा का कार्यक्रम बिसवां नगर के बड़े चौराहे पर नगर जिले के कार्यक्ताओं द्वारा पूजन अर्चन स्वागत सम्मान हुआ।

कार्यक्रम में जिला संगठन मंत्री सुधाकर, जिला गौ रक्षा प्रमुख श्रीकांत मौर्य, जिला सुरक्षा प्रमुख ओम प्रकाश गुप्ता, शुभम मिश्रा, आयुष मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता बंधु उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का उद्बोधन विहिप नगर अध्यक्ष प्रेम शंकर बाजपेई ने भारत माता की, जय श्रीराम, गर्व से कहे।

रखा गया है। किसानों के लिए लाई गई योजनाओं से किसानों की आय में वृद्धि होगी तो वही कैसर जैसी घातक बीमारियों की आवश्यक दवाइयों को सस्ता किया गया है। जिससे रोगी और उसके घर वालों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि विदेश में पढ़ रहे शिक्षार्थियों को भी टैक्स में विशेष सुविधा दी गई है। जिससे हमारे



हम सब हिन्दू है आदि नारों से कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

देश का भविष्य विदेशों में भी अपने हुनर को चमकाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम महायज्ञ एवं विराट सहित सम्मेलन दुर्गा धाम शक्तिपीठराही ब्लॉक परसेंडी जनपद सीतापुर कार्यक्रम के अंतिम दिवस 11वें दिवस के पावन अवसर पर यज्ञशाला पंडित अर्जुन तिवारी यज्ञ आचार्य महाराज अयोध्या धाम एवं वैदिक मंडल के द्वारा मुख्य यजमान शैलेंद्र शुक्ला सब पत्नी के साथ वैदिक मंत्रालय के साथ विधि विधान पूर्वक पूर्णाहुति कार्यक्रम विशाल कन्या भोज एवं भंडारे के प्रसाद वितरण साथ संपन्न हुआ। जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया है। विशाल सत्संग हॉल में पंडित भूसेंड़ी जी महाराज नैमिष धाम ने प्रवचन के माध्यम से बताया मनु शतरूपा ने तपस्या की एवं सत्यनारायण सत कथा का उद्गम स्थल है भी है। सतयुग त्रेता द्वार और कलयुग में नैमिष तीर्थ में यज्ञ करने का महत्व है और आज सीतापुर जनपद में दुर्गा धाम रही शक्तिपीठ में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सब लोग बड़भागी श्री वृंदावन धाम से पधारे राधिका देवी ने मानस के माध्यम से बताया कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर न उतर नहीं पारा। मानस के महान मर्मज्ञ पंडित कृष्ण बिहारी शास्त्री ने भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए भक्तों को आर्नदित किया। राम जी मिश्रा के द्वारा सती अनुसूया के चरित्र का व्याख्यान करते हुए कहा सती पतिव्रता के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र के रूप में प्राप्त किया।

# कन्या भोज व भंडारे के साथ 49वें यज्ञ का समापन



परसेण्डी (सीतापुर)। विकासखण्ड परसेण्डी के दुर्गा धाम राही में चल रही 49वां यज्ञ उत्सव कार्यक्रम विशाल कन्या भोज एवं विशाल भंडारे के साथ सम्पन्न हुआ। श्री 1००8 ब्रह्मलीन फलाहारी बाबा के पूर्ण स्मृति में आयोजित 49वां विष्णु महायज्ञ एवं विराट सहित सम्मेलन दुर्गा धाम शक्तिपीठराही ब्लॉक परसेंडी जनपद सीतापुर कार्यक्रम के अंतिम दिवस 11वें दिवस के पावन अवसर पर यज्ञशाला पंडित अर्जुन तिवारी यज्ञ आचार्य महाराज अयोध्या धाम एवं वैदिक मंडल के द्वारा मुख्य यजमान शैलेंद्र शुक्ला सब पत्नी के साथ वैदिक मंत्रालय के साथ विधि विधान पूर्वक पूर्णाहुति कार्यक्रम विशाल कन्या भोज एवं भंडारे के प्रसाद वितरण साथ संपन्न हुआ। जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया है। विशाल सत्संग हॉल में पंडित भूसेंड़ी जी महाराज नैमिष धाम ने प्रवचन के माध्यम से बताया मनु शतरूपा ने तपस्या की एवं सत्यनारायण सत कथा का उद्गम स्थल है भी है। सतयुग त्रेता द्वार और कलयुग में नैमिष तीर्थ में यज्ञ करने का महत्व है और आज सीतापुर जनपद में दुर्गा धाम रही शक्तिपीठ में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सब लोग बड़भागी श्री वृंदावन धाम से पधारे राधिका देवी ने मानस के माध्यम से बताया कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर न उतर नहीं पारा। मानस के महान मर्मज्ञ पंडित कृष्ण बिहारी शास्त्री ने भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए भक्तों को आर्नदित किया। राम जी मिश्रा के द्वारा सती अनुसूया के चरित्र का व्याख्यान करते हुए कहा सती पतिव्रता के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र के रूप में प्राप्त किया।

## स्कूल के वार्षिकोत्सव में बच्चों ने दिखायी प्रतिभा

पाटन, उन्नाव। ग्रामीण क्षेत्र में खुले अंग्रेजी माध्यम के इस विद्यालय में बच्चों को अध्ययन के साथ साथ जिस तरह प्रत्येक क्षेत्र में आज के परिवेश के मुताबिक बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है उसकी तारीफ जितनी भी की जाय वह कम है।

कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद बच्चों के कार्यक्रमो में उनकी प्रस्तुतीकरण देख कर विश्वास है कि यहाँ के बच्चे राष्ट्र के निर्माण में अपना अप्रतिम योगदान देकर क्षेत्र जनपद व अपने अभिभावकों का नाम रोशन करेंगे। यह विचार गौरी स्थित एमएम पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा जनपद में उच्च शिक्षा की निजी क्षेत्र में शुरूवात करने वाले जिन्हें उन्नाव का मालवीय कहा गया



स्मृति शेष कमला शंकर अवस्थी के सुपुत्र गौरव उनका छोटे बच्चों को शिक्षित करके आगे बढ़ाने में अपना शिक्षा जनत में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के बच्चों द्वारा निराला की सरस्वती वंदना के साथ व दीप प्रज्वलन उन्नाव वार अध्यक्ष गिरीश मिश्रा व लखनऊ के समाज सेवी राकेश वर्मा उषा वर्मा व सदफ खान प्रिंसिपल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल राबरेली द्वारा करके किया गया।

## दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, मचा हड़कंप

पहला (सीतापुर)। सदरपुर थाना क्षेत्र के महरीया गांव में रविवार को रास्ते के विवाद ने उग्र रूप ले लिया। खेत के किनारे से निकलने वाले मार्ग को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी रविवार को हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान ग्रामीणों ने बैरिकेडिंग उखाड़ दी और जमकर हंगामा किया। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार, महरीया गांव निवासी ओम प्रकाश मिश्रा और दूसरे पक्ष के गुलाम अली व हनीफ अली के बीच खेत के किनारे के रास्ते को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। गांव के अंदर इस रास्ते पर पहले से बैरिकेडिंग की गई थी, जिससे ग्रामीण खासे नाराज थे। रविवार को इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। बहस के दौरान उत्तेजित ग्रामीणों ने मौके पर लगी बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका। धक्का-मुक्की और मारपीटरूक देखते ही देखते दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। इस अफरा-तफरी में एक युवक चोटिल हो गया, जिसे आनन-फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद किसी ग्रामीण ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने और घटना की सूचना मिलते ही सदरपुर थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

### ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

सीतापुर। शिक्षा के साथ खेलकूद का महत्व बताते हुए महिला थाना एंटी रोमियो प्रभारी पूजा कटियार ने कहा कि शिक्षा में खेलकूद उतना ही आवश्यक है जितना पढ़ाई में पुस्तकों का स्थान होता है। वह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में डोर फाउंडेशन द्वारा आयोजित ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रही थीं। कार्यक्रम का शुभारंभ बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय अवस्थी और समाजसेवी आकाश बजरंगी ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों ने दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, बोरी दौड़ सहित कई खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मानस मेला अध्यक्ष विष्मभर तिवारी, सर्व समाज संगम अध्यक्ष धीरज पांडे तथा लक्ष्मीकांत बाजपेई ने उपस्थित होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

## मौहारी व अड़ार में धूमधाम से मनी संत शिरोमणि रविदास जयंती

पाटन, उन्नाव। तहसील बीघापुर क्षेत्र अंतर्गत बीघापुर ब्लॉक के ग्राम मौहारी एवं अड़ार में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती बड़े हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई कार्यक्रम में जनप्रति समाजसेवी एवं पुष्प फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि पुष्पेन्द्र प्रताप



सिंह ने ग्रामवासियों के साथ संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा एवं संविधान शिलपी बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी सभी वर्गों के लिए पूज्यनीय हैं और उनकी जयंती में सम्मिलित होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि समाज को जातीय बंधनों से मुक्त कर एक सुंदर, समरस और संगठित समाज का निर्माण करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब समाज एकजुट और संगठित रहेगा, तभी सामाजिक परिवर्तन संभव होगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह को माला पहनाकर, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं ग्रामवासियों ने हनुमन्त्रे भइया जिंदाबादहू के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया, जिससे पूरा वातावरण उत्साह और उल्लास से भर उठा। इस अवसर पर दिलीप निर्मल (प्रधान, धानी खेड़ा), संदीप सिंह, रामशंकर सिंह, सेनू यादव, दिलीप गौतम, आर्यन चैधरी, पंकज, रिकू, सोनू, रामचरन गौतम, रामजी यादव, जयराम, शिवकुमार, राजेश, देवकीनंदन जी, रोहित सिंह, नरज, रामसजीवन, बाबा दीन, गंगाराम, अतुल सिंह, गोल्ड सिंह, प्रीती, ममता, राजकुमारी, शुभम रावत सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे।

### माघी पूर्णिमा पर स्नान करने वालों की रही भीड़

फतेहपुर चौरासा, उन्नाव। माघी पूर्णिमा के अवसर पर क्षेत्र के गंगा नदी के घाटों पर स्नान करने वालों की भारी भीड़ रही। लोगों ने स्नान के बाद दान दक्षिणा देकर पुण्य कमाया। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने दुकानें लगाकर घाटों पर मेले जैसा माहौल बना दिया जहां लोगों ने जमकर खरीददारी की। जहां बच्चों ने खिलौने खरीदे वहीं महिलाओं ने घरेलू चीजों और प्रसाद आदि खरीदा। क्षेत्र के बहेलवा घाट, सरैया घाट, सेंग घाट आदि पर सुबह से ही स्नानार्थियों की भीड़ पहुंचने लगी। इधर कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड और खराब मौसम के कारण कम भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा था लेकिन रविवार को सुबह हल्की धुंध के बाद मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई जिससे गंगा स्नान करने वालों का तांता लग गया। माघ माह में गंगा स्नान के महत्व को देखते हुए स्थानीय पंडा पुजारियों ने स्नानार्थियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने के प्रयास भी किए।



फतेहपुर चौरासा, उन्नाव। माघी पूर्णिमा के अवसर पर क्षेत्र के गंगा नदी के घाटों पर स्नान करने वालों की भारी भीड़ रही। लोगों ने स्नान के बाद दान दक्षिणा देकर पुण्य कमाया। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने दुकानें लगाकर घाटों पर मेले जैसा माहौल बना दिया जहां लोगों ने जमकर खरीददारी की। जहां बच्चों ने खिलौने खरीदे वहीं महिलाओं ने घरेलू चीजों और प्रसाद आदि खरीदा। क्षेत्र के बहेलवा घाट, सरैया घाट, सेंग घाट आदि पर सुबह से ही स्नानार्थियों की भीड़ पहुंचने लगी। इधर कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड और खराब मौसम के कारण कम भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा था लेकिन रविवार को सुबह हल्की धुंध के बाद मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई जिससे गंगा स्नान करने वालों का तांता लग गया। माघ माह में गंगा स्नान के महत्व को देखते हुए स्थानीय पंडा पुजारियों ने स्नानार्थियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने के प्रयास भी किए।

## जुलाई माह से नहीं मिला वेतन, एमआईएस व तयू-एमआईएस कर्मचारियों ने जतायी नाराजगी

उन्नाव। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बीते कई महीनों से वेतन न मिलने का मामला सामने आया है। एमआईएस एवं क्यू-एमआईएस के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों ने जुलाई 2025 से अब तक वेतन भुगतान न होने को लेकर शिकायत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद उन्नाव के विभिन्न विकास खंडों में कार्यरत कुल ०6 एमआईएसएवं ०1 क्यू-एमआईएस कर्मचारियों को विगत जुलाई माह से वेतन नहीं दिया गया है। वहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक लेखाकार को फरवरी 2०25 का मानदेय भी अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। कर्मचारियों का आरोप है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बार-बार जानकारी देने के बावजूद केवल फर्म से लेखाना की प्रक्रिया बताकर मामला टाल दिया जा रहा है। जबकि सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों से निरंतर कार्य लिया जा रहा है, लेकिन उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा। सूत्रों के अनुसार जिला परियोजना कार्यालय में तैनात अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि फरवरी 2025 के मानदेय की धनराशि संबंधित विभाग को प्रेषित कर दी गई है, इसके बावजूद सेवा प्रदाता द्वारा न तो कर्मचारियों का ईपीएफ और न ही ईएसआई जमा किया गया है। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र वेतन भुगतान की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे विरोध के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप कर बकाया वेतन का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है।

## नहीं मिला मानदेय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने डीएम से की शिकायत

उन्नाव। बेसिक शिक्षा विभाग, उन्नाव में कार्यरत ०6 ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर एवं ०1 क्वालिटी कोऑर्डिनेटर को अगस्त माह का मानदेय अब तक नहीं मिलने का मामला सामने आया है। जबकि शासन स्तर से मानदेय की धनराशि जारी हो चुकी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर संबंधित कर्मचारियों का लंबित मानदेय दिलवाने एवं विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का अनुरोध किया है।

### जनसंपर्क कर जरूरतमंदों को बांटे कंबल

पाटन, उन्नाव। भगवंतनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रविवार को ऋतु फाउंडेशन के संस्थापक पडरी निवासी उद्यमी समाजसेवी अनुराग त्रिवेदी ने न्याय पंचायत बिहार के ग्राम बिहार हिंदू नगर भाटन खेड़ा व न्याय पंचायत चैनपुर के मधेया, नरी खेड़ा, दुधपुर, सराय मंगली एवं जालापुर के मजरो के नामरिकों जनसंपर्क आदमी संवाद किया एवं कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों की समस्याओं, अपेक्षाओं एवं सुझावों को गंभीरता पूर्वक समना गया तथा सामाजिक समरसता और मानवीय संवेदनाओं के प्रतीक स्वरूप कंबल वितरण किया गया। जनकल्याणकारी सोच एवं भावी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसे जनता का सकारात्मक समर्थन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नवीन द्विवेदी, अर्जुन सिंह, राजू गौतम, राम सेवक पासी, कमल सिंह, नवल मिश्र, विमल प्रधान, गंगा प्रसाद, मुंडू मे काका, शिवरतन धोबी, सुनील त्रिवेदी, नारायण मिश्रा, राजा बाबू प्रधान प्रतिनिधि, अजय बाजपेई, अरुण बाजपेई, दीनक्याल त्रिवेदी सहित सैकड़ों की संख्या में माताओं, बुजुर्गों एवं युवा साथियों से भेंट हुई। उपस्थित जनसमूह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए क्षेत्र के समग्र विकास हेतु अपनी सहभागिता का विश्वास दिलाया। यह जनसंपर्क कार्यक्रम न केवल सेवा और संवेदना का प्रतीक रहा, बल्कि जन-जन को साथ लेकर आगे बढ़ने के संकल्प को भी सशक्त करता दिखाई दिया।







# भविष्य के लिए तैयार भारत का बजट

## बजट 2026-27 निर्यात और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा : गोयल

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि 2026-27 का बजट भविष्य के लिए तैयार भारत के निर्माण के उद्देश्य से बनाया गया है और इससे निर्यात एवं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि बजट में विनिर्माण, सेवाओं, निर्यात, महिलाओं, शिक्षा, कौशल विकास, मछुआरों, पशुपालन और नई प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। गोयल ने कहा, मैं इस बजट को भविष्य के लिए तैयार भारत का बजट कहूंगा। उन्होंने कहा कि करीब 350 सुधार पहले ही किए जा चुके हैं और विभिन्न पहलू के माध्यम से सुधार की रफ्तार तेज हो रही है। इसमें डेटा केंद्रों के लिए अभूतपूर्व लाभ की घोषणा की गई है और भारत के भविष्योन्मुखी एजेंडा को रेखांकित

किया गया है। संसद में रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में, भारत में स्थित 'डेटा केंद्रों' का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक कर छूट का प्रस्ताव रखा गया है। यह सरकार की कृत्रिम मेधा (एआई) और डिजिटल अवसंरचना का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में की गई पहल का संकेत है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्ष में 37 विकसित देशों के साथ आठ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दिया है। उन्होंने कहा कि भारत चिली, पेरू और कनाडा सहित कई

देशों के साथ इसी तरह के समझौतों के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। गोयल ने कहा कि चिली के साथ व्यापार वार्ता ल्याभग अंतिम चरण में है जहां भारत के महत्वपूर्ण खनिजों में हित है। मंत्री ने कहा, नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में हमने पिछले कुछ वर्षों में 37 विकसित देशों के साथ

आठ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। वर्ष 2014 से अब तक भारत ने आठ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया है। गोयल ने बताया कि मौजूदा पीटीए (तर्जिही प्राप्त व्यापार समझौता) का विस्तार करने के लिए मर्कोसुर देशों के समूह के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो गई है। मर्कोसुर व्यापार समूह के सदस्य अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र के छह देशों के समूह जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) भी भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत शुरू

करने और उसे आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि भारत और एसएसीयू (दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ) भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या दोनों पक्ष व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए कई संभावित व्यापार समझौते होने की कगार पर हैं। आने वाले वर्ष में हमें निश्चित रूप से और भी कई अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। भारत एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बनेगा। व्यापार समझौतों के तहत, दो या दो से अधिक राष्ट्र अपने बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर आयात शुल्क या तो समाप्त कर देते हैं या कम कर देते हैं। वे सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील भी देते हैं।

## सरकार राजकाषीय घाटे की भरपाई के लिए 2026-27 में कुल 17.2 लाख करोड़ का कर्ज लेगी

नयी दिल्ली। सरकार अगले वित्त वर्ष में 4.3 प्रतिशत के अनुमानित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए कुल 17.2 लाख करोड़ रुपये उधार ले सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 14.80 लाख करोड़ रुपये के सकल कर्ज का अनुमान लगाया था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचत और अन्य स्रोतों से किये जाने की उम्मीद है। सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। कर्ज की राशि अधिक होने के प्रश्न पर, आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि शुद्ध बाजार उधारी



11.73 लाख करोड़ रुपये के आसपास है, जो पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के करीब है। उन्होंने कहा, यह बड़ी संख्या इसलिए है क्योंकि हमें इस साल 5.5 लाख करोड़ रुपये चुकाने हैं। इसलिए, उस लिहाज से हमें यह कोई बड़ी संख्या नहीं लगती। ठाकुर ने कहा कि प्रतिभूति पुनर्खरीद और अदल-बदली का मुख्य उद्देश्य सरकार पर जण चुकाने का बोझ कम करना, एक साथ

कई ऋण के जमा होने के प्रभाव को कम करना और लागत को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा, हमने इस साल उच्च ब्याज वाली प्रतिभूतियों की महत्वपूर्ण अदल-बदली की है। अगले साल इस 5.5 लाख करोड़ रुपये को चुकाना होगा। जैसे-जैसे ये प्रतिभूतियां आती रहेंगी, हम निष्पण लेते रहेंगे। बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने कहा कि केंद्र राज्यों से उनके राजकोषीय प्रबंधन के बारे में बात कर रहा है और उनके ऋणों पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र अनुच्छेद 293 (3) के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है कि राज्यों के कर्ज पर भी नजर रखी जाए...। हम उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उनके वित्तीय प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) से अर्र जाने पर हम उस पर गौर कर सकते हैं।

### संक्षेप

### 15 में से आठ बार बजट के दिन बाजार में गिरावट रही

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में अब तक कुल 15 केंद्रीय बजट पेश किए गए हैं जिसमें से आठ बार बीएसई का मानक सूचकांक संसेक्स नकारात्मक दायरे में बंद हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने 2014 के बाद अब तक कुल 15 बजट पेश किए हैं। इनमें 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले के दो अंतरिम बजट भी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते समय वायदा अनुबंध सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। इस घोषणा से निवेशक धारणा प्रभावित होने का नतीजा यह हुआ कि प्रमुख शेयर सूचकांक संसेक्स और निफ्टी ल्याभग दो प्रतिशत तक गिर गए। संसेक्स दोपहर के कारोबार में 2,370.36 अंक यानी 2.88 प्रतिशत लुढ़ककर 80,000 अंक के स्तर से नीचे 79,899.42 अंक पर आ गया था। हालांकि, अंतिम कारोबार में संसेक्स 1,546.84 अंक यानी 1.88 प्रतिशत गिरकर 80,722.94 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 495.20 अंक यानी 1.96 प्रतिशत टूटकर 24,825.45 पर बंद हुआ।

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने रविवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के तत्वावधान में 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटिव लैब स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक उभरता हुआ उद्योग है, जिसके लिए 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का

अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा, मैं 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई का सहयोग करने का प्रस्ताव करती हूं। केंद्रीय बजट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 4,551.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से एक बड़ी राशि भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के साथ-साथ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभा विकास और सामुदायिक रेंडियो के विस्तार को समर्थन देने के लिए निर्धारित की गई है।

## बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किया और सुधार एक्सप्रेस को जारी रखते हुए वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट और कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा।

हालांकि, बजट में वायदा एवं विकल्प खंड में प्रतिभूति सौदा कर बढ़ाये जाने से शेयर बाजार लगभग दो प्रतिशत तक लुढ़क गया। बीएसई संसेक्स 1,547 अंक टूटा जबकि एनएसई निफ्टी में 495 अंक की गिरावट आई। सीतारमण ने संसद में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए छठे उद्यमों एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अबतक के सर्वाधिक 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ इस बजट को बढ़ते वैश्विक जोखिमों के बीच वृद्धि को बनाए



रखने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित पांच प्रमुख राज्यों में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, इसके बावजूद राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए लोकलुभावन योजनाओं से परहेज किया गया। सीतारमण ने छूटों को युक्तिसंगत बनाकर सीमा शुल्क व्यवस्था को सरल बनाया है। इसके तहत 17 कैसर दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी गयी है। साथ ही

## सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट

मुंबई। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में कहा कि कई बार उनका मन सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट करने का करता है। एक्स्वापर इंडिया को दिए इंटरव्यू में आलिया ने कहा, 'कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं उठकर सोचती हूं कि बस सोशल मीडिया डिलीट कर दूं और सिर्फ एक्टिंग करूं। बार-बार इस बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन मुझे यह भी पता है कि ऐसा करने से उन लोगों से संपर्क टूट जाएगा, जिन्होंने शुरू से मेरा साथ दिया है। मैं ऐसा नहीं चाहती। बता दें कि आलिया भट्ट देश में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 86 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।



इंटरव्यू में आलिया ने मां बनने के बाद आए बदलावों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह बदल गई है। अब उनकी दुनिया ज्यादातर अपनी बेटी के इर्द-गिर्द घूमती है। आलिया ने कहा, 'अब जब पर्सनल लाइफ की बात आती है।

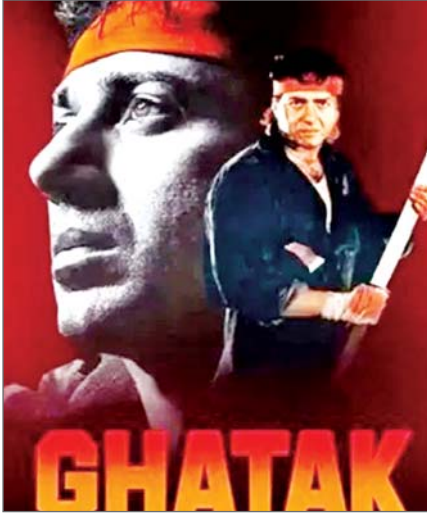
### इंटरटेनमेंट...

## फिल्म ‘घातक 2’ पर बड़ा अपडेट

मुंबई। बॉलीवुड में इन दिनों ‘सीक्वल के ट्रेंड’ की लहर लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी कड़ी में अब प्रसिद्ध फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी एक बार फिर से सनी देओल के पास अपना नया प्रोजेक्ट लेकर पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक संतोषी हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंचे हैं, जहां वे सनी देओल को ‘घातक 2’ की कहानी और स्क्रिप्ट सुनाने वाले हैं। वैसे भी ‘गदर 2’ और ‘बॉर्डर 2’ की सफलता के बाद सनी देओल अब इंडस्ट्री के डिमार्डिंग

○ **सनी देओल को रिक्रिट सुनाने मनाली पहुंचे राजकुमार संतोषी, सीक्वल को लेकर बन सकती है बात**

एक्टर बन गए हैं। 1996 में रिलीज हुई फिल्म ‘घातक’ बॉलीवुड के उन एक्शन फिल्मों में से एक थी जिसने सनी देओल की छवि को और भी मजबूती दी थी। अब लगभग 30 साल बाद उसी फिल्म के सीक्वल की चर्चा ज़ोरों पर है। राजकुमार संतोषी ने इस सीक्वल के लिए एक ठोस आईडिया तैयार किया है, जिसे उन्होंने सनी को व्यक्तिगत रूप से मनाली में सुनाने का निर्णय लिया है। सनी देओल फिलहाल हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और ‘बॉर्डर 2’ की जबरदस्त सफलता का आनंद ले रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अब तक लगभग 300 करोड़



रुपए से ऊपर की कमाई कर ली है और दर्शकों की ओर से खूब सराहना पा रही है। सूत्रों के अनुसार राजकुमार संतोषी और सनी देओल के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग आज यानी 31 जनवरी 2026 को हो सकती है।

### सलमान का ‘बैटल ऑफ’ के सीन पर ट्रेलर्स को जवाब

मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी आगामी वर्ष फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवाग’ के टीजर में दिखाए गए लुक पर चल रहे ट्रेलिंग पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने सलमान के एक छोटे से सीन को ‘रोमांटिक प्लॉस’ बताकर आलोचना की थी, लेकिन सलमान ने इसे मजाक में उड़ा दिया। साथ ही कहा कि यह भाव किसी रोमांस का नहीं, बल्कि एक कर्नल की गंभीर सोच का है। सलमान ने हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मैच के दौरान टीजर का वह सीन दोबारा किया और कहा, ‘अब किसी को ये रोमांटिक लुक लगता है, लेकिन मैं फिल्म में कुल 10 घंटे हूँ, यह एक कर्नल का लुक है जो टीम और जवानों को हौसला देता है।

## ‘बॉर्डर-2’ की अब तक कमाई 277 करोड़

मुंबई। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने दूसरे वीकेंड के शनिवार को 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिसके बाद अब फिल्म का कुल कलेक्शन 277 करोड़ हो चुका है। 23 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 ने पहले वीक में कुल 244 करोड़ का इंडियन बॉक्स

○ **मर्दानी-3 ने वलैश के बावजूद 2 दिन में कमाए 10 करोड़**



ऑफिस कलेक्शन किया था, जिसके बाद शुक्रवार यानी 30 मार्च को फिल्म ने 12.53 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद फिल्म ने दूसरे शनिवार यानी 31 जनवरी को 20.17 करोड़ का कुल इंडियन कलेक्शन किया है, जिसके साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 277.67 करोड़ हो चुका है। वहीं फिल्म ने 9 दिनों में वर्ल्डवाइड 367 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। सभी भाषाओं की फिल्मों में बॉर्डर 2

इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने 367 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है, जो इस साल का अब तक का रिकॉर्ड है। बॉर्डर 2 के बाद 2026 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म चिरंजीवी स्टारर माना शंकर वारा प्रसाद गारू (तेलुगु) है, जिसने 300 करोड़ कमाए थे।

वहीं प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साब (तेलुगु) तीसरी हाईएस्ट ग्रांफिस फिल्म है, जिसने महज 200 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। फिल्म बॉर्डर 2 के एक हफ्ते बाद यानी 30 जनवरी को रानी मुखर्जी की पॉपुलर मदर्न फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म मदर्न 3 रिलीज हुई है। इस फिल्म ने महज 4 करोड़ रुपए का ओपनिंग कलेक्शन किया था, जिसके बाद शनिवार यानी 31 जनवरी को फिल्म ने 6 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी के साथ मदर्न 3 का 2 दिनों में कुल कलेक्शन 10 करोड़ रुपए हो चुका है।

**BABU BANARASI DAS EDUCATIONAL GROUP**

NBA  
NATIONAL BOARD  
ACCREDITATION

BBDNIIT (056) - CSE, IT & B.PHARM  
BBDITM (054) - CSE, ECE & IT

**12500+** More than **1800+** Companies have already hired our Students!

*Job offers & still continuing since last 5 years ...*

**BBD UNIVERSITY** | [www.bbdun.ac.in](http://www.bbdun.ac.in)

**COURSES OFFERED**

- Engineering
- Management
- Legal Studies
- Pharmacy
- Architecture
- Dental Science
- Computer Applications
- Basic Sciences
- Education
- Hotel Management
- Agricultural Sciences
- Media & Communication
- Ph.D. in all Disciplines

**Highest Package**

**52.00 LPA**

Microsoft

**Dream Placement**

**44.15 LPA**

amazon

**B.Sc. (Agriculture) 4 Year Full Time Degree Program**

- Courses available in Collaboration with **IBM**
- Minor Degree available in Collaboration with **IIT - Mandi**

**BBDCODS**

[www.bbdcods.edu.in](http://www.bbdcods.edu.in)

**BDS**

Bachelor of Dental Surgery  
(4 Year Course & 1 Year Rotatory Internship)

**M.D.S/Ph.D**

In all 9 Specialties

**BBDITM** | AKTU CODE - 054 | [www.bbditm.ac.in](http://www.bbditm.ac.in)

**B.TECH** (CSE, CSE(AI&ML), CSE(DS),IT, ECE, ME, EE,CE) **MBA & M.TECH**

**BBDNIIT** | AKTU CODE - 056 | [www.bbdniit.ac.in](http://www.bbdniit.ac.in)

**B.TECH** (CSE,CSE(AI&ML),CSE(AI), IT,ECE, EE, ME,CE) **M.TECH, MBA B.PHARM. M.PHARM. D.PHARM** BTEUP CODE- 2746

**SCHOLARSHIP @25%**

All 4 Years in EE, ME, CE and ECE in AKTU Colleges

**AMENITIES**

- Auditorium (1000+ Seating Capacity)
- Student's Mall & Cafeteria
- Transport & Health Services
- Lord Siddhi Ganesha Temple
- In Campus Bank and ATM
- AC & Non-AC Hostels
- BCCI Approved Cricket Stadium
- BBD 90.8FM Channel
- 24x7 Security & WiFi Campus

**TOP RECRUITERS**

amazon Google IBM adani zomato Grab accenture tcs

Microsoft Infosys HARMAN paytm EY Capgemini NEWGEN wipro pwc accenture

BBD City, Ayodhya Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226028 India.

f @lkobbdun i @bbduniversity www.bbdun.ac.in 0522(619622/23) 0522(6196300/301/302)